रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—25 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052025-263371
CG-DL-E-26052025-263371

भाग II — खण्ड 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 01] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946 (शक) [खंड LXI
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSA 23, 1946 (SAKA) [VOL. LXI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

fof/k vkj U;k; e=ky;

¼fo/kk;h foHkkx½

ubZ fnYyh] 13 tuojh] 2025@23 ikS"k] 1946 ¼'kd½

दि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2020; (2) दि ओक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन्स कोड, 2020; (3) दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2021; (4) दि ट्रिब्यूनल्स रिफार्म्स ऐक्ट, 2021; (5) दि इंडियन अंटार्कटिक ऐक्ट, 2022; (6) दि मेरिटाइम एंटी पाइरेसी ऐक्ट, 2022; (7) दि बायोलाजिकल डायवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (8) दि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (9) दि पोस्ट आफिस ऐक्ट, 2023; (10) दि कांस्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शिड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024; (11) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024; (12) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2024 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, January 13, 2025/Pausa 23, 1946 (Saka)

The National Forensic Sciences University Act, 2020; (2) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; (3) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021; (4) The Tribunals Reforms Act, 2021 (5) The Indian Antarctic Act, 2022;(6) The Maritime Anti-Piracy Act, 2022; (7) The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023; (8) The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2023; (9) The Post Office Act, 2023; (10) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 2024; (11) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024; (12) The Finance Act, 2024 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 32) 03
The National Forensic Sciences University Act, 2020

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 37) 31
The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 16) 137
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 33) 155
The Tribunals Reforms Act, 2021

भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 13) 179
The Indian Antarctic Act, 2022

समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 3) 205
The Maritime Anti-Piracy Act, 2022

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 10) 211
The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023

जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 34) 231
The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2023

डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 43) 233
The Post Office Act, 2023

संविधान (जम्मू–कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 3) 237
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 2024

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024
(2024 का अधिनियम संख्यांक 6) 239
The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024

वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 8) 245
The Finance Act, 2024

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 32)

[28 सितंबर, 2020]

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक संस्था को अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उनका संप्रवर्तन करने तथा अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध-विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ सहयोजन से न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित और घोषित करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

2. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के उद्देश्य वे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 18 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से शिक्षक और ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं, जो परिनियमों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ग) "संबद्ध महाविद्यालय" से शासी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अनुसार उस रूप में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(घ) "शासी बोर्ड" से धारा 15 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिसर" से गांधी नगर, गुजरात स्थित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी और रोहिणी, नई दिल्ली स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान का परिसर या ऐसे अन्य परिसर, जो विश्वविद्यालय द्वारा भारत में या भारत से बाहर स्थापित किए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(च) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(छ) "महाविद्यालय" से न्यायालयिक विज्ञान या उसकी संबंधित विधाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है ;

(ज) "सभा" से विश्वविद्यालय की धारा 14 में निर्दिष्ट सभा अभिप्रेत है ;

(झ) "संकायाध्यक्ष" से किसी विद्यापीठ परिसर के संबंध में ऐसे विद्यापीठ परिसर का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ञ) "विभाग" से विश्वविद्यालय का कोई शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है ;

(ट) "सुदूर शिक्षा प्रणाली" से संचार के किन्हीं साधनों जैसे प्रसारण, दूरदर्शन-प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम या ऐसे दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना अभिप्रेत है ;

(ठ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(ड) "कार्यपालक कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का धारा 25 में निर्दिष्ट कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ढ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की धारा 28 में निर्दिष्ट वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ण) "निधि" से विश्वविद्यालय की धारा 35 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(थ) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय की अध्ययन विद्यापीठ अभिप्रेत है ;

(द) "परिनियम" और "अध्यादेश" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(ध) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के लिए अभ्यावेशित किया गया है ;

(न) "शिक्षक" से निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो शिक्षण देने या अनुसंधान संचालित करने या अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान करने या विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(प) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(फ) "कुलपति" से धारा 21 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

गुजरात अधिनियम 2008 का 17

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।

4. (1) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा ।

(4) विश्वविद्यालय के परिसरों में गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्थित परिसर और अन्य परिसर, जैसा केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्मिलित होंगे ।

(5) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति, शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, निदेशक, संकायाध्यक्ष, कार्यपालक कुलसचिव और सभी अन्य व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बन जाते हैं, जब तक वह ऐसा पद या सदस्यता धारण करना जारी रखते हैं, विश्वविद्यालय होंगे ।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी निर्देश को विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा ;

(ख) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, उपाधियां और प्रदत्त अन्य शैक्षिक उपाधियां, डिप्लोमा तथा दिए गए प्रमाणपत्र, अनुदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य चीजों को जहां तक उनका संबंध गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर से है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन और इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, क्रमश: किया गया, जारी किया गया, प्रदत्त किया गया, दिया गया, अनुदत्त या किया गया समझा जाएगा और जब तक उनका अधिक्रमण इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नहीं कर दिया जाता है, प्रवृत्त बने रहेंगे ; गुजरात अधिनियम 2008 का 17

(ग) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर को गुजरात सरकार द्वारा अनुदत्त "उत्कर्ष केंद्र" और "सामरिक या सुरक्षा संबंधित हित संस्थान" तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर को "स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के लिए उत्कर्ष केंद्र" की प्रास्थिति विश्वविद्यालय को लागू होगी ;

(घ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की या उससे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां विश्वविद्यालय में निहित होंगी ;

(ङ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सभी अधिकार, ऋण और अन्य दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार, ऋण और दायित्व होंगे ;

(च) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधन और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के लिए उन्ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा या सेवा करता रहेगा जैसा वह तब करता जब यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और वह ऐसा

करना तब तक जारी रखेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या तब तक जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, जो ऐसे कर्मचारी की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है :

परंतु गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कुल-सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति तत्समय प्रवृत किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में शब्दों के किसी भी रूप से कोई निर्देश विश्वविद्यालय के कार्यपालक कुल-सचिव या अन्य अधिकारियों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(छ) इस अधिनियम के लागू होने के समय गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में शैक्षिक या गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चल रहे किसी कार्यकलाप को विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए आगे कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इस अधिनियम के लागू होने के समय के प्रक्रम से जारी रखी जाएगी ;

(ज) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किसी शैक्षिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम को करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर विश्वविद्यालय को प्रवास किया गया और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और विश्वविद्यालय में ऐसे शैक्षिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम को करना जारी रखेगा ;

(झ) लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई शैक्षिक पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली में नामांकन और संबद्धता के अधीन अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों को जारी रखेगा जो परीक्षाओं का संचालन करेगा और ऐसे पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें उपाधियां प्रदान करेगा ;

(ञ) सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां जो गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व संस्थित की गई हैं या संस्थित की जा सकती हैं, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

6. विश्वविद्यालय के—

(i) अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य सहबद्ध क्षेत्र और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान और उक्त क्षेत्रों में उभरते हुए क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के साथ विस्तार कार्य है, के साथ मिलकर शैक्षिक शिक्षण और पद्धतियों को सुकर बनाना

और संवर्धन करना, जिससे देश में अपराधिक न्याय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा सके ;

(ii) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, विधिक अध्ययन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों मे अनुसंधान और अनुप्रयुक्त उपयोजनों और नवप्रवर्तन और सर्वोत्तम पद्धतियों की अभिवृद्धि करके प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना ;

(iii) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में उन्नत संस्थागत और अनुसंधान सुविधाओं का संवर्धन करना और उपलब्ध कराना ;

(iv) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर देश में और देश से बाहर अभिरूचि, कौशल और ज्ञान का विकास करने के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान में वैश्विक स्तर की क्षमताओं और सक्षमताओं का सृजन करना;

(v) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं तथा अनुसंधान के माध्यम से अन्वेषण, अपराध का पता लगाना और निवारण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना ;

(vi) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुसंगत नीतियों की विरचना, जिसके अंतर्गत उनका पुनर्विलोकन भी है, में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परामर्श देना और सहायता करना ;

(vii) विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं से समन्वय करना और नेटवर्क करना, जिससे शैक्षणिक और अनुसंधान कार्य का विभिन्न पहलों के माध्यम से संवर्धन करने के लिए न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके;

(viii) देश में और देश से बाहर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय के ऐसे आफसाइट परिसर और अपतट केंद्रों का प्रशासन, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा स्थापना करना ;

(ix) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित करने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का उपबंध करने और देश में न्यायालयिक विज्ञान कार्य में उपयोग किए जाने के लिए न्यायालयिक विज्ञान उपस्कर और किटों के विनिर्देश अधिकथित करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सहायता करना ;

(x) न्यायालयिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा और डिजीटल न्यायालयिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंध के क्षेत्रों में अद्यतन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए परिसरों, महाविद्यालयों, विद्यापीठों, उत्कृष्ट केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना करना ;

(xi) आपराधिक अन्वेषण, जिसके अंतर्गत अंगुली छाप, ध्वनि, डियोक्सीराइ-बोन्यूक्लिक अम्ल (डीएनए), अग्न्यायुध, कूटकृत करेंसी, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों, साइबर सुरक्षा, साइबर रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा भी है, के आपराधिक अन्वेषण के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान डाटाबेस का सृजन और अनुरक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता करना ;

(xii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए विशेष परियोजनाएं हाथ में लेना ; और

(xiii) कोई अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों,

जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, हाथ में लेना, उद्देश्य हैं ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) न्यायालयिक विज्ञान अध्ययन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान और कार्य विस्तार का उपबंध ;

(ख) देश में और देश से बाहर परिसरों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केंद्रों, प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान और विशेषज्ञ अध्ययन की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ग) अध्ययन या कौशल-विकास के पाठ्यक्रमों की योजना बनाना या विहित करना जैसे कि उपाधियां, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र ;

(घ) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षिक, विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) मानद उपाधियां या अन्य सम्मान प्रदत्त करना ;

(च) मूल्यांकन या किसी अन्य परीक्षण पद्धति के अधीन रहते हुए ऐसी शर्तों, जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अधीन डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अनुदत्त करना और ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को सही और पर्याप्त कारण से वापस लेना ;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह अवधारित करे, सुदूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना ;

(ज) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लाने और अन्य विश्वविद्यलयों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ क्रेडिट अंतरण और संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों के लिए करार में प्रविष्ट होना ;

(झ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, ऐसे ठहराव करना ;

(त्र) अनुसंधान के लिए परियोजनाएं हाथ में लेने तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए विशेष कार्य करने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करना ;

(ट) विद्यार्थियों, किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से अनुदेश और अन्य सेवाओं, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती हैं, के लिए फीस और अन्य प्रभारों, जैसा विश्वविद्यालय ठीक समझे, का अवधारण, विनिर्दिष्ट करना और संदाय प्राप्त करना ;

(ठ) किसी अन्य स्थान पर विश्वविद्यालय भवनों, हालों, छात्रवासों और अन्य परिसरों की विश्वविद्यालय के लिए स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध ;

(ड) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा विश्वविद्यालय अवधारण करे, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को संबद्ध करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण और निवास का नियंत्रण तथा अनुशासन का विनियमन और उनके स्वास्थ्य, साधारण कल्याण, संस्कृति और निगमित जीवन का संवर्धन करने के लिए प्रबंध करना ;

(ण) शैक्षिक और अन्य शिक्षक पदों का सृजन और उन पर नियुक्तियां करना (सिवाय कुलाधिपति और कुलपति के पदों के) जैसा अनुदेश प्रदान करने और विश्वविद्यालय के कार्य के प्रबंधन के लिए आवश्यक हों ;

(त) अभ्यागत आचार्य, मानद आचार्य, सलाहकारों, विद्वानों, जिसके अंतर्गत वे भी है जो देश से बाहर अवस्थित हैं, की और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो विश्वविद्यालय की उन्नति करने में योगदान दे सकें संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना ;

(थ) विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षिक, प्रशासनिक, अनुसचीवीय और अन्य पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना ;

(द) शैक्षिक या अन्य संस्थाओं और संगठनों, पब्लिक और प्राइवेट, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो देश से बाहर अवस्थित हैं, जिनके विश्वविद्यालय के सदृश पूर्णतया या भागत: लक्ष्य हैं, के साथ शिक्षकों और विद्वानों के विनिमय द्वारा और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों, सहकार, सहयोग, भागीदारी करना या सहयुक्त होना ;

(ध) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ;

(न) अनुदेशक सामग्री, जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर संबंधी और अन्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, तैयार करने के लिए उपबंध करना ;

(प) विश्वविद्यालय की मुख्य क्षमता के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रायोजित करना और उसके लिए उपबंध करना ;

(फ) संविदाओं में प्रविष्ट होना, पूरा करना, उनमें फेरफार करना या रद्द करना;

(ब) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(झ) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और उनके नाम से ऐसी चेयर, संस्थाओं, भवनों और सदृश का नामकरण करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, जिनके दान और संदान उसके लायक हों, जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चय करे ;

(ञ) कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर अर्जित करना, धृत करना, प्रबंध करना और निपटान करना, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं ;

(ट) पूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योग का सहयोग लेने के लिए उपाय आरंभ करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाए, देश से बाहर किसी स्थान पर अपतट परिसर स्थापित करना ;

(ड) अनुसंधान और अन्य कार्य के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन का उपबंध करना ;

(ढ) विद्यार्थियों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों का नियंत्रण और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने का उपबंध करना तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार-संहिता है ;

(ण) अपराधों के अन्वेषण, निवारण और पता लगाने के क्षेत्र तथा ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणालियों के उद्देश्य को अग्रसर करने के संबंध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंध के क्षेत्र में नूतन प्रयोग संचालित करना और नई पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना ;

(त) संस्थान में और उसके संबद्ध केंद्रों तथा संस्थाओं में अखिल भारतीय आधार पर ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए, पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देना ;

(थ) विदेशी विद्यार्थियों, भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, अनिवासी भारतीयों, खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को, ऐसी रीति में जो परिनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्रवेश देना ;

(द) किसी भूमि या भवन या संकर्म का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक और उचित प्रतीत हों, क्रय करना या पट्टे पर लेना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो तथा ऐसे किन्हीं भवनों या संकर्म का संनिर्माण, फेरफार या अनुरक्षण करना ;

(ध) विश्वविद्यालय की सभी या किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों के आधार पर या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या बंधपत्रों पर, बंधक रखने पर, वचनपत्र या अन्य बाध्यता पर या बिना किन्हीं प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर,

जो वह ठीक समझे, धन इकठ्ठा करना और उधार लेना तथा विश्वविद्यालयों की निधियों में से धन इकठ्ठा करने से संबंधित आनुषंगिक सभी व्ययों का संदाय करना, शासी बोर्ड से पूर्व अनुज्ञा लेने के पश्चात् उधार लिए गए किसी धन का पुनर्संदाय या वापस लेना ;

(यझ) ऐसी प्रतिभूतियों में या उन पर विश्वविद्यालयों की निधियों का विनिधान और समय-समय पर किसी विनिधान का ऐसी रीति में, जो विश्वविद्यालय के हित में उचित समझी जाए, अंतर्विनियम ; और

(यञ) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय किसी भी रीति में किसी स्थावर संपत्ति का केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना व्ययन नहीं करेगा ।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।

8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

9. (1) विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, दिव्यांगता, अधिवास, जातियता, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि को विचार मे लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी संपत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें शासी बोर्ड की राय में शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हैं, जो इस धारा की भावना और उद्देश्यों के प्रतिकूल है ।

(3) विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर मेरिट के माध्यम से दिया जाएगा :

परंतु विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगा । 2007 का 5

विद्यार्थियों का प्रवेश ।

10. (1) विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय चरित्र और अध्यापन और अनुसंधान के ऊंचे मानदंड बनाए रखने का प्रयास रहेगा ।

(2) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर ऐसी रीति में दिया जाएगा, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

11. विश्वविद्यालय और उसके परिसरों या संबद्ध महाविद्यालयों में संपूर्ण अध्यापन विश्वविद्यालय के नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।

12. निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति ;

(ख) सभा ;

(ग) शासी बोर्ड ;

(घ) विद्या परिषद् ;

(ङ) संबद्धता और मान्यता बोर्ड ;

(च) वित्त समिति ; और

(छ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अधिकथित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से, जैसा वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी विख्यात व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के कारण विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा और वह उपाधियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) कुलाधिपति किसी विख्यात व्यक्ति या विख्यात व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देने के लिए, जैसा वह और जब वह उचित समझे, आमंत्रित कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति कोई निरीक्षण या जांच का आदेश कर सकेगा या करेगा, यदि वह उचित समझे ।

(5) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जैसा परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

सभा ।

14. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की सभा का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) सभा के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से विख्यात व्यक्तियों में से, जिसके अंतर्गत न्यायालयिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आपराधिक न्याय, विधि परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) सभा के सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

(4) कुलपति सभा का संयोजक होगा ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की बृहत्त नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय में सुधार और विकास के उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसे लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

(6) सभा वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी ।

शासी बोर्ड ।

15. (1) विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति - अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य, पदेन ;

(ग) गृह मंत्रालय, भारत सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि - सदस्य, पदेन ;

(घ) गृह विभाग, गुजरात सरकार का सचिव के रैंक से अन्यून का एक अधिकारी - सदस्य, पदेन ;

(ङ) गुजरात उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार - सदस्य, पदेन ;

(च) निदेशक-सह-मुख्य अपराध विज्ञान वैज्ञानिक, अपराध विज्ञान सेवा निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य, पदेन ;

(छ) न्यायालयिक विज्ञान, विधि, प्रवर्तन, अपराध विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान ओषध और भेषजी के क्षेत्रों में से चयन किए जाने वाले पांच विख्यात व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(ज) विश्वविद्यालय के सभी परिसर निदेशक - सदस्य, पदेन ।

(2) कार्यपालक रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव होगा ।

(3) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके/उनके अधीन सौंपे जाएं ।

शासी बोर्ड की शक्तियां ।

16. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासी बोर्ड, विश्वविद्यालय के साधारण अधीक्षण, निदेश और मामलों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे विद्या परिषद् और वित्त समिति तथा अन्य समितियों या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा ;

(ii) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम आरंभ करेगा ;

(iii) परिनियम बनाएगा ;

(iv) परिनियमों का उपांतरण या उन्हें रद्द करेगा ;

(v) विश्वविद्यालय में पदों का सृजन करेगा और शैक्षिक के साथ-साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतन संरचना और अन्य निबंधनों और शर्तों का अवधारण करेगा ;

(vi) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट आकलनों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विचार करेगा और संकल्प पारित करेगा ;

(vii) विश्वविद्यालय के धन और निधियों का विनिधान करेगा तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा ;

(viii) अध्ययनों, ग्रन्थों, पुस्तकों, नियतकालिक पत्रिका, रिपोर्टों और अन्य साहित्य का समय-समय पर प्रकाशन करेगा या प्रकाशन का वित्तपोषण करेगा और उनका विक्रय करेगा या विक्रय का प्रबंध करेगा, जैसा वह ठीक समझे ;

(ix) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों की नियुक्ति करेगा, जैसा वह ठीक समझे ;

(x) परिसर निदेशकों की नियुक्ति करेगा ;

(xi) संबद्धता और मान्यता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर विचार करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ;

(xii) अपनी किन्हीं शक्तियों का निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कार्यपालक रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजन करेगा ; और

(xiii) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(3) शासी बोर्ड, वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगा और शासी बोर्ड की बैठकों के लिए कम से कम छह सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी ।

शासी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ।

17. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन शासी बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

(2) शासी बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य, अगली पदावधि के लिए पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(3) शासी बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य, अपने पद से अध्यक्ष को संबोधित लिखित हस्ताक्षरित संबोधन द्वारा त्याग-पत्र दे सकेगा और उसका त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा ।

(4) शासी बोर्ड के पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करते हैं, जिसके कारण वह सदस्य हैं ।

विद्या परिषद् ।

18. (1) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) कुलपति - अध्यक्ष, पदेन ;

(ii) शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक - सदस्य ;

(iii) न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में से शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक - सदस्य ;

(iv) निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक विज्ञान वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, - सदस्य पदेन ;

(v) परिसर निदेशक - सदस्य, पदेन ;

(vi) विद्यापीठ की प्रत्येक विद्याशाखा से एक संकायाध्यक्ष या आचार्य या सहबद्ध आचार्य, जिनको कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य, पदेन ;

(vii) संबंधित क्षेत्रों में से उद्योग या औद्योगिक निकायों के दो प्रतिनिधि, जिनको शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ।

(2) कार्यपालक रजिस्ट्रार परिषद् का सचिव होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और सदस्य अगली पदावधि के लिए पुन: नामनिर्दिष्ट किए जाने के पात्र होंगे ।

विद्या परिषद् की शक्तियां ।

19. इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों को विनिर्दिष्ट करना और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ii) स्वयं की पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय या शासी बोर्ड के निर्देश पर साधारण शैक्षिक हित के विषयों पर विचार करना और उनके लिए समुचित कार्रवाई करना ;

(iii) शासी बोर्ड को बोर्ड द्वारा संबद्धता और मान्यता देने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में पुनर्विलोकन करना और सिफारिश करना ;

(iv) अध्यादेश बनाना ;

(v) शासी बोर्ड को संस्थान के शैक्षिक कार्यकरण के संबंध में, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का अनुशासन भी है, के संबंध में अधिनियम से सुसंगत परिनियम बनाने की सिफारिश करना ; और

(vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाए या उसे अधिरोपित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलपति ;

(ख) परिसर निदेशक ;

(ग) संकाय अध्यक्ष ;

(घ) कार्यकारी कुलसचिव ; और

(ङ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अधिकारी होने के लिए परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

कुलपति ।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों से, जो वह ठीक समझे, परामर्श करके अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा, यदि वह—

(i) न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो ;

(ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर दांडिक न्याय के प्रशासन, विकास संबंधी विषयों, शिक्षा, लोकोपकारक, औद्योगिक या कारबार विकास या केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, निगमों या लोक निकायों में प्रशासन से सहबद्ध हो ।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और किसी अन्य अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) कुलपति की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं ।

(5) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

कुलपति की शक्तियां ।

22. (1) कुलपति, को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपस्कर और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था या केंद्र का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण, किए गए अनुसंधान और अन्य संकर्मों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, निरीक्षण कराने या पुनर्विलोकन कराने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक कार्यकलापों तथा वित्त से संबंधित किसी विषय की बाबत वैसी ही रीति में जांच कराने की शक्ति होगी ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, कुलपति,—

(i) शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, सहबद्धता और मान्यता बोर्ड और वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ;

(ii) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्राचार्य और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ;

(iii) विश्वविद्यालय में अनुदेश देने और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा ;

(iv) शासी बोर्ड को वार्षिक रिपोर्टें और लेखें प्रस्तुत करेगा ;

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि शासी बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ;

(vi) उसकी अपनी शक्तियों में कुछ शक्तियों को, शासी बोर्ड को सूचित करते हुए, अधीनस्थों में से किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी ;

(vii) अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान अपने कृत्यों का पालन करवाने के लिए विश्वविद्यालय का निदेशक नामनिर्देशित करेगा ;

(viii) सरकार के नियमों के प्रयोजनों के लिए, जहां तक विश्वविद्यालय के कारबार को संचालित करने के लिए ऐसी अतिरिक्त शक्ति के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाए, वे लागू होते हैं या लागू किए जाएं, भारत सरकार के सचिव की सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी ;

(ix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित की जाएं या शासी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

(3) यदि कुलपति का पद किसी कारणवश रिक्त रहता है तो कुलाधिपति इसके लिए स्वतंत्र होगा कि वह विश्वविद्यालय के लिए सेवा में किसी ज्येष्ठ नियमित आचार्य को या धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित अर्हता रखने वाले किसी अन्य समुचित व्यक्ति को ऐसी रिक्ति के दौरान कुलपति की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करे ।

(4) जहां ऐसा कोई विषय अत्यावश्यक प्रकृति का है जिसमें तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और उसके द्वारा इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारी या निकाय को देगा, जो या जिसने सामान्य अनुक्रम में इस विषय पर कार्रवाई की हो :

परंतु यदि ऐसे प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को शासी बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा या उसे ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, बातिल कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और तदुपरि कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी या, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी और ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण का कुलपति के आदेश के द्वारा या उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अंतर्वलित है, वहां ऐसी नियुक्ति की पुष्टि इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अनुसार कुलपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए सशक्त विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी ।

कैंपस निदेशक ।

23. (1) विश्वविद्यालय के कैंपस निदेशकों की नियुक्ति, शासी बोर्ड के अनुमोदन से, कुलपति द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, की जाएगी ।

(2) कैंपस निदेशक, विश्वविद्यालय के कैंपस के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य कार्यकलापों का प्रबंध करने में कुलपति की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं या कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं ।

संकायाध्यक्ष ।

24. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, की जाएगी ।

(2) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्यापीठों के शैक्षणिक और अन्य कार्यकलापों का प्रबंध करने में कुलपति, कार्यपालक कुलसचिव और संबंधित कैंपस निदेशकों की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं या जो कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं ।

कार्यपालक कुलसचिव ।

25. (1) कार्यपालक कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, की जाएगी ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संपत्तियों की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ii) शासी बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी जानकारी और दस्तावेज रखेगा जो इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों ;

(iii) कुलपति के प्रति अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए और परीक्षाएं संचालित करने तथा उनके लिए सभी अन्य आवश्यक इंतजाम करने के लिए उत्तरदायी होगा और उनसे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(v) विश्वविद्यालय की ओर से सभी दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा ;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वादों और अन्य विधिक कार्रवाइयों में सभी अभिवचनों का सत्यापन करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे वादों और कार्रवाइयों में सभी आदेशिकाएं कार्यपालक कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी ;

(vii) शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति और ऐसी समितियां, जो शासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियमों में अधिकथित किए जाएं या शासी बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी ।

26. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी उपलब्धियों पर तथा सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

27. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे, जो अधिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

28. (1) वित्त समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) शासी बोर्ड के दो सदस्य, जिनमें से एक सदस्य पदेन सदस्य होगा जिसे शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) सभी कैंपस निदेशक ;

(घ) वित्त के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) विश्वविद्यालय की किसी भी एक विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, जो चक्रानुक्रम में, शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव, वित्त समिति का सचिव होगा ।

(3) खंड (ख), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उक्त सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे ।

वित्त समिति की शक्तियां ।

29. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वित्त समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक बजट प्राक्कलनों की समीक्षा करना और उनके बारे में शासी बोर्ड को सलाह देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(ग) विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय नीतिगत विषयों पर शासी बोर्ड को सिफारिशे करना ;

(घ) निधियां जुटाने, प्राप्तियों और व्ययों को अंतर्वलित करने वाले सभी प्रस्तावों पर शासी बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ङ) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपबंध करना;

(च) ऐसे व्यय को अंतर्वलित करने वाले सभी प्रस्तावों पर शासी बोर्ड को सिफारिशें करना जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है या जिसके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किया जाना आवश्यक है ;

(छ) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जिन्हें शासी बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, से संबंधित सभी प्रस्तावों की समीक्षा करना ; और

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।

30. (1) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड, महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को देने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) सहबद्धता और मान्यता के लिए बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

31. शासी बोर्ड, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों या अधिकारियों को घोषित कर सकेगा और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

32. केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदत्त कर सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।

33. विश्वविद्यालय, किसी राज्य सरकार से ऐसी धनराशियों को प्रतिवर्ष अनुदान सहायता के रूप में या एकमुश्त अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगा ।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

विश्वविद्यालय का समग्र ।

34. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेगा या अपनी निधियों को विश्वविद्यालय के समग्र को बनाए रखने और प्रचालित करने के लिए उपयोग कर सकेगा ।

निधि ।

35. (1) विश्वविद्यालय, एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन ;

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सभी धन ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें तथा अन्य प्रभार ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों अथवा अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धन ;

(ङ) समग्र से प्राप्त सभी हित या कोई अन्य ऐसे उपार्जन ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए कोई उधार ;

(छ) विश्वविद्यालय और ऐसे उद्योग के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनानुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठ आचार्य पदों, अध्येतावृत्ति या अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन ; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन ।

(2) विश्वविद्यालय की निधि में जमा किए गए सभी धनों को ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जो विश्वविद्यालय, वित्त समिति के अनुमोदन से विनिश्चित करे ।

(3) विश्वविद्यालय की निधि को विश्वविद्यालय के व्ययों, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपगत व्यय भी है, के मद्दे उपयोजित किया जाएगा ।

लेखा और संपरीक्षा ।

36. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप तथा लेखांकन मानक में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे, विशिष्टतया, बहियां, लेखे, संबंधित बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और विश्वविद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के यथा प्रमाणित लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पेंशन और भविष्य निधियां ।

37. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित कर सकेगा या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई भविष्य निधि गठित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो । 1925 का 19

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ।

38. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय और उसके द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान के परिणाम आधारित मूल्यांकन होंगे और इसे ऐसी तारीख को या इससे पूर्व, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में इस पर विचार करेगा ।

(2) शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

(3) कुलपति, प्रत्येक वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास की समाप्ति पर

या उससे पहले, पूर्ववर्ष में विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट, अंग्रेजी और हिंदी में तैयार करेगा और उसे जारी करेगा तथा उसकी एक प्रति पूर्ववर्ष की आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं की एक संपरीक्षित विवरणी के साथ उस नियत समय के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति ।

39. कुलपति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी—

(क) शासी बोर्ड, यदि, यथास्थिति, नियुक्ति सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद पर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में की जाती है या यदि नियुक्ति समूह 'क' के किसी समतुल्य पद या उससे ऊपर के पद पर गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में की जाती है ;

(ख) किसी अन्य मामले में, कुलपति द्वारा ।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम ।

40. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां ;

(घ) देश के भीतर या देश के बाहर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि के उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा शासी बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को सहबद्धता प्रदान करना ;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा कैंपसों और सहबद्ध महाविद्यालयों का प्रबंध ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

41. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उनके बनाए जाने के शीघ्र पश्चात् रखी जाएगी :

परंतु जब तक ऐसे परिनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक गुजरात न्यायालयिक विश्वविद्यालय, गांधी नगर के विद्यमान विनियम लागू होते रहेंगे :

परंतु यह और कि जब तक विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए परिनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक दिल्ली कैंपस में कृत्य उसी ही रीति में किए जाते रहेंगे, जैसे कि उनका वर्तमान में लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है ।

(2) शासी बोर्ड, समय-समय पर, ऐसे नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परंतु शासी बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम का संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में कोई राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर शासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे विषय, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी ।

(4) परिनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों या उनमें से किसी परिनियम को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है किंतु ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव किसी परिनियम को नहीं दिया जाएगा जिससे कि ऐसे किसी व्यक्ति, जिसको ऐसा परिनियम लागू हो, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके ।

अध्यादेश ।

42. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें और संस्थान ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ट) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ;

(ठ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना ; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

43. (1) इस धारा में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश करे किंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, यथाशीघ्र, शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी बोर्ड द्वारा उस पर अपने ठीक उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(3) शासी बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा अनुमोदित, उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से, यथास्थिति, तद्नुसार अनुमोदित, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

अध्याय 7

माध्यस्थम् अधिकरण

माध्यस्थम् अधिकरण ।

44. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच हुई संविदा के कारण उद्भूत होने वाले किसी विवाद को, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम् अधिकरण को, जिसमें शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक हो, निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चित किए गए विषयों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ लेने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ के भीतर इस धारा के निबंधनानुसार माध्यस्थम् को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा । 1996 का 26

(5) माध्यस्थम् अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों में अधिकथित की जाएगी ।

छात्रों के विरुद्ध परीक्षा और अनुशासनिक कार्रवाई से विवर्जन के लिए प्रतितोष ।

45. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, कुलपति के आदेश या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, शासी बोर्ड को अपील कर सकेगा और शासी बोर्ड, कुलपति के विनिश्चय को, यथास्थिति, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 44 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

46. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला शासी निकाय को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

शासी बोर्ड से संबंधित विषयों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।

47. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, शासी बोर्ड से संबंधित प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड के सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति ;

(ख) शासी बोर्ड के सदस्य चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए निर्रहताएं ;

(ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकार, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ;

(घ) शासी बोर्ड के अधिवेशन और कारबार संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) शासी बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और

(च) वह रीति, जिसमें शासी बोर्ड के कृत्यों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

अधिनियमों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।

48. शासी बोर्ड या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय की कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

विश्वविद्यालय का, सूचना के अधिकार के अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना ।

2005 का 22

49. विश्वविद्यालय को सूचना का अधिकार, 2005 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या किए गए अध्यादेशों के उपबंधों में किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

51. (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्धकर होगा, जो केन्द्रीय सरकार, लिखित में समय-समय पर दे ।

(2) इस बारे में कि क्या प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अवशिष्ट उपबंध ।

52. (1) शासी बोर्ड को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय पर, और जिन पर इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की गई है, कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा ।

(2) ऐसे सभी विषयों पर शासी बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

53. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम, अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, परिनियम, अध्यादेश निष्प्रभाव हो जाएगा/अधिसूचना निष्प्रभावी हो जाएगी । किंतु उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

55. इस अधिनियम में और तद्धीन बनाए गए परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर का विद्यमान महानिदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(ख) जब तक विश्वविद्यालय ऐसे प्राधिकारियों या समितियों का गठन नहीं कर देता है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित हों, गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में, यथास्थिति, विद्यमान समिति या बोर्ड, अपनी संबंधित भूमिकाओं का तब तक प्रयोग करता रहेगा, जब तक शासी बोर्ड अवधारित न करे ;

(ग) लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के लिए कैंपस निदेशक के रूप में तब तक के लिए की जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय द्वारा नियमित निदेशक की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है ;

(घ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर के विद्यमान कुलसचिव की नियुक्ति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी रजिस्ट्रार के रूप में तब तक के लिए की जाएगी, जब तक शासी बोर्ड अवधारित नहीं कर देता है ।

2008 के गुजरात अधिनियम संख्यांक 17 का निरसन ।

56. (1) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई डिग्रियां, अन्य विद्या संबंधी उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा प्रमाणपत्र, अनुदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए गए, प्रदान किए गए या की गई क्रमशः समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अन्यथा उपबंधित रूप में तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ; और

(ख) अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चयन समिति या किसी अन्य प्राधिकारी की सभी कार्रवाइयां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई थीं और ऐसी चयन समिति या प्राधिकारी की सिफारिशों, यदि कोई हों, के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों की सभी कार्रवाइयां, जहां नियुक्ति के कोई आदेश, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा उपांतरित कर दी गई है, विधिमान्य समझी जाएंगी किंतु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में अगली कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस प्रक्रम से जारी की जाएगी, जहां वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थीं, सिवाय इसके यदि, संबंधित प्राधिकारी इस पर प्रतिकूल विनिश्चय करते हैं ।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 37)

[28 सितम्बर, 2020]

किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

(3) यह केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों और किसी राष्ट्रीयता के युद्धपोत को लागू नहीं होगा :

परंतु संहिता, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में या राज्य सरकार के कार्यालयों में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिक की दशा में भी वहां लागू होगा, जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार मूल नियोजक है ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "कुमार" का वही अर्थ होगा जो बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (i) में उसका है ; 1986 का 61

(ख) "वयस्क" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का अठारह वर्ष पूरा कर लिया है ;

(ग) "अभिकर्ता" से जब वह किसी खान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, चाहे वह उस रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो स्वामी की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए खान या उसके किसी भाग के प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निदेशन में भाग लेता है ;

(घ) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जा रहे या किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से संबंधित, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन स्थापनों के [जो उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न हैं] या रेल स्थापन जिसके अन्तर्गत मेंट्रो रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवा या दूर-संचार सेवा, बैंककारी कंपनी या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई बीमा कंपनी (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) भी हैं या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम या अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों द्वारा स्थापित कोई केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियां, जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए ठेकेदारों के स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वशासी निकाय भी है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार :

परन्तु केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की दशा में इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् उन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार की धृति घटकर केन्द्रीय सरकार के साधारण शेयर पचास प्रतिशत से भी कम होने पर भी समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार ही बनी रहेगी ; और

(ii) किसी कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचारपत्र स्थापन तथा बीड़ी और सिगार जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थापन भी हैं जो खंड (i) में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, के संबंध में, उससे संबंधित राज्य सरकार जहां वह अवस्थित है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार, उस राज्य में अवस्थित किसी कारखाने में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा की बाबत समुचित सरकार होगी ।

(ङ) "दृश्य-श्रव्य उत्पादन" से भारत के पूर्णतः या भागतः उत्पादित दृश्य-श्रव्य अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) एनीमेशन, व्यंग्यचित्र चित्रण, दृश्य-श्रव्य विज्ञापन ;

(ii) डिजिटल उत्पादन या उसे बनाने से संबंधित कोई अन्य क्रियाकलाप ; और

(iii) फीचर फिल्म, गैर-फीचर फिल्म, टेलीविजन, वेब आधारित सीरियल, टाक शो, रियलिटी शो और खेलकूद शो ;

(च) "दृश्य-श्रव्य कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कलाकार के रूप में जिसके अन्तर्गत अभिनेता, संगीतकार, गायक, स्थिरक, समाचार वाचक, नृतक, डबिंग कलाकार या कलाबाज या कोई काम करना भी हैं कार्य कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षणीय, तकनीकी, कलात्मक या अन्यथा कोई कार्य करने के लिए दृश्य-श्रव्य उत्पादन में या उसके संबंध में सीधे तौर पर या किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया जाता है और उसका दृश्य-श्रव्य के उत्पादन में या उसके संबंध में ऐसे नियोजन की बाबत उसका पारिश्रमिक अधिक नहीं है जहां पारिश्रमिक मासिक मजदूरी के रूप में है या जहां ऐसा पारिश्रमिक एक मुश्त राशि के रूप में है, ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

1949 का 10

(छ) "बैंककारी कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत

1989 का 39

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय आयात-निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और

1970 का 5

अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक कोई तत्स्थानी नया बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन

1980 का 40

और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई तत्स्थानी नया बैंक भी है ;

(ज) "भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य" से भवनों, मार्गो, सड़कों, रेल-पथों, ट्राम-पथों, हवाई मैदानों, सिंचाई, जल निकास, तटबंध और नौपरिवहन संकर्म, बाढ़ नियंत्रण संकर्म (जिसके अन्तर्गत तुफानी जल निकास संकर्म भी हैं), विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल संकर्म (जिसके अन्तर्गत जल के वितरण के लिए सरणियां भी हैं), तेल और गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाइनों, इन्टरनेट टावरों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार और विदेश संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, जलमार्गों, सुरंगों, पुलों, सेतुओं, जलसेतुओं, नलों, मीनारों, शीतलन मीनारों, पारेषण मीनारों और ऐसे अन्य कार्य का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य नहीं आता है, जो किसी कारखाने या खान और भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, जहां ऐसा कार्य किसी व्यष्टि या व्यष्टि समूह के लिए उनके अपने निवास के प्रयोजनों के लिए हो और ऐसे कार्य की कुल लागत पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतम रकम से अधिक नहीं हो और उसमें उतनी संख्या से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(झ) "भवन कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए कोई अति कुशल, कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन प्रकट हो या विवक्षित, किन्तु इसके

अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यतः किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है ;

(त्र) "स्थोरा" के अन्तर्गत कोई भी वस्तु आती है जो किसी पोत या अन्य जलयान या यान में ले जाई गई है या ले जाई जानी है ;

(ट) "मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक" से धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक अभिप्रेत है ;

(ठ) "सक्षम व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था अभिप्रेत है जिसे—

(i) व्यक्ति की अर्हताएं और अनुभव तथा उसके अधिकार में उपलब्ध सुविधाओं ; या

(ii) ऐसी संस्था में नियोजित व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं,

को ध्यान में रखते हुए किसी स्थापन में किए जाने के लिए अपेक्षित परीक्षणों, परीक्षाओं और निरक्षणों को करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उस रूप में मान्यता दी जाए :

परन्तु खानों की दशा में सक्षम व्यक्ति के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे धारा 67 में निर्दिष्ट प्रबंधक द्वारा, किसी कार्य का पर्यवेक्षण या पालन करने या मशीनरी, संयत्र या उपस्कर के प्रचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जो उसे समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है और इसके अन्तर्गत गोली दागने वाला या विस्फोटकर्ता भी है ;

(ड) "ठेका श्रमिक" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जिसे किसी स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में नियोजित तब समझा जाएगा जब उसे ऐसे कार्य के लिए या उसके संबंध में प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से भाड़े पर लिया जाता है और उसके अन्तर्गत अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार भी है किन्तु इसमें कोई ऐसा कर्मकार (अशंकालिक कर्मचारी से भिन्न) सम्मिलित नहीं हैं जो ठेकेदार द्वारा, उसके स्थापन के किसी कार्यकलाप के लिए नियमित रूप से नियोजित हैं और उसका नियोजन पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियोजन (जिसके अन्तर्गत स्थायी आधार पर विनियोजन भी है) की शर्तों के मानको द्वारा शासित होता है और उसे ऐसे नियोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वेतन में आवधिक वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति और अन्य कल्याण प्रसुविधाएं प्राप्त है ;

(ढ) "ठेकेदार" से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी स्थापन को केवल माल या विनिर्माण वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न निश्चित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिए सम्पन्न कराने का जिम्मा लेता है ; या

(ii) उस स्थापन के किसी काम के लिए ठेका श्रमिक उपलब्ध कराता है और इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार भी है ;

(ण) "नियंत्रित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका नियंत्रण, केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन घोषित किया गया है ;

(त) "किसी स्थापन के अभ्यंतर क्रियाकलाप" से ऐसा कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जिसके लिए स्थापन की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा क्रियाकलाप भी है, जो ऐसे क्रियाकलाप के लिए आवश्यक या अनिवार्य है :

परंतु निम्नलिखित को आवश्यक और अनिवार्य क्रियाकलाप के रूप में नहीं समझा जाएगा, यदि स्थापन की स्थापना ऐसे क्रियाकलाप के लिए नहीं की गई है, अर्थात् :—

(i) स्वच्छता संकर्म, जिसके अंतर्गत झाड़ू लगाना, सफाई करना, धूल झाड़ना तथा सभी प्रकार के अपशिष्टों को एकत्रित करना और उनका व्ययन करना भी है ;

(ii) चौकसी और बचाव सेवाएं, जिसके अंतर्गत सुरक्षा सेवाएं भी हैं ;

(iii) कैंटीन और खानपान सेवाएं ;

(iv) लदाई और उतराई संक्रियाएं ;

(v) अस्पताल, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाएं, अतिथि गृहों, क्लबों और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप को चलाना, जहां वे किसी स्थापन की सहायक सेवाओं की प्रकृति के हैं ;

(vi) कुरियर सेवाएं, जो किसी स्थापन की सहायक सेवाओं की प्रकृति के हैं ;

(vii) सिविल और अन्य सन्निर्माण कार्य, जिसके अंतर्गत रखरखाव भी है ;

(viii) लान की बागवानी और रखरखाव तथा इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप ;

(ix) हाउसकीपिंग और लाउंड्री सेवाएं और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप जहां वे किसी स्थापन की सहायक सेवाओं की प्रकृति के हैं ;

(x) परिवहन सेवाएं, जिसके अंतर्गत एम्बुलेंस सेवाएं भी हैं ;

(xi) आंतरायिक प्रकृति का कोई क्रियाकलाप, चाहे उससे किसी स्थापन का अभ्यंतर क्रियाकलाप बनता हो ;

(थ) "दिवस" से मध्यरात्रि से आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की कोई अवधि अभिप्रेत है ;

(द) किसी खान के संबंध में "जिला मजिस्ट्रेट" से, यथास्थिति, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है जिसमें उस राजस्व जिले में, जिसमें खान अवस्थित है, विधि व्यवस्था बनाए रखने की कार्यकारी शक्तियां निहित है :

परन्तु किसी ऐसी खान की दशा में, जो भागतः एक जिले में और भागतः किसी अन्य जिले में अवस्थित है, उक्त प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

(ध) "डॉक कार्य" से पोत या अन्य जलयान, पत्तन, डॉक, भंडारकरण स्थान या उतराई स्थान में या उससे स्थोरा के लादे जाने, उतारे जाने, उसके संचलन या भंडारण के संबंध में या उसके लिए अपेक्षित अथवा उसके आनुषंगिक किसी पत्तन में या उसके आस-पास कोई कार्य अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) स्थोरा की प्राप्ति या उतराई अथवा पत्तन छोड़ने के लिए पोतों या अन्य जलयानों की तैयारी के संबंध में कार्य ;

(ii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी फलक पर, टैंक संरचना या उत्थापक मशीनरी या किसी अन्य भंडारकरण क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की मरम्मतें और अनुरक्षण प्रक्रियाएं ; और

(iii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी फलक, किसी फलक टैंक संरचना या उत्थापक मशीनरी या किसी अन्य भंडारकरण क्षेत्र को छीलना, पेन्ट करना या साफ करना ;

(न) "कर्मचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) किसी स्थापन की बाबत, कोई ऐसा व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन लगा शिक्षु से भिन्न) जो किसी स्थापन द्वारा, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल, शारीरिक, संक्रियात्मक, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपकीय या कोई अन्य काम करने के लिए मजदूरी पर नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों ; और 1961 का 52

(ii) समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी के रूप में घोषित कोई व्यक्ति,

किन्तु इसके अन्तर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं है :

परन्तु इस खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी खान की दशा में, ऐसे व्यक्ति को किसी खान में "नियोजित" हुआ समझा जाएगा जो प्रबंधन के रूप में काम करता है या जो खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा नियुक्ति के अधीन या प्रबंधक की जानकारी में चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं—

(क) किसी खनन संक्रिया में काम करता है (जिसके अन्तर्गत प्रेषण के स्थान तक खनिजों के हथालन और परिवहन खान तक बालू संग्रहण और उनका परिवहन की सहवर्ती संक्रियाएं भी हैं) ;

(ख) खान के विकास संबंधी संक्रियाओं या सेवाओं का काम करता है जिसके अन्तर्गत संयत्र का निर्माण भी है किन्तु इसमें ऐसे भवनों, सड़कों, कुओं के निर्माण और ऐसे अन्य सन्निर्माण संबंधी कार्य अपवर्जित है जो किसी विद्यमान या भावी खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ;

(ग) खान में या उसके बारे में प्रयुक्त किसी मशीनरी के किसी भाग के प्रचालन, सर्विसिंग, अनुरक्षण या मरम्मत के काम करता है ;

(घ) खान परिसर के भीतर खनिजों के प्रेषण के लिए लदाई संबंधी संक्रियाओं का काम करता है ;

(ङ) खान के किसी कार्यालय में काम करता है ;

(च) आवासीय क्षेत्र को छोड़कर खान परिसर के भीतर खान से संबंधित इस संहिता के अधीन उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित किसी कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता या साफ-सफाई या निगरानी संबंधी काम करता है ; या

(छ) किसी अन्य प्रकार का कोई ऐसा काम करता है जो खनन संक्रियाओं के पूर्व या आनुषंगिक या उससे संबंधित हो ;

(प) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने स्थापन में अपनी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से या सीधे तौर पर या किसी व्यक्ति के माध्यम से एक या अधिक कर्मचारी नियोजित करता है और जहां कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, चलाया जाता है वहां ऐसे विभाग के प्रमुख द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है वहां विभागाध्यक्ष और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे किसी स्थापन के संबंध में उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो एक कारखाना है, कारखाने का अधिष्ठाता ;

(ii) खान के संबंध में खान का स्वामी या धारा 67 में निर्दिष्ट अभिकर्ता या प्रबंधक ;

(iii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण हो और जहां उक्त कार्यकलाप प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए हैं वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ;

(iv) ठेकेदार ; और

(v) मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ;

(फ) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई ऐसा स्थान जहां कोई ऐसा उद्योग, व्यापार, कारबार चलाया जाता है, ऐसा विनिर्माण या व्यवसाय किया जाता है जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं ; या

(ii) कोई ऐसा मोटर परिवहन उपक्रम, समाचारपत्र स्थापन, दृश्य-श्रव्य विनिर्माण, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य या बागान जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं ; या

(iii) अध्याय 2 के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कारखाना, जिसमें खंड (ब) में उपबंधित कर्मकारों की अवसीमा होते हुए भी, दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं ; या

(iv) कोई खान या पत्तन या पत्तन का सामीप्य, जहां डॉक कार्य किया जाता है :

परंतु उपखंड (i) और उपखंड (ii) में ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग की दशा में, जिनमें ऐसे परिसंकटमय या जीवन के लिए जोखिम वाले ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, उसमें विनिर्दिष्ट कर्मकार सीमा लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि खंड (ब) में कारखाने की परिभाषा में उपबंधित कोई अवसीमा होते हुए भी, अध्याय 2 के प्रयोजनों के लिए उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्थापन इस खंड के अर्थांतर्गत स्थापन समझे जाएंगे, यद्यपि उसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या दस या उससे अधिक है;

(ब) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें—

(i) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है ; या

(ii) चालीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है,

किन्तु संघ के कोई सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय इसके अन्तर्गत नहीं हैं :

परंतु जहां इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी राज्य में कर्मकारों की संख्या खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों की संख्या से कम या अधिक है, तो राज्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट संख्या सक्षम विधान द्वारा इसको संशोधित किए जाने तक ऐसे राज्य में अभिभावी होगी ;

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए एक दिन में (विभिन्न समूहों और टोलियों के) सभी कर्मकारों को गिना जाएगा ;

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण यूनिट या कोई संगणक यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना के रूप में है यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है ;

(भ) "कुटुम्ब" से जब किसी कर्मकार के संबंध में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) पति या पत्नी ;

(ii) बालक जिसके अन्तर्गत कर्मकार के दत्तक बालक भी है जो उस पर आश्रित है और जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हैं ; और

(iii) ऐसे कर्मकार पर आश्रित माता-पिता, पितामह या पितामही, विधवा पुत्री और विधवा बहन ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे आश्रितों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो तत्समय ऐसे स्रोतों से ऐसी आय प्राप्त कर रहे हैं जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;

(म) "गोदाम" से कोई ऐसा भांडागार या अन्य स्थान, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जिसका उपयोग किसी विनिर्माण प्रक्रिया, जिससे किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिष्करण या पैकिंग या अन्यथा अभिक्रियान्वयन के लिए कोई प्रक्रिया या उसके आनुषंगिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, के लिए अपेक्षित कोई वस्तु या पदार्थ के भंडारण के लिए प्रयुक्त है ;

(य) "परिसंकटमय" से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है ;

(यक) "परिसंकटमय प्रक्रिया" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग या बागान के संबंध में, कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां, जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती, वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद, परिसंकटमय पदार्थ, उनके अपशिष्ट या बहिःस्राव या उसमें प्रयुक्त, यथास्थिति, किसी नाशकजीवमार, कीटनाशी या रसायनों का छिड़काव—

(i) से उस उद्योग में लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्विक ह्रास होगा ; या

(ii) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण होगा ;

(यख) "परिसंकटमय पदार्थ" से कोई ऐसा पदार्थ या पदार्थ की ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए या जिसका तैयार किया जाना उसके रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुण या उसका हथालन मनुष्य के शरीर या स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय है या जो अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है ;

(यग) "औद्योगिक परिसर" से ऐसा कोई स्थान या परिसर अभिप्रेत है (जो प्राइवेट निवास-गृह न हो), जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं आती हैं, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, व्यवसाय या विनिर्माण शक्ति की सहायता से या उसके बिना मामूली तौर पर की जाती हो और उसके अन्तर्गत उससे संलग्न गोदाम भी है ;

(यघ) "उद्योग" से किसी नियोजक और कर्मकार (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजक द्वारा सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी है, के माध्यम से नियोजित किया गया हो) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से माल या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति या वितरण के लिए कोई व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है (जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों) भले ही—

(i) ऐसे क्रियाकलाप को करने के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं ; या

(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो या नहीं, —

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आता है,—

(क) किसी पूर्त, सामाजिक या परोपकारी सेवाओं में पूर्णत: या सारत: लगे संगठनों के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रबंधित संस्थाएं ; या

(ख) समुचित सरकार के प्रभुत्व सम्पन्न कृत्यों से समुचित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उन विभागों द्वारा चलाए जा रहे सभी क्रियाकलाप हैं जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी कार्य कर रहे हैं ; या

(ग) कोई घरेलू सेवा ; या

(घ) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(यङ) "निरीक्षक-सह-सुकारक" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक-सह-सुकारक अभिप्रेत है ;

(यच) "अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में नियोजित है और ऐसे नियोजन के लिए किसी करार या अल्पठहराव के अधीन—

(i) एक राज्य के नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ठेकेदार के माध्यम से दूसरे राज्य में स्थित ऐसे किसी स्थापन में नियोजन के लिए भर्ती किया गया है ; या

(ii) स्वयं एक राज्य से आया है और दूसरे राज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् गन्तव्य राज्य कहा गया है) के स्थापन में नियोजन अभिप्राप्त किया है या बाद में गन्तव्य स्थान के भीतर स्थापन का परिवर्तन कर लिया है,

और जो प्रति मास अठारह हजार रुपए से अधिक या ऐसी उच्चतर रकम की मजदूरी प्राप्त करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए ;

(यछ) "मशीनरी" से संयोजित, व्यवस्थित या जूड़ी हुई कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह अभिप्रेत है और जो किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा के किसी भी रूप को संपरिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है अथवा ऊर्जा के किसी भी रूप को विकसित करने, प्राप्त करने, भंडारण करने, अन्तर्विष्ट करने, सीमित करने, रूपान्तरित करने, प्रसारण करने, अन्तरण करने या नियंत्रण करने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग के लिए आशयित है, चाहे वह आनुषंगिक हो या नहीं ;

(यज) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (8) में यथा परिभाषित कोई महापत्तन अभिप्रेत है ; 1908 का 15

(यझ) "विनिर्माण प्रक्रिया" से अभिप्रेत है—

(i) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(ii) तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(iii) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

(iv) कंपोज करने, मुद्रण करने, लेटरप्रेस द्वारा मुद्रण करने, लिथोग्राफी, आफ-सेट, फोटो ग्रेब्यूर स्क्रीन मुद्रण, तीन आयाम या चार आयाम वाला मुद्रण, प्रोटो टाइपिंग, फ्लैग्सोग्राफी या मुद्रण प्रक्रिया के अन्य प्रकारों या जिल्द-साजी करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(v) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनःसन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनःफिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

(vi) शीतागार में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(vii) कोई अन्य प्रक्रिया जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(यञ) "चिकित्सा अधिकारी" से धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है ;

2002 का 60

(यट) "मेट्रो रेल" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (i) में यथा परिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है ;

(यठ) "खान" से कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई गई है या चलाई जा रही है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत आते हैं—

(i) सब बोरिंग, बोर छिद्र, तेल कूप और समनुषंगिक अपरिष्कृत अनुकूलन संयंत्र जिनके अन्तर्गत तेल क्षेत्रों के भीतर खनिज तेल ले जाने वाला पाइप भी है ;

(ii) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब कूपक, चाहे वे गलाए जा रहे हों या नहीं ;

(iii) अनुखनन के अनुक्रम में सब समतलिकाएं और आगत समतथ ;

(iv) सब विवृत खनिज ;

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबंधित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग ;

(vi) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब एडिट, समतलिकाएं, समपथ, मशीनरी, संकर्म, रेल, ट्रामवेल और साइडिंग ;

(vii) खान में या उसके पार्श्वस्थ चलाए जाने वाले सब संरक्षा संकर्म ;

(viii) वे सब कर्मशालाएं और स्टोर जो खान की प्रसीमाओं के भीतर स्थित हैं और एक ही प्रबंध के अधीन हैं और मुख्यतया उस खान से या उसकी प्रबंध के अधीन की गई खानों से संसक्त प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं ;

(ix) उस खान या उसी प्रबंध के अधीन की गई खानों के ही या मुख्यता उनके कार्यकरण के प्रयोजनार्थ विद्युत प्रदाय के लिए सभी विद्युत केन्द्र, ट्रांसफार्मर उप-केन्द्र, परिवर्तित केन्द्र, रेक्टीफायर केन्द्र और एक्यूमुलेटर स्टोरेज केन्द्र ;

(x) खान के स्वामी के अन्य अधिभोग में के कोई परिसर जो बालू या खान में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ जमा करने अथवा खान का कचरा डालने के लिए तत्समय उपयोग में लाए जा रहे हैं या जिनमें ऐसी बालू, कचरे या अन्य पदार्थ के संबंध में कोई संक्रियाएं चलाई जा रही हैं ;

(xi) ऐसे परिसर जो खान में है या उसके पार्श्वस्थ हैं और खान के हैं जिस पर खनिजों या कोक की प्राप्ति, दरेसी या विक्रयार्थ तैयारी की अनुषंगी कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है ;

(xii) सरकार द्वारा स्वामित्व कोई खान ;

(यड) "खनिज" से वे सब पदार्थ अभिप्रेत हैं जो भूमि से खनन, खोदने, बर्माने, झमाई, जल-प्रथार खनन, खदान-क्रिया या किसी अन्य संक्रिया द्वारा

अभिप्राप्त किए जा सकते हैं और इसके अन्तर्गत खनिज तेल (प्राकृतिक गैस और पैट्रोलियम) आते हैं ;

(यढ) "मोटर परिवहन उपक्रम" से वह मोटर परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा यात्रियों या मालों या दोनों का भाड़े या इनाम के लिए मोटर परिवहन कर्मकार को रोजगार देने और वहन करने में लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत प्राइवेट वाहक भी आता है ;

(यण) "मोटर परिवहन कर्मकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिवहन यान पर वृतिक हैसियत में काम करने के लिए या ऐसे परिवहन यान के आगमन, प्रस्थान और उस पर लदाई या उससे उतराई के संबंध में कर्तव्य करने के लिए, चाहे मजदूरी पर या मजदूरी के बिना, सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित है और इसके अन्तर्गत ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन कर्मचारिवृन्द, लाइन चैकिंग कर्मचारिवृन्द, बुकिंग क्लर्क, रोकड़ क्लर्क, डिपो क्लर्क, टाइमकीपर, चौकीदार या परिचर भी आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आतें—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो कारखाने में नियोजित है ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे दुकानों या वाणिज्यिक स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंध लागू होते हैं ;

(यत) "समाचारपत्र" से ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणियां हों और इसके अन्तर्गत छपी हुई नियतकालिक कृति का ऐसा अन्य वर्ग भी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(यथ) "समाचारपत्र स्थापन" से एक या अधिक समाचार पत्रों के संयोजन या प्रकाशन के लिए या कोई समाचार एजेन्सी या सिंडिकेट चलाए जाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे वह निगमित हो या नहीं, नियंत्रण के अधीन कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे समाचार पत्र स्थापन भी हैं जिन्हें एक स्थापन समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) सामान्य नियंत्रण के अधीन दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन ;

(ii) किसी व्यष्टि और उसके पति या उसकी पत्नी के स्वामित्वाधीन दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन, जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जाता कि ऐसा पति या पत्नी अपनी व्यष्टिक निधियों के आधार पर किसी निगमित निकाय का या की एक मात्र स्वत्वधारी या भागीदार या शेयर धारक है ;

(iii) ऐसे दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन, जो एक ही या समरूप नाम वाले समाचारपत्र है और एक ही भाषा में भारत में किसी स्थान में अथवा एक ही या समरूपनाम वाले समाचारपत्र उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं ।

स्पष्टीकरण 1—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक स्थापनों को सामान्य नियंत्रण के अधीन समझा जाएगा, जहां—

(क) (i) समाचारपत्र स्थापन सामान्य व्यष्टि या व्यष्टियों के ;

(ii) समाचारपत्र स्थापन फर्मों के स्वामित्व में है यदि ऐसी फर्मों के पर्याप्त संख्या में भागीदार सामान्य हैं ;

(iii) समाचारपत्र स्थापन निगमित निकायों के स्वामित्व में है, यदि एक निगमित निकाय अन्य निगमित निकाय का समनुषंगी है या दोनों सामान्य नियंत्री कंपनी के समनुषंगी है या उसके पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्व में है ;

(iv) एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा किसी फर्म के स्वामित्व में है, यदि पर्याप्त संख्या में उस फर्म के भागीदार एक साथ मिल कर निगमित निकाय के साधारण शेयर पर्याप्त संख्या में धारण करते हैं ;

(v) एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा ऐसी फर्म के स्वामित्व में है, जिसके भागीदार निगमित निकाय है, यदि ऐसे निगमित निकायों के पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्व में है ; या

(ख) संबंधित समाचारपत्र स्थापनों में कृत्यात्मक समग्रता है ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) समाचारपत्र स्थापनों के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उनका भाग समझा जाएगा ;

(ii) मुद्रणालय समाचारपत्र स्थापन समझा जाएगा, यदि उसका मुख्य कारबार समाचारपत्र मुद्रित करना है ;

(यद) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार "अधिसूचित" पद का उसके व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पदों के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(यध) कारखाने के "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है :

परन्तु—

(i) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य ;

2013 का 18

(ii) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थान्तर्गत किसी स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर निदेशकों में से कोई एक निदेशक ;

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए कारखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को,

अधिष्ठाता समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी पोत की दशा में, जिसकी मरम्मत की जा रही है या जिस पर अनुरक्षण कार्य ऐसे सूखे डॉक में किया जा रहा है, जो भाड़े पर उपलब्ध है, डॉक के स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा, सिवाय उन विषयों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे पोत की दशा में, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं जिसके लिए पोत के स्वामी को अधिष्ठाता समझा गया है ;

(यन) "खान का कार्यालय" से संपृक्त खान के वहिस्थल पर का कोई कार्यालय अभिप्रेत है ;

(यप) "विवृत्त खनिज" से खादान अर्थात् कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है और जो न कूपक है न ऐसा उत्खात है जिसका विस्तार उपरिस्थ भूमि के नीचे है ;

(यफ) किसी स्थापन या उसके किसी भाग के प्रति निर्देश से "सामान्य रूप से नियोजित" से किसी स्थापन या उसके किसी भाग में, पूर्ववर्ती क्लैंडर वर्ष के दौरान प्रतिदिन नियोजित औसत व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्राम के दिनों और अन्य उन दिनों को जिन दिनों काम बन्द रहा है को अपवर्जित करते हुए कार्य दिवसों में की संख्या में एक दिन में काम किए गए व्यक्तियों को भाग देकर अभिप्राप्त होगी ;

(यब) "स्वामी" से किसी खान के संबध में प्रयुक्त, कोई ऐसा व्यक्ति, जो खान या उसके किसी भाग का अव्यवहित स्वत्वधारी, पट्टेदार या अधिभोगी है, और ऐसी खान की दशा में, जिसका कारबार समापक या रिसीवर द्वारा चलाया जा रहा है, वह समापक या रिसीवर अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, जो उस खान से केवल स्वामिस्व, भाटक या नजराना प्राप्त करता है, या ऐसी खान का स्वत्वधारी मात्र है, जो कार्यकरण के लिए किसी पट्टे, अनुदान या अनुज्ञप्ति के अध्यधीन है या केवल मृदा का स्वामी है और उस खान के खनिजों में हितबद्ध नहीं है ; किन्तु खान या उसके किसी भाग के कार्यकरण का कोई ठेकेदार या उप-पट्टेदार उसी प्रकार से इस संहिता के अध्यधीन होगा मानो वह स्वामी हो, किन्तु इस प्रकार नहीं कि स्वामी को किसी दायित्व से छूट मिल जाए ;

(यभ) "बागान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई भूमि, जो निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है—

(i) चाय, काफी, रबड़, सिंकोना या इलायची उगाने के लिए जिसकी माप पांच हेक्टेयर या अधिक है ;

(ii) कोई अन्य पौधा उगाने के लिए है, जिसकी माप पांच हेक्टेयर या अधिक है और जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् यदि ऐसा निदेश दे, पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन व्यक्ति नियोजित किए गए हैं या नियोजित किए गए थे ;

स्पष्टीकरण—जहां इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी पौधे के उगाने के लिए प्रयुक्त भूमि के किसी भाग की माप पांच हेक्टेयर से कम है और जो

किसी अन्य ऐसी भूमि के टुकड़े से संलग्न है जिसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है किन्तु वह इस प्रकार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है और भूमि के ऐसे दोनों टुकड़े एक ही नियोजन के प्रबंध के अधीन हैं वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए पहले वर्णित भूमि के टुकड़े को बागान समझा जाएगा यदि भूमि के ऐसे टुकड़े के कुल क्षेत्र की माप पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है ; और

(ख) कोई ऐसी भूमि इस बात के होते हुए भी कि उसकी माप पांच हेक्टेयर से कम है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी पौधे को उगने के लिए घोषित की जाए और जिसका उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है :

परन्तु ऐसी कोई घोषणा उस भूमि के संबंध में नहीं की जाएगी जिसकी माप इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले पांच हेक्टेयर से कम थी ; और

(ग) कार्यालय, अस्पताल, औषधालय, विद्यालय और उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अर्थान्तर्गत किसी बागान से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य परिसर, किन्तु इसके अन्तर्गत परिसर पर कोई कारखाना नहीं है ;

(यम) "विहित" से इस संहिता के अधीन समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(यय) "प्रधान नियोजक" से जहां कोई ठेका श्रमिक नियोजित या लगाया जाता है—

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में उस कार्यालय या विभाग का प्रधान या अन्य ऐसा अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) किसी कारखाने में उस कारखाने का स्वामी या अधिष्ठाता और जहां कोई व्यक्ति उस कारखाने का प्रबंधक नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ;

(iii) किसी खान में, उस खान का स्वामी या अभिकर्ता ;

(iv) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ;

(ययक) दृश्य-श्रव्य निर्माण के संबंध में "निर्माता" से वह कंपनी, फर्म या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा ऐसे दृश्य-श्रव्य निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है (उसके अंतर्गत वित्त की व्यवस्था और दृश्य-श्रव्य के निर्माण के लिए दृश्य-श्रव्य कामगारों को लगाना भी है);

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" और "फर्म" शब्दों का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में क्रमश: उनका है ;

2013 का 18
1932 का 9

(ययख) "अर्हित आयुर्विज्ञान व्यवसायी" से ऐसा आयुर्विज्ञान व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) में यथा परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है और

1956 का 102

जो उक्त धारा के खंड (ङ) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सक रजिस्टर और खंड (ठ) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित है ;

(ययग) "रेल" से रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 31 में यथा परिभाषित रेल अभिप्रेत है ; 1989 का 24

(ययघ) "टोली" से दिन की विभिन्न अवधियों के दौरान समान कार्य करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों का सैट अभिप्रेत है और प्रत्येक ऐसी अवधि "पारी" कहलाती है ;

(ययङ) "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" से किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रय या कारबार के संवर्धन से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए भाड़े पर या पारिश्रमिक पर किसी स्थापन में नियोजित या लगा हुआ है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो—

(i) पर्यवेक्षक की हैसियत से नियोजित या लगा हुआ है, पंद्रह हजार रुपए मासिक से अधिक या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, मजदूरी प्राप्त करता है; या

(ii) मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत से नियोजित या लगा हुआ है ;

(ययच) "अनुसूची" से इस संहिता से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ययछ) "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जिसमें शरीर के किसी भाग या हिस्से की स्थायी हानि अथवा शरीर के किसी भाग या हिस्से के उपयोग की स्थायी हानि, अथवा दृष्टि या श्रवण क्षमता की स्थायी हानि या क्षति या कोई स्थायी शारीरिक अक्षमता अथवा किसी अस्थि या एक या अधिक संयोजनों का टूटना या हाथ अथवा पैर की अंगुलास्थियों का टूटना अंतर्वलित है या पूर्णत: अंतर्वलित होना संभाव्य है;

(ययज) "मानक", "विनियम", "नियम", "उपविधि" और "आदेशों" से क्रमश: इस संहिता के अधीन बनाए गए मानक, विनियम, नियम, उपविधि और किए गए आदेश या घोषणा अभिप्रेत है ;

(ययझ) "दूर-संचार सेवा" से भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में यथापरिभाषित दूर-संचार सेवा अभिप्रेत है ; 1997 का 24

(ययञ) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त अथवा अभिव्यक्त हो सकने वाले ऐसे सभी पारिश्रमिक चाहे वह वेतन, भत्तों के रूप में हो या अन्यथा अभिप्रेत हो जो यदि किसी नियोजित को नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेय होता और निम्नलिखित इसके अंतर्गत आते हैं—

(i) मूल वेतन ;

(ii) मंहगाई भत्ता ; और

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हों ;

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी सेवा का मूल्य जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित है ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज, जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय के चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़े ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच के किसी अधिनिर्णय या समझौते अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकाल भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेय कोई उपदान ;

(ट) किसी कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या कोई अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन के पर्यवसान होने पर उसे कोई अनुग्रहपूर्वक किया गया संदाय :

परंतु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए यदि उपखंड (क) से उपखंड (झ) के अधीन कर्मचारी को नियोजक द्वारा किए गए संदाय, इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिक के एक बटा दो या ऐसे अन्य प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से अधिक है, उस रकम को, जो एक बटा या इस प्रकार अधिसूचित रकम के दो प्रतिशत से अधिक है, पारिश्रमिक के रूप में समझा जाएगा और तदनुसार इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ा जाएगा :

परंतु यह और कि सभी लिंगों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए उपखंड (घ), उपखंड (च), उपखंड (छ) और उपखंड (ज) में निर्दिष्ट उपलब्धियां मजदूरी की संगणना के लिए ली जाएंगी ;

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को, उसके नियोजक द्वारा वस्तु के रूप में कोई पारिश्रमिक उसको संदेय संपूर्ण मजदूरी या उसके भाग के बदले दिया जाता है, वहां वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का भागरूप समझी जाएगी ;

(ययट) "सप्ताह" से शनिवार रात्रि की मध्यरात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदित किए जाएं, को आरंभ होने वाली सात दिनों की अवधि अभिप्रेत है ;

(ययठ) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में भाड़े पर या पारिश्रमिक के बदले में कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, प्रचालन संबंधी, लिपिकीय या पर्यवेक्षण संबंधी कार्य में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और इसके अंतर्गत कार्यरत पत्रकार और

विक्रय संवंर्धन कर्मचारी भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो—

(i) वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है ; या 1950 का 45 1950 का 46 1957 का 62

(ii) पुलिस सेवा में या कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो ; या

(iii) मुख्यत: प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत से नियोजित हो ; या

(iv) प्रतिमास अठारह हजार रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रकम से अधिक है मजदूरी पाने वाला पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित हो ;

(ययड) "कार्यरत पत्रकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका मुख्य रोजगार पत्रकार का है और जो इस हैसियत से या तो पूर्णकालिक एक या अधिक समाचारपत्र स्थापनों अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया से संबंधित अन्य स्थानों में नियोजित है, जैसे समाचारपत्र या रेडियो या वैसे ही अन्य मीडिया और इसके अंतर्गत संपादक, अग्रलेख लेखक, समाचार संपादक, उपसंपादक, फीचर लेखक, प्रकाशन-विवेचक, समाचारदाता, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफ रीडर है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यत, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षीय या प्रशासकीय हैसियत से नियोजित है ।

(2) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए खान में या उसके संबंध में कार्यरत या नियोजित कोई व्यक्ति,—

(क) "भूमि के नीचे" यदि वह—

(i) शैफ्ट में कार्यरत या नियोजित है, जो डूबी हुई है या डूबने के अनुक्रम में है; या

(ii) किसी खुदाई में कार्यरत या नियोजित है जो उपरिवर्ती भूमि के नीचे विस्तारित है कार्यरत या नियोजित कहा जाएगा ; और

(ख) "भूमि के ऊपर" यदि वह किसी विवृत खनिज में कार्यरत है या किसी अन्य रीति में जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट नहीं है ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) ऐसे किसी स्थापन का,—

(क) जो इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् अस्तित्व में आया है ; और

(ख) जिसे यह संहिता लागू होगी, इस संहिता के ऐसे लागू होने के साठ दिन के भीतर,

प्रत्येक नियोजक ऐसे स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकार कहा गया है) को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई ऐसे किसी आवेदन को ऐसी विलंब फीस के साथ स्वीकार कर सकेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के

नियोजन से संबंधित सूचना सहित ऐसी रीति में, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थापन को रजिस्टर करेगा और उसके नियोजक को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इलैक्ट्रानिक रूप में जारी करेगा :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस प्रकार किए गए या स्वीकार किए गए आवेदन के अधीन विहित अवधि के भीतर स्थापन को रजिस्टर करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन इस संहिता के अधीन ऐसी अवधि की समाप्ति पर तुरंत रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का इलैक्ट्रानिक प्रमाणपत्र स्वत: सृजित हो जाएगा और ऐसी असफलता का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर होगा ।

(4) इस संहिता के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् स्वामित्व या प्रबंधन में होने वाला या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विशिष्टि में होने वाला कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियोजक द्वारा ऐसे प्ररूप में, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में सूचित किया जाएगा और उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में इलैक्ट्रानिक रूप में संशोधन करेगा ।

(5) स्थापन का नियोजक, स्थापन के बंद होने के तीस दिन के भीतर—

(क) ऐसे स्थापन के बंद होने की सूचना देगा; और

(ख) ऐसे स्थापन में नियोजित कर्मकारों के सभी बकाया के संदाय को,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रमाणित करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना और प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर उसके द्वारा रखे गए स्थापनों के रजिस्टर से ऐसे स्थापन को हटा देगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर स्थापन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे साठ दिन के भीतर इस उपधारा के अधीन स्थापन के प्रमाणपत्र को रद्द करने में असफल रहता है, तो इस संहिता के अधीन ऐसे स्थापन के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र साठ दिन की ऐसी अवधि की समाप्ति पर तुरंत रद्द हुआ समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण स्वत: सृजित हो जाएगा और ऐसी असफलता का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर होगा ।

(6) यदि किसी स्थापन के किसी नियोजक ने,—

(क) अपने स्थापन का रजिस्ट्रीकरण मिथ्या व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया है ; या

(ख) अपने स्थापन का रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार कपटपूर्वक या अन्यथा अभिप्राप्त किया है कि रजिस्ट्रीकरण स्थापन को चलाने के लिए अनुपयोगी या अप्रभावी हो गया है, तो खंड (क) की दशा में ऐसे मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्त्विक तथ्य के छिपाए जाने को स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और चलाए जाने को प्रभावित किए बिना धारा 94 के अधीन नियोजक के अभियोजन के लिए इस संहिता के उपबंधों का उल्लंघन समझा जाएगा और खंड (ख) की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थापन नियोजक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के

पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को आदेश द्वारा प्रतिसंहरित कर सकेगा और प्रतिसंहरण की ऐसी प्रक्रिया ऐसे अधिकारी द्वारा खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तथ्यों की उसकी जानकारी में आने से साठ दिन के भीतर पूरी की जाएगी ।

(7) किसी स्थापन का कोई नियोजक, जिसने—

(क) इस धारा के अधीन स्थापन को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है ; या

(ख) उपधारा (6) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण या उपधारा (5) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के विरुद्ध धारा 4 के अधीन अपील नहीं की है या इस प्रकार की गई अपील खारिज कर दी गई है,

स्थापन में किसी कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा ।

(8) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा स्थापन, जिसे यह संहिता लागू होती है, किसी—

(क) केन्द्रीय श्रम विधि के अधीन ; या

(ख) किसी अन्य ऐसी विधि जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और जो ऐसे स्थापन को लागू होती है जो इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान है,

पहले से रजिस्ट्रीकृत है, को इस शर्त के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकरण धारक, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा ।

अपील ।

4. (1) धारा 3 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, अपील अधिकारी को अपील करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई व्यक्ति होगा:

परंतु अपील अधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय से अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

नियोजक द्वारा प्रचालन के प्रारंभ तथा बंद होने का नोटिस ।

5. (1) कारखाना या खदान या ठेका श्रम अथवा भवन या अन्य संनिर्माण संकर्म से संबंधित स्थापन का कोई नियोजक ऐसे स्थापन को किसी उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका का प्रचालन प्रारंभ करने के ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, ऐसे प्रयोजन के लिए नोटिस भेजे बिना उपयोग नहीं करेगा तथा उक्त प्राधिकारी को उसके ऐसे बंद होने को ऐसी रीति में शीघ्र ही सूचित भी करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस या सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी ।

अध्याय 3

नियोजक और कर्मचारियों, आदि के कर्तव्य

नियोजक के कर्तव्य ।

6. (1) प्रत्येक नियोजक—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल उन परिसंकटों से मुक्त है जो

कर्मचारियों को क्षति या उपजीविकाजन्य रोग उत्पन्न करते हैं या करने की संभावना है ;

(ख) इस संहिता की धारा 18 या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों या आदेशों के अधीन घोषित उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करेगा ;

(ग) स्थापनों में ऐसी आयु के ऐसे कर्मचारियों की या कर्मचारियों के ऐसे वर्ग की या स्थापनों के ऐसे वर्ग की ऐसी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(घ) जहां तक युक्तियुक्त तौर पर साध्य हो, कार्य संबंधी वातावरण का प्रबंध करेगा और उसे बनाए रखेगा जिससे कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित और जोखिम के बिना हो ;

(ङ) परिसंकटमय और विषैले अपशिष्ट के निपटान को सुनिश्चित करेगा, जिसके अंतर्गत ई-अपशिष्ट का निपटान भी है ;

(च) स्थापन में प्रत्येक कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के संबंध में ऐसी जानकारी के साथ और ऐसे प्ररूप में जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, नियुक्ति पत्र जारी करेगा और जहां किसी कर्मचारी को इस संहिता के प्रारंभ को या उससे पूर्व ऐसा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे प्रारंभ के तीन मास के भीतर, ऐसा नियुक्ति पत्र जारी करेगा ;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को अनुरक्षित करने के लिए कोई बात जो की गई है या जिसके किए जाने का उपबंध किया गया है, के संबंध में किसी कर्मचारी पर कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत उपजीविकाजन्य रोगों को पता लगाने के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और अन्वेषण भी है ;

(ज) कारखाना, खान, डॉक कार्य, भवन या अन्य निर्माण कार्य या बागान संबंधी कर्मचारियों, कर्मकारों और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा जो, यथास्थिति, उसकी जानकारी में या जानकारी के बिना नियोजक के कार्यस्थल पर हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशिष्टतया कारखाने, खदान, डॉक, भवन या अन्य निर्माण कार्य अथवा बागान के संबंध में नियोजक के कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा—

(क) संयंत्र और कार्यस्थल पर कार्यतंत्र का उपबंध और अनुरक्षण, जो सुरक्षित तथा स्वास्थ्य को जोखिम के बिना है ;

(ख) वस्तुओं और पदार्थों के उपयोग, हथालन, भण्डारण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य के जोखिम के अभाव हेतु कार्यस्थल पर व्यवस्थाएं;

(ग) ऐसी सूचना, निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के उपबंध जो कार्य पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ;

(घ) कार्यस्थल पर कार्य के सभी स्थानों का ऐसी दशा में अनुरक्षण जो सुरक्षित तथा स्वास्थ्य की जोखिम के बिना हो और ऐसे स्थानों पर पहुंच तथा निकास के लिए ऐसे साधनों का उपबंध और अनुरक्षण, जो सुरक्षित और ऐसे जोखिम के बिना हो ;

(ङ) कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर ऐसे कामकाजी वातावरण का उपबंध, अनुरक्षण या मानीटरी करना, ताकि काम पर उनके कल्याण के लिए सुविधाओं और इंतजामों के संबंध में स्वास्थ्य से सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो ।

खान के संबंध में स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व ।

7. (1) प्रत्येक खान का स्वामी और अभिकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग वित्तीय और अन्य उपबंध करने के लिए और इस संहिता के उपबंधों तथा इसके अधीन खान के संबंध में बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों और आदेशों के अनुपालन के लिए और ऐसे अन्य उपायों के लिए जो आवश्यक हो, उत्तरदायी होगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संहिता या उसके अधीन खान के संबंध में बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों या किए गए आदेशों के उल्लंघन किए जाने पर सिवाय उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से किसी व्यक्ति से कोई कार्य या चीज के लिए अपेक्षा की गई है या किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य या चीज से प्रतिषिद्ध करे इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जिसने उल्लंघन किया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसे उल्लंघन का दोषी माना जाएगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसने ऐसे उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी और ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त उपाय किए थे, अर्थात् :—

(क) उल्लंघन किए गए उपबंधों की बाबत पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी या पदधारी ;

(ख) खान का प्रबंधक ;

(ग) खान का स्वामी और अभिकर्ता ;

(घ) धारा 24 के अधीन उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, यदि कोई हो ।

(3) इस धारा के अधीन खान के स्वामी या अभिकर्ता के विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई में यह कोई प्रतिवाद नहीं होगा कि प्रबंधक और अन्य पदधारियों को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति की गई है या धारा 24 के अधीन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है ।

विनिर्माता, रूपकार, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता का कर्तव्य ।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी स्थापन में उपयोग के लिए किसी वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है,—

(क) जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, यह सुनिश्चित करेगा कि स्थापन में उस वस्तु को इस प्रकार से डिजाइन और सन्निर्मित किया जाए कि जब उसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तब वह सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो ;

(ख) स्थापन में ऐसे परीक्षण और परीक्षा करेगा या करने की व्यवस्था करेगा जो खंड (क) के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाए ;

(ग) ऐसा उपाय करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि—

(i) किसी स्थापन में वस्तु के उपयोग के संबंध में ;

(ii) उस उपयोग के बारे में जिसके लिए वस्तु को डिजाइन और परीक्षण किया गया है ; और

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किन्हीं शर्तों के बारे में जब उस वस्तु का उचित रूप से ऐसे उपयोग किया जाए तब वह सुरक्षित

और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो,

की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होगी :

परंतु जहां वह वस्तु भारत के बाहर डिजाइन या विनिर्मित की गई है वहां आयातकर्ता की ओर से यह देखना बाध्यकर होगा कि—

(अ) यदि ऐसी वस्तु भारत में विनिर्मित की जाती है तो वस्तु उन्हीं मानकों के अनुरूप है ; या

(आ) यदि ऐसी वस्तु के विनिर्माण के लिए भारत के बाहर देश में अंगीकृत मानक, भारत में अंगीकृत मानकों से ऊपर है तो वस्तु ऐसे देश में ऐसे मानकों के अनुरूप है ; या

(इ) यदि भारत में ऐसी वस्तुओं के मानक नहीं है, तो वस्तु देश में अंगीकृत मानकों के अनुरूप है जहां से इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयात किया गया है ।

(2) डिजाइनर, विनिर्माता, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता ऐसे कर्तव्यों का भी अनुपालन करेंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार, धारा 16 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के परामर्श से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु और पदार्थ को डिजाइन या विनिर्मित करने का जिम्मा लेता है वह पता लगाने की दृष्टि से और, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, कर्मकारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किन्हीं जोखिमों को, जो ऐसे वस्तु या पदार्थ के डिजाइन या विनिर्माण से जोखिम उत्पन्न हो सकती है, दूर हटाने या कम करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कर सकेगा या कराने की व्यवस्था कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति से ऐसा परीक्षण, परीक्षा या अनुसंधान पुन: करने की अपेक्षा करती है, जो उनके द्वारा या उसकी प्रेरणा से नहीं अपितु अन्यथा किया गया है किंतु ऐसा तब जब उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए उनके परिणामों पर निर्भर करना उचित है ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का विस्तार केवल उसके द्वारा किए जा रहे कारबार के अनुक्रम में और उसके नियंत्रण के अधीन विषयों के बारे में की गई बातों तक होगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) जो कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु को परिनिर्मित या स्थापित करता है, जहां तक साध्य है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी वस्तु जो परिनिर्मित या स्थापित है, जब वह वस्तु ऐसे कारखाने में व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, असुरक्षित या जोखिम वाली न हो ;

(ख) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी पदार्थ का विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है—

(i) वह सुनिश्चित करेगा कि जहां तक साध्य है, ऐसे पदार्थ से, जब कारखाने में प्रयुक्त किया जाए, ऐसे कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित या जोखिम भरा न हो ;

(ii) यदि आवश्यक हो, ऐसे पदार्थ के संबंध में ऐसे परीक्षण और परीक्षा कराने के लिए कार्यान्वित करेगा या व्यवस्था करेगा ;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ऐसे पदार्थ के उपयोग के संबंध में कार्यान्वित किए गए परीक्षणों के परिणामों के बारे में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए इसके सुरक्षित उपयोग और जोखिम रहित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ कारखाने में उपलब्ध है ;

(ग) किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी पदार्थ को विनिर्मित करने का जिम्मा लेता है, यह पता लगाने की दृष्टि से और, जहां तक साध्य हो, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किन्हीं जोखिमों को, जो ऐसे विनिर्माण या अनुसंधान से उत्पन्न हो सकती है, दूर हटाने या कम करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुसंधान करेगा या कराने की व्यवस्था करेगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु और पदार्थ को उचित रूप से उपयोग किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उसके प्रयोग से संबंधित किसी जानकारी या सलाह को, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने उस वस्तु या पदार्थ का डिजाइन, विनिर्मित, आयात या प्रदाय किया है, उपलब्ध कराई गई है, ध्यान में रखे बिना उसका प्रयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "वस्तु" के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी भी है ;

(ख) "पदार्थ" से ऐसा प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, जो ठोस या द्रव रूप में या गैस या वाष्प रूप में हो, अभिप्रेत है; और

(ग) "किसी कारखाने में उपयोग के लिए पदार्थ" से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों के उपयोग के लिए आशयित है या नहीं ।

वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर और रूपकार के कर्तव्य ।

9. (1) वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर और रूपकार का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित उसकी किसी परियोजना या उसके भाग के किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य या डिजाईन को सुनिश्चित करने के लिए जो ऐसी परियोजना और निर्मिति जैसा भी मामला हो, के निर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित हैं, भवन कर्मकार और कर्मचारियों को योजना प्रक्रम पर, सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू पर सम्यक् ध्यान दिया गया है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजना में अंतर्वलित वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर, और अन्य वृत्तिक द्वारा पर्याप्त देख-रेख किया जाएगा, जो निर्माण, प्रचालन और निष्पादन, जैसी भी दशा हो, के दौरान भवन कर्मकार और कर्मचारियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरनाक निर्माण या अन्य प्रक्रियाओं या तत्वों का, परिसंकटमय का उपयोग सम्मिलित होगा, जिसके डिजाइन में कोई चीज सम्मिलित नहीं होगी ।

(3) भवन निर्माणों या अन्य निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन में अंतर्वलित वृत्तिकों का यह कर्तव्य होगा कि निर्माणों और भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव के साथ सहयुक्त सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखें जहां अनुरक्षण और रखरखाव में ऐसा विशेष परिसंकट अंतर्वलित हो जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना ।

10. (1) जहां किसी स्थापन के किसी भी स्थान में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जिससे मृत्यु कारित होती है या जिससे कोई शारीरिक क्षति कारित होती है जिसके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना होने के ठीक पश्चात् अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य करने से निवारित हो जाता है या जो ऐसी प्रकृति की है जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए वहां नियोजक, उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारी को

ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर देगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए—

(क) ऐसे स्थापन, यदि वह खान है कि धारा 67 में निर्दिष्ट नियोजक या स्वामी या एजेंट या प्रबंधक ; या

(ख) ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक या प्रबंधक यदि यह कारखाना या डॉक कार्य से संबंध रखता है ; या

(ग) भवन या अन्य निर्माण या ऐसे अन्य स्थापन से संबंधित किसी बागान या किसी स्थापन का नियोजक ।

(2) जहां किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य या किसी अन्य स्थापन से संबंधित बागान या किसी स्थापन में दुर्घटना से मृत्यु कारित होने से संबंधित उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई है तो प्राधिकारी जिसे सूचना भेजी गई है, सूचना की प्राप्ति के दो मास के भीतर घटना की जांच करेगा या यदि ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक उक्त अवधि के भीतर जांच करेगा ।

कतिपय खतरनाक घटनाओं की सूचना ।

11. जहां किसी स्थापन में ऐसे प्रकृति की कोई खतरनाक घटना हो जाए, (जिससे चाहे शारीरिक क्षति या नि:शक्तता हो जाती हो या न होती हो), वहां नियोजक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर भेजेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

कतिपय रोगों की सूचना ।

12. (1) जहां किसी स्थापन में किसी कर्मकार को तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग हो जाए वहां स्थापन का नियोजक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर भेजेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) यदि कोई अर्हित चिकित्सा व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है, जो किसी स्थापन में नियोजित है या रहा है और जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है तो चिकित्सा व्यवसायी अविलंब एक लिखित रिपोर्ट समुचित सरकार द्वारा विहित ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के कार्यालय में भेजेगा ।

(3) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों का कर्तव्य ।

13. कार्यस्थल पर प्रत्येक कर्मचारी—

(क) स्वयं की और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का युक्तियुक्त ध्यान रखेगा, जो कार्यस्थल पर उसके कृत्य या लोप द्वारा प्रभावित हो सकते हैं;

(ख) मानकों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा और स्वास्थ्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(ग) संहिता के अधीन नियोक्ता के कानूनी दायित्वों को पूरा करने में नियोजक का सहयोग करेगा ;

(घ) किसी ऐसी स्थिति की रिपोर्ट, जो उसके विचार में असुरक्षित या अस्वस्थ है अपने नियोजक या स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि को यथासाध्य शीघ्रता से करेगा और खान की दशा में, धारा 67 में निर्दिष्ट एजेंट या प्रबंधक को, अपने कार्यस्थल या उसके किसी खंड के लिए सुरक्षा अधिकारियों या पदधारियों को, जैसी भी स्थिति हो, वह उसकी रिपोर्ट ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नियोजक को देगा ;

(ङ) कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कार्यस्थलों पर प्रदान किया गया कोई साधित्र, सुविधा या अन्य चीज के साथ जानबूझकर हस्तक्षेप या उसका दुरुपयोग या उसकी उपेक्षा नहीं करेगा ;

(च) जानबूझकर और बिना युक्तियुक्त कारण के, कोई कार्य नहीं करेगा जिससे स्वयं को या दूसरों को संकटापन्न करने की संभावना हो ; और

(छ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों को पूरा करेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

कर्मचारी के अधिकार ।

14. (1) किसी स्थापना में प्रत्येक कर्मचारी को कार्य पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियोजक से सूचना अभिप्राप्त करने का और नियोजक से सीधे या धारा 22 के अधीन यथागठित सुरक्षा समिति के सदस्य के माध्यम से यदि ऐसे प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा गठित की गई हो, कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य की बाबत संरक्षण के लिए अपर्याप्त उपबंधों के लिए अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो निरीक्षक-सह-सुकारक को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा ।

(2) जहां, किसी कार्यस्थल पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के पास इस बात की युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी आसन्न गंभीर शारीरिक क्षति या मृत्यु की या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना है तो वह सीधे या उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा समिति के सदस्य के माध्यम से उसे नियोजक की सूचना में लाएगा और साथ ही उसे निरीक्षक-सह-सुकारक की सूचना में भी लाएगा ।

(3) नियोजक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, यदि उसका ऐसे आसन्न संकट की विद्यमानता के संबंध में समाधान हो जाता है और वह तुरंत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसी रीति में भेजेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट नियोजक का उसके कर्मचारियों द्वारा आसन्न संकट की संभावना की विद्यमानता के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह तुरंत मामले को निरीक्षक-सह-सुकारक को निर्दिष्ट करेगा जिसका ऐसे आसन्न संकट की विद्यमानता के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

चीजों के साथ हस्तक्षेप न करने या उनका दुरुपयोग न करने का कर्तव्य ।

15. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बिना सोचे विचारे किसी चीज को, जो इस संहिता के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के हित में उपलब्ध कराई गई है, के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसका दुरुपयोग नहीं करेगा ।

अध्याय 4

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, इस संहिता द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (जिसे इस संहिता में इसके पश्चात् राष्ट्रीय बोर्ड कहा गया है) का गठन करेगी—

(क) मानक, नियम और विनियम जिसे इस संहिता के अधीन घोषित या विरचित किए जाएं ;

(ख) इस संहिता और उससे संबंधित मानतों, नियमों और विनियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नीति और कार्यक्रम के मद्दे ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट इस संहिता से संबंधित कोई अन्य विषय ।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा—

(क) सचिव, श्रम और नियोजन मंत्रालय – अध्यक्ष पदेन ;

(ख) महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान, मुंबई – सदस्य पदेन ;

(ग) महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद – सदस्य पदेन ;

(घ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर – सदस्य पदेन ;

(ङ) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली – सदस्य पदेन;

(च) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली – सदस्य पदेन ;

(छ) चार राज्यों के श्रम मामलों से संबंधित प्रधान सचिव (चक्रानुक्रम में जैसा कि केन्द्रीय सरकार उचित समझे) – सदस्य पदेन ;

(ज) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली – सदस्य पदेन ;

(झ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली – सदस्य पदेन ;

(ञ) नियोजकों के पांच प्रतिनिधि – सदस्य पदेन ;

(ट) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि – सदस्य पदेन ;

(ठ) जिसके लिए मानकों, नियमों, नीतियां विरचित की जा रही है ऐसे मामलों से सहयुक्त वृत्तिक निकाय का प्रतिनिधि ;

(ड) उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से या विख्यात अनुसंधान संस्थाओं या वैसे ही अन्य शाखाओं के प्रतिनिधि संबंधित पांच ख्यातिप्राप्त व्यक्ति – सदस्य ;

(ढ) विनिर्दिष्ट मामलों या उद्योग या सेक्टर में निवेश चाहने वालों के लिए, जो उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रबल है, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार से विशेष आमंत्रिति – सदस्य ;

(ण) संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य-सचिव पदेन ।

(3) उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ) और खंड (ड) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उनके नामनिर्देशन तथा उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रक्रिया वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड के परामर्श से इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों को अवधारित कर सकेगी तथा राष्ट्रीय बोर्ड के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट इसके कृत्य के निर्वहन में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए, उतनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां

गठित कर सकेगी, जो उतने सदस्यों से मिलकर बनेंगी, जिनके पास ऐसी अर्हताएं होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(6) राष्ट्रीय बोर्ड, ऐसे राज्य सरकारों से परामर्श करेगा, जिसके मुख्य सचिव धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन यथा अपेक्षित राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य हैं और बागान, कारखानों और ऐसे ही अन्य मुद्दों से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों की दशा में, संबद्ध राज्य सरकार, ऐसे मुद्दों पर उनके निवेशों को अभिप्राप्त करने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा आमंत्रित कर सकेगा ।

राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।

17. (1) राज्य सरकार, इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत ऐसे विषय जो उसे राज्य सरकार परामर्श देने के लिए राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "राज्य सलाहकार बोर्ड" कहा गया है) का गठन करेगी ।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड से संबंधित गठन, प्रक्रिया और अन्य विषय वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राज्य सरकार या राज्य सलाहकार बोर्ड की उनकी संबंधित अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से संबंधित उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए राज्य सरकार उतनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां, गठित कर सकेगी जिसके अंतर्गत स्थल मूल्यांकन समितियां भी हैं, जो उतनी संख्या में और ऐसी अर्हताएं रखने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विहित किए जाएं ।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा कारखाना, खान, डॉक कार्य, बीड़ी और सिगार, भवन और अन्य संनिर्माण कार्य और अन्य स्थापनों से संबंधित कार्य स्थलों के लिए, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानक घोषित करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुसरण किए जाने वाला मानक घोषित करने की शक्ति पर विशिष्टतया और व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मानक निम्नलिखित से संबंधित होंगे—

(क) सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य या कृत्यकारी क्षमता के आधार पर साध्य परिमाण को सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारी के कार्यशील जीवन के लिए व्यौहार करने के लिए, भौतिक, रासायनिक, जैविकीय और अन्य परिसंकटों से कोई कर्मचारी स्वास्थ्य की तात्विक गिरावट या कृत्यशील क्षमता से पीड़ित न हो यहां तक कि यदि ऐसा कर्मचारी ऐसे परिसंकटों के प्रति नियमित अभिदर्शन रखता है ;

(ख) मानक—

(i) कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं, जिनको ऐसा परिसंकट अरक्षित है, के परिसंकटों को आंकना ;

(ii) सुसंगत लक्षणों और समुचित ऊर्जा उपचार तथा सुरक्षित उपयोग या अरक्षितता के लिए उचित शर्तों और पूर्वावधानियों से संबंधित होंगे ;

(iii) परिसंकटों के प्रति कर्मचारियों की अरक्षितता की मानीटरी और माप के लिए होंगे ;

(iv) चिकित्सा जांच और अन्य परीक्षणों के लिए होंगे, जो नियोजक द्वारा या उसकी लागत पर परिसंकटों के प्रति अरक्षित कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ; और

(v) सुरक्षा संपरीक्षा, परिसंकट और परिचालनीयता अध्ययन, त्रुटि मुक्त विश्लेषण, घटना मुक्त विश्लेषण जैसी परिसंकट मूल्यांकन प्रक्रियाओं और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के लिए होंगे ;

(ग) चिकित्सा जांच, जिसके अंतर्गत उपजीविकाजन्य रोगों का पता लगाना और उनकी रिपोर्ट करना है, जो किसी कर्मचारी को उसके नियोजन में न रहने पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, यदि वह किसी उपजीविकाजन्य रोग से पीड़ित होता है, जो उसके नियोजन के दौरान उद्भूत हुआ है या होता है ;

(घ) कार्य स्थल से संबंधित उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऐसे पहलू, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी की रिपोर्ट को आवश्यक समझती है ;

(ङ) ऐसे सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय, जो खान, कारखाना, भवन और अन्य संनिर्माण संकर्म, बीड़ी और सिगार, डॉक कार्य या किसी अन्य अधिसूचित स्थापनों से संबंधित कार्य स्थलों पर विद्यमान विनिर्दिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हों ; और

(च) इस संहिता की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 131 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर और ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देने के पैंतालीस दिन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(4) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा ऐसी स्थापन, जिसके लिए यह राज्य में स्थित समुचित सरकार है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन बनाए गए मानकों का संशोधन कर सकेगी ।

अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप ।

19. यह उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान करने, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोग और प्रदर्शन करने का और तत्पश्चात् अपनी सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी दशा हो, को प्रस्तुत करने का ऐसे संस्थानों का कर्तव्य होगा, जैसा केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करे :

परन्तु राज्य सरकार, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान, प्रयोग और प्रदर्शन के संचालन को अधिसूचित करने से पूर्व राष्ट्रीय बोर्ड से परामर्श करेगा ।

सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण ।

20. (1) किसी स्थापन के सामान्य कार्य घंटे के दौरान किसी भी समय या किसी अन्य समय, जैसा आवश्यक समझा जाए,—

(क) कारखाना या खान की दशा में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक ; या

(ख) किसी कारखाने की दशा में महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान ; या

(ग) खान की दशा में खान सुरक्षा महानिदेशक,; या

(घ) कारखाना या खान की दशा में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ; या

(ङ) किसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग की दशा में समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी,

नियोजक को लिखित सूचना देने के पश्चात्, कारखाने या खान या ऐसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग का सर्वेक्षण संचालित करेगा और ऐसा नियोजक ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी की जांच और परीक्षण तथा ऐसे सर्वेक्षण से सुसंगत नमूने और अन्य डाटा के संग्रहण के लिए सुविधाएं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "नियोजक" पद के अंतर्गत कारखाने के लिए प्रबंधक या अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग की दशा में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय, यथास्थिति, ऐसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग में सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षणों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मकार, यदि सर्वेक्षण संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा हो तो ऐसी चिकित्सा जांच कराने के लिए स्वयं को उपस्थित करेगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए और अपने कब्जे की सारी सूचना, जो सर्वेक्षण के लिए सुसंगत है, प्रस्तुत करेगा ।

(3) किसी कर्मकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा जांच या सूचना प्रस्तुत करने में लिए गए समय को मजदूरी और समयोपरि कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसके कार्य घंटे समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को इस संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट समझी जाएगी ।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के लिए आंकड़े और पोर्टल का संग्रहण ।

21. (1) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़े का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों का डाटाबेस या रिकार्ड, ऐसे पोर्टल पर और ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परन्तु कोई अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार स्वघोषणा से और आधार के आधार पर ऐसे पोर्टल पर अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के रूप में स्वतःरजिस्टर करा सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे कर्मकार जो एक राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रवजन किया है और उस अन्य राज्य में स्वनियोजित है, वे भी उस पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार" पद का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है । 2016 का 18

सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी ।

22. (1) समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग से विहित रीति में एक सुरक्षा समिति का गठन करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो ऐसी स्थापन में लगे हुए नियोजकों और कर्मकारों के प्रतिनिधियों से ऐसी रीति में मिलकर बनेगी, जो विहित की जाए तथा समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि नियोजक के प्रतिनिधियों से कम नहीं होंगे और कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) प्रत्येक स्थापन, जो एक—

(क) कारखाना है, जिसमें पांच सौ कर्मकार या अधिक है ; या

(ख) परिसंकमय प्रक्रिया को चलाने वाला ऐसा कारखाना, जिसमें दो सौ पचास या उससे अधिक कर्मकार हैं ; या

(ग) भवन या अन्य संनिर्माण कार्य, जिसमें दो सौ पचास या उससे अधिक कर्मकार हैं ;

(घ) खान, जिसमें सामान्यत: एक सौ या अधिक कर्मकार नियोजित हैं,

का नियोजक उतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारी, जो ऐसी अर्हता रखते हैं और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, की भी नियुक्ति करेगा ।

अध्याय 5

स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य की दशाएं

नियोजक का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य की दशाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व ।

23. (1) नियोजक अपनी स्थापन में कर्मचारियों के लिए ऐसी स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य की दशाओं के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) सफाई और स्वच्छता ;

(ii) संवातन, ताप और आर्द्रता;

(iii) धूल, हानिकर गैस, धूम और अन्य अपद्रव्यों से मुक्त पर्यावरण ;

(iv) नमीकरण का पर्याप्त मानक, कृत्रिम रूप से हवा की आर्द्रता में वृद्धि, कार्यशाला में हवा का संवातन और शीतलन ;

(v) वहनीय पीने-योग्य पानी ;

(vi) यथास्थिति, अतिभीड़ को रोकने के लिए और उसमें नियुक्त कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान, उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मानक ;

(vii) पर्याप्त प्रकाश ;

(viii) पुरुष, महिला और उभयलिंगी कर्मचारियों के लिए पृथक शौचघर और मूत्रालय सुविधा और उसमें स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम ;

(ix) अपशिष्टों और बहि:स्रावों के निरूपण के लिए प्रभावी इंतजाम ; और

(x) कोई अन्य इंतजाम, जिसे केन्द्रीय सरकार समुचित समझे ।

अध्याय 6

कल्याणकारी उपबंध

स्थापन, आदि में कल्याणकारी सुविधाएं ।

24. (1) नियोजक अपने स्थापन में कर्मचारियों के लिए ऐसी कल्याणकारी सुविधाओं को प्रदान करने और अनुरक्षण करने के लिए दायी होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, जिसमें सम्मिलित है,—

(i) पुरुष और महिला कर्मचारियों की धोने के लिए पृथकतः पर्याप्त और उचित सुविधाएं ;

(ii) पुरुष, महिला और उभयलिंगी कर्मकारों के लिए पृथक्त: नहाने का स्थान और लॉकर रूम ;

(iii) कार्य घंटे के दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और भीगे हुए कपड़ों को सुखाने का स्थान ;

(iv) खड़ा स्थिति में कार्य करने के लिए बाध्य सभी कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था ;

(v) कर्मचारियों के लिए उसके स्थापन में जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार हैं जिसके अन्तर्गत साधारणतया नियोजित संविदा श्रमिक भी हैं, कैंटिन की सुविधा ;

(vi) खान की दशा में, खान में नियोजित किए गए या नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की उनके नियोजन से पूर्व और विनिर्दिष्ट अंतरालों पर चिकित्सा परीक्षा ;

(vii) सभी कार्य घंटे के दौरान सुगमता से पहुंच वाली विषय-वस्तुओं के साथ पर्याप्त प्राथमिक उपचार पेटिका या अलमारियां ; और

(viii) कोई अन्य कल्याणकारी उपाय, जिसे केन्द्रीय सरकार, कर्मचारियों के लिए जीवन स्तर मानक की अपेक्षानुसार, परिस्थितियों के संवर्ग के अधीन विचार करती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित मामलों के लिए भी विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) प्रत्येक कारखाना, खान, भवन और अन्य निर्माण कार्य में एम्बुलेंस कमरा, जिसमें पांच सौ से अधिक कर्मकार सामान्यत: नियोजित हैं ;

(ii) मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए वर्षा और ठंड से बचाव के लिए संचालन केंद्रों पर चिकित्सा सुविधाएं और ठहरने का स्थान, वर्दी, वर्षारोधी कोट और ऐसी ही अन्य सुख-सुविधाएं ;

(iii) पुरुष, महिला और उभयलिंगी कर्मचारियों के लिए जिसमें पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर से नियोजित हैं पर्याप्त, उपयुक्त और पृथक् आश्रय या विश्राम कक्ष और प्रत्येक कारखाना और खान में भोजन कक्ष और मोटर परिवहन उपक्रम, जिसमें कर्मचारियों की रात में रुकने की अपेक्षा की गई है ;

(iv) प्रत्येक कारखाना, खान या बागान में जिसमें दो सौ पचास या अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हैं कल्याणकारी अधिकारी की नियुक्ति, और ऐसे कल्याणकारी अधिकारी की अर्हता, सेवा शर्तें और कर्तव्य ;

(v) नियोजक द्वारा नि:शुल्क और कार्य स्थल के भीतर या इसके इतना निकट जितना संभव हो सके उसके द्वारा नियोजित सभी भवन कर्मकारों के लिए अस्थायी वास-सुविधा प्रदान करने के लिए और ऐसे अस्थायी वास-सुविधा के निराकरण या विध्वंश कारित करने के लिए और नगरपालिका बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी भूमि का कब्जा नियोजक द्वारा वापस करने के लिए ;

(vi) मुख्य नियोजक द्वारा ठेकेदार को वास-सुविधा उपबंध करने पर उपगत खर्चे का संदाय करने के लिए जहां ठेकेदार के माध्यम से भवन और उसका निर्माण कार्य किया गया है ;

(vii) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जा सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार, स्थापनों में सामान्य सुविधा सहित या तो पृथक्त: या एक साथ समुचित स्थान और दूरी पर जिसमें पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए गए हैं कर्मचारियों के छह वर्ष से कम आयु के संतानों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे वाले शिशु कक्ष की सुविधा के लिए उपबंध करने का नियम बना सकेगी :

परन्तु कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या प्राइवेट इकाई या गैर-सरकारी संगठन द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा उपबंधित सामान्य शिशु कक्ष की सुविधा का उपयोग कर सकता है या स्थापनों का समूह ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वे सहमत हो, की रीति सामान्य शिशु गृह की स्थापना के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकेंगे ।

अध्याय 7

मजदूरी सहित काम के घंटे और वार्षिक छुट्टी

दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे, छुट्टी, आदि ।

25. (1) किसी कर्मकार से किसी स्थापन या किसी स्थापन के वर्ग में काम करने के लिए इससे अधिक अवधि के लिए अपेक्षा नहीं की जायेगी या को अनुमति नहीं दी जाएगी—

(क) एक दिन में आठ घंटे ; और

(ख) खंड (क) के अधीन, प्रत्येक दिन में कार्य की अवधि को ऐसे अन्तरालों और विस्तृति के साथ ऐसे नियत किया जाएगा, जो उतने घंटों से अधिक नहीं होगा, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु खंड (क) के अध्यधीन रहते हुए खानों के मामलों में,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, जो खान में भूमि के नीचे नियोजित हैं, जो एक दिन में समुचित सरकार द्वारा ऐसे घंटों को अधिसूचित किया जाए, अधिक के लिए काम की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(ii) सिवाय पारी प्रणाली के किसी खान में कोई भी काम भूमि के नीचे जारी नहीं रखा जाएगा जो ऐसे व्यवस्थित होगा कि प्रत्येक पारी के लिए काम की अवधि खंड (झ) के अधीन अधिसूचित अधिकतम दैनिक घंटे से विस्तृत न हो ;

(iii) धारा 33 की उपधारा (क) के अधीन पोषित रजिस्टर में उसके संबंध में दर्शाए गए काम की अवधियों के दौरान के सिवाय खान में नियोजित किसी व्यक्ति को भूमि के नीचे खान के किसी भाग में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परंतु यह और कि खंड (क) के अध्यधीन रहते हुए मोटर परिवहन कर्मकार की दशा में काम के घंटों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) परिवहन यान के चालन काल के दौरान किए गए कार्य में व्यतीत समय ;

(ii) समनुषंगी काम में व्यतीत समय ; और

(iii) अंतिम स्टापों पर केवल हाजिरी की पंद्रह मिनट से कम की अवधि ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) एक कार्य दिवस के संबंध में "चालन काल" से वह समय अभिप्रेत है जिस क्षण से परिवहन यान कार्य दिवस के प्रारंभ पर काम करना आरंभ करता है, जब तक कि वह क्षण जब परिवहन यान कार्य दिवस की समाप्ति पर कृत्य पर

नहीं रहता है, उस समय को अपवर्जित करके जिस दौरान परिवहन यान का चालन विच्छिन्न हो जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की गई ऐसी अवधि से अधिक अवधि के लिए भी जिसके दौरान वह व्यक्ति जो उसे चलाता है या परिवहन यान के संबंध में कोई कार्य करता है वह अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह समनुषंगी कार्य में चाहता है या वचनबद्ध है;

(ख) "समनुषंगी काम" से किसी परिवहन यान, उसके यात्रियों या उसके भार के संबंध में ऐसा काम अभिप्रेत है, जो परिवहन यान के चालन काल से बाहर किया गया हो, जिसके अंतर्गत विशिष्ट रूप से निम्नलिखित हैं—

(i) लेखा संबंधी कार्य, रोकड़ का संदाय, रजिस्टर में हस्ताक्षर, सेवा चार्टो को देना, टिकटों की जांच पड़ताल और अन्य समरूप कार्य ;

(ii) परिवहन यान को बाहर निकालना और उसे गैरेज में रखना ;

(iii) जिस स्थान से वह व्यक्ति ड्यूटी आरंभ करता है ऐसे स्थान तक यात्रा करना, जहां वह परिवहन यान प्रभार ग्रहण करता है और उस स्थान से, जहां वह परिवहन यान छोड़ता है, से उस स्थान तक यात्रा करना, जहां वह समाप्त करता है ;

(iv) परिवहन यान चालू ऱखने और उसकी मरम्मत के संबंध में कार्य ; और

(v) परिवहन यान की लदाई और उतराई ;

(ग) "मात्र उपस्थिति की अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर केवल संभाव्य टेलीफोन कालों का उत्तर देने या जो कर्तव्य सूची में नियत समय पर अपने कार्य को फिर से संभालने के उद्देश्य से बना रहता हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य के घंटे, चार क्रमवर्ती सप्ताह की किसी कार्य अवधि के अधिकतम एक सौ चवालीस घंटे के अध्यधीन होंगे और सात क्रमवर्ती दिन के किसी अवधि के दौरान विश्राम के चौबीस क्रमवर्ती घंटे से अन्यून अवधि ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विक्रय संवर्धन कर्मचारी या श्रमजीवी पत्रकार,—

(i) ऐसे अवकाश, आकस्मिक छुट्टी या अन्य प्रकार की छुट्टी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मंजूर की जाएगी, यदि वह निम्नलिखित के लिए अनुरोध करे—

(क) ड्यूटी पर बिताई गई अवधि की एक बटा ग्यारहवीं से अन्यून के लिए पूर्ण मजदूरी पर अर्जित छुट्टी ;

(ख) सेवा की अवधि की एक बटा अठारहवीं से अन्यून के लिए चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मजदूरी की आधी छुट्टी ;

(ii) ऐसी अधिकतम सीमा तक संचित अर्जित छुट्टी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(iii) उस सीमा तक वहां हकदार होगा जहां अर्जित छुट्टी का नकद उपभोग

उसके द्वारा एक समय पर किया जा सकेगा और वह कारण जिसके लिए ऐसी सीमा अधिक हो सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा विहित किया जाए ;

(iv) (क) जब वह अपने पद से स्वेच्छया छोड़ता है या सेवा से निवृत्त होता है ; या

(ख) जब किसी भी कारण से उसकी सेवाएं समाप्त की जाती है, (जिसे दंड के रूप में समाप्त नहीं किया जा रहा है) जब ऐसी शर्तें और निर्बंधन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए (जिनके अन्तर्गत ऐसी शर्तें भी हैं, जिनके माध्यम से ऐसी अधिकतम अवधि को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके लिए ऐसा प्रतिकर संदेय होगा), के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा अर्जित किया गया, अर्जित छुट्टी जिसका उसने लाभ नहीं लिया है, के संबंध में नकद प्रतिकर का हकदार होगा ;

(v) सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके वारिस उसके द्वारा अर्जित की गई अर्जित छुट्टी और उपभोग न की गई छुट्टी के बदले में नकद प्रतिकर का हकदार होगा ; या उसके वारिस, अर्जित छुट्टी की बाबत कोई अवधि जिसके लिए उसके वारिस को नकद प्रतिकर संदेय होगा, जो यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) के अधीन नकद प्रतिकर का हकदार हो या है, ऐसी अवधि के लिए उसकी शोध्य मजदूरी के बराबर रकम होगी ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुमार कर्मकार के कार्य के घंटे बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे ।

1986 का 61

साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश ।

26. (1) किसी स्थापन में किसी कर्मकार को एक सप्ताह में छह दिन से अधिक तक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी मोटर परिवहन उपक्रम में किसी नियोजक से मोटर परिवहन सेवा के किसी विस्थापन के निवारण के उद्देश्य से कर्मकार से किसी साप्ताहिक अवकाश के दिन में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो अवकाश का दिन न हो उसकी इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि कर्मकार सभी मध्यवर्ती दिन के लिए क्रमवर्ती दस दिन से अधिक तक काम न करे ।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कर्मकारों को, उपधारा (1) के उपबंधों में, जो वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, छूट दे सकेगी ।

(3) इस संहिता के उपबंधों के अधीन कोई आदेश पारित करने या नियम बनाए जाने के परिणामस्वरूप, जिसे उपधारा (1) के उपबंधों से किसी स्थापन या उसके कर्मकारों को छूट है, कोई कर्मकार किसी भी साप्ताहिक अवकाश से वंचित किया जाता है, तो कर्मकार को उस मास में उसे अवकाश दिन शोध्य थे या उस मास के ठीक बाद के दो मास के भीतर उन अवकाश दिनों के बराबर जो उसे नहीं मिले, प्रतिकरात्मक दिन अनुज्ञात किए जांएगे ।

अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी ।

27. जहां कोई कर्मकार किसी स्थापन में या स्थापन के किसी वर्ग में किसी दिन या किसी सप्ताह में ऐसे घंटे से अधिक और दैनिक आधार पर या साप्ताहिक आधार पर अतिकाल कार्य की और अवधि, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, कार्य किया है, अतिकाल कार्य की बाबत मजदूरी की दर दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा इसमें से जो भी ऐसे कर्मकार के लिए अधिक अनुकूल है, संगणना की जाएगी :

परंतु नियोजक द्वारा ऐसे किसी कार्य के लिए ऐसे कर्मकार की सहमति के अध्यधीन रहते हुए अतिकाल कार्य की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार अतिकाल के घंटों की कुल संख्या विहित कर सकेगी ।

रात्रि पारी ।

28. जहां किसी स्थापन में कोई कर्मकार ऐसी पारी में काम करता है जिसका विस्तार मध्यरात्रि से आगे होता है, वहां,—

(क) धारा 26 के प्रयोजनों के लिए, उसके बारे में पूरे दिन के अवकाश से, उसकी पारी की समाप्ति से आरंभ होने वाली लगातार चौबीस घंटों की कालावधि अभिप्रेत है ;

(ख) उसके लिए आगामी दिन चौबीस घंटों की वह कालावधि समझी जाएगी जो उसकी पारी समाप्त होने से आरंभ होती है और मध्यरात्रि के पश्चात् जितने घंटे उसने काम किया है, वे पूर्ववर्ती दिन में गिने जाएंगे ।

परस्परव्यापी पारियों का प्रतिषेध ।

29. (1) किसी स्थापन में इस प्रकार व्यवस्थित पारियों की प्रणाली से काम नहीं किया जाएगा कि एक ही प्रकार के काम में एक ही समय पर कर्मकारों की एक से अधिक टोली लगी हो ।

(2) समुचित सरकार या समुचित सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी स्थापन या उसके किसी वर्ग के स्थापनों या किसी स्थापन के विभाग या अनुभाग को या उसमें कर्मकारों के किसी प्रवर्ग या प्रकार को उपधारा (1) के उपबंधों से ऐसी शर्तों पर, जैसी समीचीन समझी जाए, छूट दे सकेगी :

परंतु इस उपधारा के उपबंध खान को लागू नहीं होंगे ।

कारखाना और खान में दोहरे नियोजन पर निर्बंधन ।

30. किसी भी कर्मकार को किसी खान या कारखाने में कार्य करने के लिए अपेक्षा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि वह पूर्ववर्ती बारह घंटे के भीतर किसी अन्य ऐसे समरूपस्थापन में, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, पहले ही काम कर चुका हो ।

काम की कालावधियों की सूचना ।

31. (1) काम की कालावधियों की ऐसी सूचना जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिसके दौरान कर्मकारों से इस संहिता के उपबंध के अनुसार कार्य की अपेक्षा की जा सकेगी, स्पष्ट दर्शित होगी और हर स्थापन में संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक से रखी जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना का प्ररूप, ऐसे सूचना प्रदर्शित करने की रीति वह होगी, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसी रीति में सूचना निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजी जाएगी ।

(3) किसी स्थापन में काम की प्रणाली में ऐसी कोई प्रस्तावित तब्दीली जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में कोई तब्दीली आवश्यक होगी तो तब्दीली करने से पहले निरीक्षक-सह-सुकारक को सूचित किया जाएगा और जब तक उस अंतिम तब्दीली से एक सप्ताह व्यतीत न हो गया हो तब तक ऐसी कोई तब्दीली निरीक्षक-सह-सुकारक को पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी ।

मजदूरी, आदि सहित वार्षिक छुट्टी ।

32. (1) स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मजदूरी सहित कैलेंडर वर्ष में छुट्टी के लिए हकदार होंगे, अर्थात् :—

(i) यह कि वह ऐसे कैलेंडर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक कार्य किया है ;

(ii) यह कि उसके कार्य के प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन की छुट्टी का वह हकदार होगा और ऐसे कैलेंडर वर्ष में जिसमें कुमार कर्मकार की दशा में, उसके कार्य के पन्द्रह दिन के लिए और खान में नीचले सतह पर नियोजित कर्मकार की दशा में उसके कार्य के प्रत्येक पद्रंह दिन के लिए एक दिन के हिसाब से छुट्टी का हकदार होगा ;

(iii) ऐसे कैलेंडर वर्ष में ऐसे कर्मकार द्वारा उपभोग की गई काम बन्दी, मातृत्व छुट्टी या वार्षिक छुट्टी की कोई अवधि खंड (i) के अधीन एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक अवधि की परिकलन के लिए गणना की जाएगी किंतु वह इस प्रकार की गणना की अवधि के लिए अर्जित छुट्टी नहीं होगी ;

(iv) ऐसे कर्मकार द्वारा उपभोग की गई छुट्टी के बीच आने वाले कोई अवकाश (कैलेंडर वर्ष या प्रारंभ में या अंत में जोड़े जाने वाले अवकाश) इस प्रकार उपभोग की गई छुट्टी की अवधि से अपवर्जित की जाएगी ;

(v) ऐसे कर्मकार की दशा में जो पहली जनवरी से अन्यथा सेवारंभ करता है खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा, यदि उसने कैलेंडर वर्ष के शेष दिन की कुल संख्या के एक बटा चार तक कार्य किया हो ;

(vi) कैलेंडर वर्ष के दौरान सेवा में रहते हुए यदि ऐसे कर्मकार को सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाता है या नियोजन छोड़ता है या वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कर्मकार या उसके वारिस या नामनिर्देशिती ऐसी छुट्टी की मात्रा के बदले में मजदूरी के लिए हकदार होगा जिससे कि ऐसे कर्मकार उसके सेवोन्मुक्त, पदच्युत, नियोजन छोड़ने, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने या मृत्यु, से ठीक पहले हकदार था जैसा कि पूर्ववर्ती खंड में विनिर्दिष्ट रूप में संगणित किया गया यदि ऐसे कर्मकार और जिसने इस उपधारा के अधीन अपेक्षित अवधि के लिए कार्य न किया हो, ऐसा कर्मकार ऐसी छुट्टी का उपभोग करने के लिए पात्र होगा संदाय किया जाएगा—

(क) जहां ऐसा कर्मकार ऐसी सेवोन्मुक्त, पदच्युत या नियोजन छोड़ने की तारीख से द्वितीय कार्य दिवस की समाप्ति से पहले सेवान्मुक्त या पदच्युत किया जाता है या वह नियोजन छोड़ता है ; और

(ख) जहां ऐसे कर्मकार ऐसी अधिवर्षिता या मृत्यु की तारीख से दो मास की समाप्ति से पहले सेवा में रहते हुए अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है ;

(vii) ऐसा कोई कर्मकार इस उपधारा के और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कैलेंडर वर्ष में उसे अनुज्ञात संपूर्ण छुट्टी में से नहीं लेता है तो ऐसी छुट्टी जो उसके द्वारा कोई छुट्टी नहीं ली जाती है तो अगले कैलेंडर वर्ष में इस प्रकार अनुज्ञात की गई छुट्टी जोड़ी जाएगी—

(क) छुट्टी के दिन की कुल संख्या जिसे अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाए, तीस दिन से अधिक नहीं होगी ; और

(ख) ऐसे कर्मकार, जिसने मजदूरी सहित छुट्टी के लिए आवेदन किया हो किंतु उसे इस उपधारा और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी

छुट्टी नहीं दी जाती है तो किसी सीमा के बिना अस्वीकृत छुट्टी को अग्रनीत कराने का हकदार होगा ;

(viii) खंड (vi) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कर्मकार कैलेंडर वर्ष के अंत में छुट्टी भुनाने के लिए मांग करने का हकदार होगा ;

(ix) ऐसे कर्मकार ऐसी अधिक छुट्टी को भुनाने के लिए खंड (vii) के उपखंड (क) के अधीन तीस दिन से अधिक की छुट्टी की कुल संख्या को भुनाने का हकदार होगा ।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा रेल स्थापन के सिवाय किसी अन्य स्थापन के लिए उपधारा (1) के उपबंधों का विस्तार करेगी ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रचालन नहीं होगा, जिसमें खान में नियोजित कोई व्यक्ति, किसी अन्य विधि के अधीन या सेवा के किसी अधिनिर्णय, करार या संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो सकेगा :

परंतु सेवा का ऐसा अधिनिर्णय, करार या संविदा उपधारा (1) में उपबंधित से भिन्न मजदूरी सहित लंबी वार्षिक छुट्टी के लिए उपबंध करती है तो छुट्टी की मात्रा, जिसके लिए नियोजित व्यक्ति हकदार होगा, सेवा के ऐसे अधिनिर्णय, करार या संविदा के अनुसार हकदार होगा किंतु वे विषय जिनका सेवा के ऐसे अधिनिर्णय, करार या संविदा के लिए उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार छुट्टी विनियमित की जाएगी :

परंतु यह और कि जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी खान में नियोजित व्यक्तियों को लागू छुट्टी के नियम उसकी राय में उपधारा (1) में उपबंधित फायदों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं है, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उपधारा (1) के सभी उपबंधों या किन्ही उपबंधों से खान से छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 8

रजिस्टर, अभिलेख और विवरणी का अनुरक्षण

रजिस्टरों, अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणी का फाइल किया जाना ।

33. स्थापन का कोई नियोजक—

(क) कर्मकारों की ऐसी विशिष्टियों से युक्त जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा विहित प्ररूप में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा जिसके अंतर्गत,—

(i) उनके द्वारा कार्य पालन ;

(ii) एक दिन में काम के प्रसामान्य घंटे के रूप में कार्य के घंटे की संख्या ;

(iii) सात दिन के प्रत्येक अवधि में अनुज्ञात विश्राम का दिन ;

(iv) संदत्त मजदूरी और इसके लिए दी गई रसीद ;

(v) छुट्टी, मजदूरी सहित छुट्टी, अतिकाल कार्य, हाजिरी और खतरनाक घटना ; और

(vi) कुमार का नियोजन भी है ;

(ख) ऐसी रीति और प्ररूप में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, कर्मकारों के कार्य के स्थान पर सूचना प्रदर्शित करेगा ;

(ग) इलैक्ट्रानिक प्ररूपों में या अन्यथा कर्मकारों को मजदूरी की पर्ची जारी करेगा ; और

(घ) ऐसी पद्धति और ऐसी अवधि के दौरान जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसी विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल करेगा ।

अध्याय 9

निरीक्षक-सह-सुकारक और अन्य प्राधिकारी

निरीक्षक-सह-सुकारकों की नियुक्ति ।

34. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपनी संबंधित अधिकारिता में सर्वत्र इस संहिता के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुकारक इस संहिता के अधीन उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अन्य कर्तव्यों के अलावा उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निरीक्षणों को भी, संचालित करेगा ।

(3) समुचित सरकार,—

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम अधिकथित करेगी, जो वेब आधारित निरीक्षण के सृजन के लिए और इस संहिता के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना मांगने का उपबंध कर सकेगा तथा ऐसी स्कीम में अन्य बातों के साथ निरीक्षण समनुदेशित करने हेतु विशेष परिस्थितियों का प्रबंध करने के लिए और स्थापन से सूचना या वेब आधारित निरीक्षणों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मांगने के लिए उपबंध होंगे ।

(ii) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचना द्वारा स्कीम के अधीन स्थापन और निरीक्षण के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक यादृच्छिकीकृत चयन करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन समुचित सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा सकेगा :—

(क) प्रत्येक स्थापन, प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक और प्रत्येक निरीक्षण को ऐसी रीति में एक विशिष्ट संख्या का समनुदेशन करना (जो धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थापन को आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या के समान होगी) जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ख) निरीक्षण रिपोर्टों को समयबद्ध रूप से ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो स्कीम में अधिसूचित की जाए, अपलोड करना ;

(ग) ऐसे पैरामीटरों के आधार पर जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, विशेष निरीक्षणों के लिए उपबंध करना ;

(घ) नियोजन की विशिष्टताएं, कार्य की प्रकृति और कार्य स्थालों के ऐसे पैरामीटरों के आधार पर विशिष्टताएं, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(5) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके पास ऐसे स्थापनों या स्थापनों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक होने के लिए और अधिकारिता की ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो अधिसूचना में विहित की जाए, के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के प्रयोजनों के लिए या पूरे देश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और उप मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या किसी पदाभिदान का कोई अन्य अधिकारी जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, स्थापनों के प्रयोजनों के लिए, जो वह समुचित समझे, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जो अधिसूचना में विहित की जाए, नियुक्त कर सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, उप मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और प्रत्येक अन्य अधिकारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों के अतिरिक्त जिसके द्वारा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) इस उपधारा के अधीन या इस प्रकार नियुक्त किया गया ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यस्थान या कार्य संबंधी क्रियाकलापों में या किसी प्रक्रिया में किसी कार्यस्थान या किसी संयंत्र या उससे संबद्ध किसी संयंत्र या मशीन में किए जाने वाले किसी कारबार में हितबद्ध है या हितबद्ध हो जाता है, पद धारण करना जारी नहीं रखेगा ।

(9) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस संहिता के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक विद्यमान निरीक्षक-सह-सुकारक के अतिरिक्त ऐसे लोक अधिकारियों की भी जो वह ठीक समझे, नियुक्ति कर सकेगी ।

(10) इस संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक के अन्य कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षक-सह-सुकारक किसी स्थापन या स्थानीय क्षेत्र में स्थापनों के वर्ग या उसकी अधिकारिता के क्षेत्रों की बाबत, जहां समुचित सरकार के अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए लिखित में आदेश द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक को प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, समुचित सरकार के अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारकों के वर्ग द्वारा ऐसे किसी शक्ति का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किसी निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारकों के किसी वर्ग के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(11) प्रत्येक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, उप मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, निरीक्षक-सह-

1860 का 45

सुकारक और इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा और ऐसे प्राधिकारी शासकीय रूप से अधीनस्थ होंगे, जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

निरीक्षक-सह-सुकारकों की शक्तियां ।

35. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, कोई निरीक्षक-सह-सुकारक—

(i) व्यक्तियों के ऐसे सहयोग से, सरकार की सेवा वाले व्यक्तियों या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी या किसी विशेषज्ञ के सहयोग से, जो वह ठीक समझे, किसी स्थान में, जो प्रयुक्त हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह कार्यस्थल के रूप में प्रयुक्त है, प्रविष्ट कर सकेगा ;

(ii) स्थापन, किसी परिसर, संयत्र, मशीनरी, वस्तु या कोई अन्य सुसंगत सामग्री का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा ;

(iii) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना, चाहे उसके परिणामस्वरूप शारीरिक क्षति, निःशक्तता या मृत्यु हुई हो या नहीं, की जांच करेगा और घटना स्थल पर या अन्यथा किसी व्यक्ति का कथन लेगा, जिसे वह ऐसी जांच के लिए आवश्यक समझे ;

(iv) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी बागान में उगी हुई फसलों या उसमें नियोजित किसी कर्मकार की परीक्षा कर सकेगा या इस संहिता के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उस घटना स्थल पर या अन्यथा किसी व्यक्ति का कथन ले सकेगा जो वह बागान से संबंधित इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ;

(v) इस संहिता के उपबंधों और उनके पालन के संबंध में नियोजकों और कर्मकारों की सूचना देना और उन्हें सुग्राही बनाना ;

(vi) कार्यस्थल या कार्य के क्रियाकलाप संबंधी किसी रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(vii) किसी रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज या उसके किसी भाग की खोज या जब्ती करना या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में आवश्यक समझे जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह कारित किया है ;

(viii) संबद्ध अधिभोगी या नियोजक को निदेश दे सकेगा कि वह किसी परिसर या उसके किसी अन्य भाग को या उसमें रखी किसी चीज को उस समय तक जिस तक वह किसी निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, उसे अक्षुब्ध (चाहे साधारणतया या विशिष्टतया) रखे ;

(ix) ऐसे माप, फोटो और वीडियो तथा ऐसी रिकार्डिंग कर सकेगा जैसा कि वह किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ;

(x) किसी स्थापन या परिसर, जिसमें उसे प्रवेश करने की शक्ति है, में पाई गई किसी वस्तु या पदार्थ और ऐसे स्थापन या परिसर के वायुमंडल या उनके नजदीक की वायु की, ऐसी रीति में जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, नमूने ले सकेगा ;

(xi) किसी स्थापन या परिसर में किसी वस्तु या पदार्थ के पाए जाने की दशा में, जो ऐसी वस्तु या पदार्थ है, जिससे उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा कारित करेगा या उससे खतरा कारित होना संभाव्य है, उसे विखंडित करने का, या ऐसी वस्तु या पदार्थ को किसी प्रक्रिया या परीक्षण के अधीन रखने का (किंतु उसे इस प्रकार तब तक तोड़ा या नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संहिता के किन्हीं उपबंधों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक परिस्थिति न हो) और ऐसी वस्तु या पदार्थ या उसके किसी भाग को अपने कब्जे में ले सकेगा और उस समय तक जिस तक वह यथा अपेक्षित परीक्षण के लिए आवश्यक समझे, निरोध में रखने का निदेश दे सकेगा ;

(xii) इस संहिता, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधीन उद्भूत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपबंधों से संबंधित कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा ;

(xiii) इस संहिता, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष शिकायत और अन्य कार्रवाईयों का अभियोजन, संचालन या प्रतिरक्षा कर सकेगा ; और

(xiv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) किसी व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन किसी निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी अपेक्षित सूचना को देने की अपेक्षा की गई है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थों में ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा । 1860 का 45

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके उपधारा (1) के अधीन ऐसी तलाशी या जब्ती पर लागू होंगे जैसे कि वह संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते । 1974 का 2

जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य ।

36. जिला मजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर खान के संबंध में निरीक्षक-सह-सुकारक की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा और प्रमाणन ।

37. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे विशेषज्ञों का जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हैं, जैसे ऐसे स्टार्टअप स्थापनों और स्थापनों के वर्ग के प्रयोजन के लिए विहित की जाए, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पैनल तैयार करने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पैनलित विशेषज्ञ, —

(क) वेब आधारित स्कीम के माध्यम से समुचित सरकार द्वारा तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा और प्रमाणन को यादृच्छिक रीति में समनुदेशित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में और प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा और प्रमाणन को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो ऐसे स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं संबद्ध नियोजक और निरीक्षक-सह-सुकारक को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

कारखाना, खान, और डॉक कार्य तथा भवन और अन्य संनिर्माण कार्य की बाबत निरीक्षक-सह-सुकारक की विशेष शक्तियां ।

38. (1) इस संहिता में किसी निरीक्षक-सह-सुकारक की अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षक-सह-सुकारक,—

(अ) के पास कारखाना के संबंध में निम्नलिखित विशेष शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) जहां निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाना या उसके किसी भाग के आसपास की परिस्थिति से उसमें नियोजित व्यक्तियों या आसपास की आम जनता को क्षति या मृत्यु के लिए गंभीर परिसंकट या आसन्न संकट उत्पन्न हो सकेगा, तो वह कारखाना के अधिभोगी को लिखित में आदेश द्वारा, जिसके संबंध में वह विचार करता है कि कारखाना या उसके भाग में गंभीर परिसंकट या आसन्न संकट की विशिष्टियों का विवरण देगा या कारखाना और उसके भाग से भिन्न और कारखाना या उसके किसी भाग में परिसंकट या संकट तक कार्य पर व्यक्तियों की संख्या को कम करके कम हाजिर होने के लिए किसी व्यक्ति के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ख) उपखंड (क) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा जारी कोई आदेश तीन दिन की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निरीक्षक-सह-सुकारक विस्तारित न कर दे ;

(ग) उपखंड (क) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक और उपखंड (ख) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार होगा ;

(घ) कोई व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (क) के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा प्रभावित हुआ है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मजदूरी और अन्य फायदों का हकदार होगा और अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह जहां भी संभव हो, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वैकल्पिक नियोजन का उपबंध करे ;

1947 का 14

(आ) खान की बाबत निम्नलिखित विशेष शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) यदि, किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिए इस संहिता द्वारा या उसके अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि खान या उसका कोई भाग या कोई पदार्थ या किसी खान में या उसके नियत्रंण, पर्यवेक्षण, प्रबंध या निदेशन में की कोई चीज या व्यवहार मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरा है या इस प्रकार त्रुटिपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति की आशंका है या कारित होने की संभावना है तो वह खान के नियोजक को लिखित सूचना में ऐसी विशिष्टियां दर्शाते हुए जिसे वह खान या उसके किसी भाग या पदार्थ या चीज या व्यवहार के लिए खतरा होना या उसका त्रुटिपूर्ण होना समझे और उसका उपचार ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षित करे, दे सकेगा ;

(ख) जहां कोई नियोजक उपखंड (क) के अधीन दी गई सूचना के निबंधनों का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा खान में या उसके आस-पास में या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति जिसका नियोजन सूचना के निबंधनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसकी राय में, उसी रूप में युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है, का नियोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ग) उपखंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा खान के नियोजक को संबोधित करके खान या उसके भाग में खनिजों के खंभों या ब्लाकों का निष्कर्षण या लघुकरण प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे प्रचालन से खनिजों के खंभों या ब्लाकों का ध्वस्त होना संभाव्य है या किसी कार्यकरण के किसी भाग का समय पूर्व ढह जाना या उसमें नियोजित व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को अन्यथा खतरा संभाव्य है या यदि उस रूप में खान, जिसमें ऐसा प्रचालन किया जाना अपेक्षित है, किसी भाग को शीलबंद करने या उसका पार्थक्य करने के लिए आग लगने या बाढ़ आने के विरुद्ध उसी रूप में पर्याप्त उपबंध नहीं किए गए हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र आग या बाढ़ में प्रभावित हो सकता है ;

(घ) यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक की यह राय है कि खान या उसके किसी भाग में नियोजित व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को तुरंत खतरा है तो वह अपने कथन में अपनी राय के आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए लिखित आदेश द्वारा जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वह खान में या उसके भाग में नियोजित किन्हीं व्यक्तियों, जिनका नियोजन उसकी राय में खतरे को दूर करने के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक है प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (ख) या उपखंड (घ) के अधीन प्रतिषिद्ध है उस अवधि के लिए पूरी मजदूरी के संदाय का हकदार होगा जब से उसे नियोजन के लिए प्रतिषिद्ध किया गया हो और नियोजक उस व्यक्ति को, ऐसी पूरी मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु नियोजक ऐसी पूरी मजदूरी को संदाय करने की बजाए ऐसे व्यक्ति को समान मजदूरी जो ऐसा व्यक्ति ऐसे नियोजन जिसके लिए उसे प्रतिषिद्ध किया गया था, पर वैकल्पिक नियोजन प्रदान कर सकेगा ;

(च) जहां निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उपखंड (क) के अधीन सूचना दी जाती है या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अधीन आदेश किया जाता है, खान का नियोजक, यथास्थिति, ऐसी सूचना या आदेश की प्राप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा जो, सूचना या आदेश को पुष्ट, उपांतरित या रद्द कर सकेगा ;

(छ) उपखंड (क) के अधीन सूचना भेजने वाले या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अधीन आदेश करने वाला मुख्य निरीक्षक-

सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक और उपखंड (च) के अधीन कोई आदेश (अपील में रद्दकरण के आदेश से भिन्न) करने वाला मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक तत्काल उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा ;

(ज) यदि खान का नियोजक, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उपखंड (क) के अधीन भेजी गई सूचना या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (च) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा दिए गए किसी आदेश का विरोध करता है तो वह अनुरोध अंतर्विष्ट करने वाली सूचना की प्राप्ति या आदेश या अपील पर विनिश्चय की गई तारीख के पश्चात्, जैसा भी मामला हो, बीस दिन के भीतर उसके आधारों को लिखित में कथित करते हुए अपना आक्षेप केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, जो साधारणतया आक्षेप प्राप्ति के दो मास के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा ;

(झ) उपखंड (क) के अधीन प्रत्येक सूचना या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (च) के अधीन आदेश, जिसका आक्षेप उपखंड (ज) के अधीन किया जाता है केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए खान से संबंधित मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के पास आक्षेप लंबित रहने तक अनुपालन किया जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, नियोजक के आवेदन पर, आक्षेप पर अपना विनिश्चय के लंबित को उपखंड (क) के अधीन सूचना के प्रचालन को निलंबित कर सकेगी ;

1974 का 2

(ञ) इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ;

(ट) खान की सुरक्षा से संबंधित किसी मामले के संबंध में, जिसके लिए इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त उपबंध बनाए गए हैं, खान का नियोजक ऐसे उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित में ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी विस्तारित अवधि जो उसके पश्चात् समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए के भीतर उसका अनुपालन करते हुए सूचना दे सकेगा ।

(ठ) जहां नियोजक उपखंड (ट) के अधीन दी गई सूचना के निबंधनों का, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या उपखंड के अधीन विस्तृत समय अवधि के भीतर, अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित में आदेश द्वारा खान में या उसके आस-पास में या उसके किसी भाग में या किसी व्यक्ति, जिसका नियोजन, उसकी राय में सूचना के निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है, को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ड) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (ठ) के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाता है, उतनी अवधि के लिए जिसके लिए उसे नियोजन से प्रतिषिद्ध किया गया हो, पूरी मजदूरी के भुगतान का हकदार होगा और धारा 67 में निर्दिष्ट स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उस व्यक्ति को ऐसी पूरी मजदूरी के भुगतान के लिए दायी होगा :

परन्तु नियोजक उक्त पूरी मजदूरी संदाय करने की बजाय ऐसे व्यक्ति के लिए उसी मजदूरी पर किसी अनुकल्पी नियोजन का उपबंध कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति नियोजन में ग्रहण कर रहा था जो उपखंड (ठ) के अधीन प्रतिषिद्ध था ;

(ढ) उपखंड (छ), उपखंड (ज) और उपखंड (झ) के उपबंध, उपखंड (ट) के अधीन जारी सूचना या उपखंड (ठ) के अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी सूचना या उपखंड (ख) के अधीन किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं ;

(ण) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, खान के संबध में, इस संहिता के अधीन या किसी विनियम, नियम या उपविधि के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश को उलट या उपान्तरित कर सकेगा ;

(त) खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;

(थ) केन्द्रीय सरकार खान के संबध में इस संहिता के अधीन या उसके अधीन किसी विनयम, नियम या उपविधि के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा दिए गए किसी आदेश को उलट या उपान्तरित कर सकती है ;

(इ) डॉक कार्य की बाबत, निम्नलिखित विशेष शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) यदि निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि कोई स्थान जहां कोई डॉक कार्य किया जा रहा है वहां ऐसी स्थिति है कि यह डॉक कार्य में नियोजित कर्मकार के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा है वह लिखित में, नियोजन पर सेवा कर सकता है, ऐसे स्थान में किसी भी डॉक कार्य को प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश कर सकेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि खतरे के कारणों को दूर करने के उपाय कर दिए गए हैं ;

(ख) कोई निरीक्षक-सह-सुकारक खंड (क) के अधीन आदेश की तामील होने के पश्चात् मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को उसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा जो किसी अपील के लिए प्रतीक्षा किए बिना आदेश को उपान्तरित कर सकेगा ;

(ग) कोई व्यक्ति जो उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है उस तारीख से पंद्रह दिन के भीतर जब उसको आदेश संसूचित हुआ है मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को या जहां ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा दिया गया है, केन्द्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार पंद्रह दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण करेगा, यदि उसका यह समाधान

हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था :

परन्तु यह और कि, खंड (क) के अधीन किसी आदेश या खंड (ख) के अधीन किसी उपांतरित आदेश का अनुपालन, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लंबित रहते हुए भी होगा ।

(2) इस संहिता में, अन्यत्र निरीक्षक-सह-सुकारक की अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या स्थान पर जहां कोई भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जा रहा है, जो ऐसी स्थिति में है कि भवन कर्मकार या साधारण जनता के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वह लिखित में, ऐसे स्थल या स्थान पर कार्यरत भवन कर्मकारों के नियोजक या स्थापन, जिसमें ऐसा स्थल या स्थान स्थित है, के नियोजक या ऐसे स्थल या स्थापन के भारसाधक व्यक्ति को ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य को प्रतिबंध करने का आदेश करेगा जब तक उसका समाधान न हो जाए कि खतरे के कारणों को दूर करने के लिए उपाय कर दिए गए हैं ;

(ख) निरीक्षक-सह-सुकारक खंड (क) के अधीन आदेश की तालीम होने पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को आदेश की एक प्रति पृष्ठांकित करेगा ।

(ग) निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा किए गए ऐसे प्रतिषेध आदेश का तत्काल नियोजक द्वारा अनुपालन किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित है उस तारीख से पंद्रह दिन के भीतर जब उसको आदेश संसूचित हुआ है, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को या जहां ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा दिया गया है, केन्द्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या सक्षम प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार उक्त पंद्रह दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील को दाखिल करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था :

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन आदेश का अनुपालन, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार के विनिश्चय के अध्यधीन होगा ।

मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक, आदि द्वारा सूचना की गोपनीयता ।

39. (1) किसी स्थापन से संबंधित सभी प्रतियों और उद्धरण, रजिस्टर या अन्य रिकार्ड और किसी विनिर्माण या वाणिज्य कारबार के संबंध में अन्य जानकारी या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या किसी निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा या उसकी सहायता करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अधीन किसी स्थापन के निरीक्षण या सर्वेक्षण के अनुक्रम में किसी कार्य प्रक्रिया में अर्जित की जाए, या धारा 20 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन के अध्यधीन अर्जित की जाए, गोपनीय के रूप में समझा जाएगा और सेवा में रहते हुए या सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रकट नहीं की जाएगी जब तक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या

निरीक्षक-सह-सुकारक का यह विचार न हो कि स्थापन में नियोजित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रकट करना आवश्यक है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसी सूचना के प्रकटन को लागू नहीं होगी जो—

(क) किसी न्यायालय को ;

(ख) इस संहिता के अधीन गठित किसी समिति या बोर्ड को ;

(ग) संबंधित स्थापन के किसी शासकीय वरिष्ठ या नियोजक को ;

(घ) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए नियुक्त किए गए किसी आयुक्त को ; 1923 का 8

(ङ) नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को ; और

(च) समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किया गया किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाए ।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते हुए भी, कोई मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक इस संहिता के उपबंधों के उल्लघंन के संबंध में, तब उसको किए गए किसी परिवाद के स्रोत को प्रकट नहीं करेगा और जब उक्त परिवाद के अनुसरण में इस संहिता के अधीन परिवादकर्ता की सहमति के बिना कोई निरीक्षण किया जा रहा है, तब संबद्ध नियोजक या उसके किसी प्रतिनिधि को कि उक्त परिवाद के अनुसरण में निरीक्षण को भी प्रकट नहीं करेगा । 2005 का 22

निरीक्षक-सह-सुकारक को दी गई सुविधाएं ।

40. किसी स्थापन का प्रत्येक नियोजक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और अधिकारिता रखने वाले प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को इस संहिता के अधीन कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, सर्वेक्षण मापन, परीक्षण या जांच करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ।

खान के संबंध में विशेष अधिकारी की प्रवेश, मापने, आदि की शक्ति ।

41. सरकार की सेवा में की कोई भी व्यक्ति, जिसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक ने, लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया हो, ऐसे खान के प्रबन्धक को सूचना देने के पश्चात् जो तीन दिन से कम की न हो, किसी खान या उसके किसी उत्पाद का सर्वेक्षण, तलमापन या मापन करने के प्रयोजन के लिए उसमें प्रवेश कर सकेगा और दिन या रात्रि में किसी भी समय खान या उसके किसी भाग या उसके किसी उत्पाद का सर्वेक्षण, तलमापन या मापन कर सकेगा :

परन्तु जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में कोई आपात विद्यमान हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह ऐसी कोई सूचना दिए बिना पूर्वोक्त में से किसी प्रयोजन के लिए खान मे प्रवेश करे ।

चिकित्सा अधिकारी ।

42. (1) समुचित सरकार, कारखाना, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम और किसी अन्य स्थापन के संबंध में इस संहिता के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अधिकारी होने की विहित अर्हता रखने वाले को चिकित्सा व्यवसायी नियुक्त कर सकेगी, जैसा विहित किया जाए :

परन्तु ऐसे नियुक्त किया गया चिकित्सा अधिकारी अपना पद ग्रहण करने से पहले संबंधित स्थापन में अपना हित समुचित सरकार को प्रकट करेगा ।

(2) चिकित्सा अधिकारी, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) कर्मकारों की परीक्षा और प्रमाणन, जो किसी खान या कारखाने या किसी अन्य स्थापन में, जैसा विहित किया जाए, ऐसे खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं ;

(ख) किसी कारखाने, खान, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम या ऐसे अन्य स्थापन के लिए, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसा चिकित्सा पर्यवेक्षण करेगा जहां बीमारी के मामले हुए हैं, जिसे युक्तियुक्त विश्वास है कि किसी प्रक्रिया की प्रकृति के चलन या ऐसे स्थापन में विद्यमान कार्य की अन्य स्थितियों के कारण है ;

(ग) कारखाना, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम और किसी अन्य स्थापन में नियोजन के लिए उसकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कुमार की परीक्षा और प्रमाणन, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी कार्य में जिसमें उसके स्वास्थ्य की क्षति होना संभाव्य है, किया जा सकता है ।

अध्याय 10

स्त्रियों के नियोजन के संबंध में विशेष उपबंध

स्त्रियों का नियोजन ।

43. स्त्रियां इस संहिता के अधीन सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी स्थापनों में नियोजित किए जाने की हकदार होंगी और वे अपनी सहमति से किसी स्थापन में 6 बजे पूर्वाह्न से पहले और 7 बजे अपराह्न के पश्चात् भी नियोजक द्वारा सुरक्षा, अवकाश और कार्यों के घंटों से संबंधित, इस निमित्त और ऐसी शर्त के अध्यधीन या किसी अन्य परिस्थिति को देखते हुए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नियोजित हो सकेंगी ।

खतरनाक प्रचालन मे स्त्रियों के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा ।

44. जहां समुचित सरकार का यह मानना है कि किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग में स्त्रियों का नियोजन या ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग में किसी विशिष्ट जोखिमपूर्ण या संकटपूर्ण प्रक्रिया में उसमें प्रचालन के कार्यान्वित रहने के कारण, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संकटपूर्ण है, ऐसी सरकार विहित रीति से ऐसे प्रचालन के लिए स्त्रियों के नियोजन के पूर्व नियोजक से पर्याप्त रक्षोपाय उपबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 11

ठेका श्रमिकों और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार, आदि के लिए विशेष उपबंध

भाग 1

ठेका श्रमिक

इस भाग का लागू होना ।

45. (1) यह भाग—

(i) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है, जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ii) प्रत्येक जनशक्ति प्रदाय ठेकेदार को लागू होता है, जिसने पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन पचास या इससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित किए थे :

(2) यह भाग उस स्थापन में लागू नहीं होगा जिसमें कि केवल किसी आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकृति के कार्य किए जाते हैं :

परन्तु यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थापन में किए गए कार्य किसी आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकृति के हैं, समुचित सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य सलाहकारी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी और उसके विनिश्चय उस पर अंतिम होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, किसी स्थापन में किए गए कार्य किसी आन्तरायिक प्रकृति का नहीं समझा जाएगा—

(i) यदि यह पूर्ववर्ती बारह मास में एक सौ बीस दिन से अधिक के लिए किए गए थे ; या

(ii) यदि यह समय विशेष का है और एक वर्ष में साठ दिन से अधिक के लिए किए गए हैं ।

अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति ।

46. समुचित सरकार, किसी आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, धारा 119 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी के रूप में अभिहित किए जाने के लिए ठीक समझता है, नियुक्त कर सकेगी और उसकी अधिकारिता की सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी तथा इलैक्ट्रानिक रूप से अनुज्ञप्तियों को जारी करने और उसे प्रतिसंहृत करने सहित ऐसी शक्तियां और कर्तव्य निहित होंगे, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ।

ठेकेदार को अनुज्ञापन ।

47. (1) कोई ठेकेदार जिसको यह भाग लागू होता है,—

(क) किसी स्थापन में ठेका श्रमिक प्रदाय या नियुक्त नहीं करेगा ; या

(ख) ठेका श्रमिक के माध्यम से कार्य प्रारंभ या निष्पादन नहीं करेगा,

ऐसी अपेक्षित अर्हता या मानदंड, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए, पूरा करता है समाधान होने के पश्चात् उस धारा के उपबंधों के अनुसार धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन या अनुसरण में के सिवाय और ऐसी अनुज्ञप्ति में उपधारा (3) में, विनिर्दिष्ट विहित की गई विशिष्टियों में और शर्तों के अतिरिक्त, ठेका श्रमिक की निर्दिष्ट संख्या जो उसमें प्रदाय किए गए या लगे हुए हैं, और ठेकेदार द्वारा जमा की प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट होगी ।

(2) जहां ठेकेदार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता या मानदंड को पूरा नहीं करता है, धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे समय के भीतर जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ठेका श्रमिक प्रदाय या रखने या ठेका श्रमिक के माध्यम से कार्य निष्पादन केवल संबंधित कार्य आदेश जैसा उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए नवीकरणीय "कार्य विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति" उसे जारी कर सकेगा ।

(3) इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन,—

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेगी जिसमें ठेका श्रमिक के संबंध में, विशिष्टियां, काम के घंटों की शर्तें; मजदूरी का नियतन और अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं भी शामिल है जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति उक्त स्थापन के लिए समुचित सरकार से यदि वह—

(i) केन्द्रीय सरकार है, तो उस सरकार द्वारा धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से ; और

(ii) राज्य सरकार है, तो उस सरकार द्वारा अभिहित धारा 119 की उपधारा (1) में अभिहित निर्दिष्ट प्राधिकारी से,

प्राप्त करेगा :

परन्तु जहां ठेकेदार, एक से अधिक राज्यों या संपूर्ण भारत में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ठेका श्रमिकों की पूर्ति या ठेका श्रमिकों को लगाने या संविदा कार्यों को लेने या निष्पादित करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करता है, तब वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा, जो उस धारा के ऐसे प्रयोजन और उपबंधों के लिए लागू होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व पहले परन्तुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे स्थापनों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से धारा 119 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संबद्ध राज्य या राज्यों से परामर्श लेंगे, जिसके लिए समुचित सरकार, राज्य सरकार है ।

अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीकरण के लिए प्रक्रिया ।

48. (1) धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए धारा 119 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने लिए धारा 119 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा और जिसमें ठेका श्रमिकों की संख्या से संबंधित विशिष्टियां, कार्य की प्रकृति जिसके लिए ठेका श्रमिक नियोजित किया गया है और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से संबंधित सूचना सहित ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) धारा 119 के उपबंधों के अधीन उसकी उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) धारा 119 के उपबंधों के अधीन धारा 47 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए जारी की गई अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट ठेका श्रमिकों की संख्या के संबंध में पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और उस दशा में जब ठेकेदार ठेका श्रमिकों की संख्या बढ़ाना चाहता है तब वह विहित की गई रीति से अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने के लिए धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त उद्देश्य के लिए आवेदन करेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुज्ञप्ति नवीकृत कर दी जाए, ठेका श्रमिक नवीकृत अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट जमा ऐसी प्रतिभूति के निक्षेप द्वारा उस विस्तार तक बाकी अवधि के लिए बढ़ जाएगा ।

(4) धारा 119 के उपबंधों के अधीन, धारा 47 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए जारी अनुज्ञप्ति में ठेकेदार का उत्तरदायित्व अन्तर्विष्ट होगा, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

कर्मकार के लिए कोई फीस या कमीशन या कोई लागत न होना ।

49. ठेकेदार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, संपूर्ण रूप से या भागतः, ठेका श्रमिक से कोई फीस या कमीशन प्रभार नहीं लेगा ।

समुचित सरकार को कार्य आदेश संबंधी सूचना का दिया जाना ।

50. (1) जब कोई ठेकेदार या तो स्थापन में ठेका श्रमिक प्रदाय करने के लिए या स्थापन में ठेका श्रमिक के माध्यम से संविदा निष्पादित करने के लिए किसी स्थापन से कोई आदेश प्राप्त करता है तो वह ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, धारा 119 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(2) जहां ठेकेदार, उपधारा (1) के अधीन सूचना देने में असफल रहता है, वहां अभिहित प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति के धारक को कारण दिखाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसी रीति से जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण, निलंबन और संशोधन ।

51. (1) यदि धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निमित्त उसे किए गए निर्देश पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि,—

(क) इस भाग के प्रयोजनों के लिए दी गई कोई अनुज्ञप्ति, दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई है ; या

(ख) अनुज्ञप्ति का धारक, ऐसी शर्त, जिसके अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, का पालन करने में असफल रहता है या इस भाग के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तब किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए ठेकेदार इस संहिता के अधीन दायी है, धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, ठेकेदार को कारण दिखाने का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस भाग के प्रयोजनों के लिए दी गई अनुज्ञप्ति को संशोधित कर सकेगा ।

अपील ।

52. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 47, धारा 48 या धारा 51 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको उसे आदेश संसूचित होता है, धारा 119 की उपधारा (6) के अधीन समुचित सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको अपील प्रस्तुत की गई थी अपील का निपटान करेगा ।

कल्याणकारी सुविधा के लिए प्रधान नियोजक का दायित्व ।

53. धारा 23 और धारा 24 के अधीन विनिर्दिष्ट कल्याणकारी सुविधाओं को, स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिक को जो ऐसे स्थापन में नियोजित है, उपलब्ध कराई जाएंगी ।

गैर अनुज्ञप्त ठेकेदार से ठेका श्रमिक नियोजन का प्रभाव ।

54. कोई प्रधान नियोजक किसी ठेकेदार के माध्यम से ठेका श्रमिक नियोजित कर रहा है, उसे इस भाग के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है, किन्तु वह अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसा नियोजन, इस संहिता के उपबंधों का उल्लंघन समझा जाएगा ।

मजदूरी के संदाय का उत्तरदायित्व ।

55. (1) ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित किए गए प्रत्येक ठेका श्रमिक के लिए मजदूरी का संदाय करने के लिए दायी होगा, और ऐसी मजदूरी ऐसी अवधि, जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, की समाप्ति से पहले संदाय करेगा ।

(2) प्रत्येक ठेकेदार उपधारा (1) मे निर्दिष्ट मजदूरी को बैंक अंतरण या इलैक्ट्रानिक रीति से संवितरण करेगा और उक्त रीति द्वारा ऐसे संदत्त धनराशि की सूचना इलैक्ट्रानिक रूप से प्रधान नियोजक को देगा :

परन्तु जहां इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में संदाय का संवितरण करना साध्य नहीं है, तब संदाय उस रीति में किया जाएगा, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है या कम संदाय करता है तो प्रधान नियोजक, ठेकेदार द्वारा नियोजित संबद्ध ठेका श्रमिकों को, यथास्थिति, पूरी मजदूरी या शोध्य असंदत्त अतिशेष का संदाय करने के लिए दायी होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को वह ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन संदेय किसी धनराशि में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय किसी ऋण में वसूल कर सकता है ।

(4) समुचित सरकार उस दशा में, जब ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित किए गए ठेका श्रमिकों को मजदूरी का संदाय नहीं करता है, उक्त ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि से प्रतिभूति जमा के रूप में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ठेकेदार को जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन जमा की गई थी, ऐसी रीति से जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, उक्त मजदूरी को संदाय करने का आदेश देगी ।

अनुभव प्रमाणपत्र ।

56. प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांग पर अनुभव प्रमाणपत्र उस प्ररूप में, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे ठेका श्रमिक द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरा देते हुए जारी करेगा ।

ठेका श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध ।

57. (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थापन के आधारभूत क्रियाकलापों में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है :

परन्तु प्रधान नियोजक, किसी आधारभूत क्रियाकलाप में ठेकेदार के माध्यम से ठेका श्रमिक लगा सकेगा, यदि—

(क) स्थापन का साधारण कार्यकरण ऐसा है कि क्रियाकलाप साधारणतया ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है ; या

(ख) क्रियाकलाप ऐसे हैं कि उन्हें, यथास्थिति, किसी दिवस के कार्य घंटों के बड़े भाग या दीर्घतर अवधियों के लिए पूर्णकालिक कर्मकारों की अपेक्षा नहीं है ;

(ग) आधारभूत क्रियाकलाप के कार्य की मात्रा में अचानक वृद्धि, जिसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ण करने की आवश्यकता है ।

(2) (क) समुचित सरकार, अधिसचूना द्वारा सरकार को इस प्रश्न पर परामर्श देने के लिए, कि क्या किसी स्थापन का कोई क्रियाकलाप आधारभूत क्रियाकलाप है या अन्यथा, अभिहित प्राधिकारी को नियुक्त करेगी ;

(ख) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किसी स्थापन का कोई क्रियाकलाप, आधारभूत क्रियाकलाप है या अन्यथा, तो व्यथित पक्षकार, विनिश्चय के लिए समुचित सरकार को, ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित किया जाए ;

(ग) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से प्रश्न निर्दिष्ट कर सकेगी या आवेदन को अभिहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगी, जो उसके कब्जे में सुसंगत सामग्री के आधार पर या ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के

भीतर समुचित सरकार को रिपोर्ट करेगी और तत्पश्चात् समुचित सरकार विहित अवधि के भीतर प्रश्न का विनिश्चय करेगी ।

विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति ।

58. समुचित सरकार, आपात की दशा में, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए तथा ऐसी अवधि के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबंध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या ठेकेदारों के किसी वर्ग को लागू नहीं होगें ।

भाग 2

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार

भाग 2 का लागू होना ।

59. यह भाग प्रत्येक स्थापन को लागू होगा जिसमें दस या अधिक अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजित है या पिछले बारह मास से किसी दिन नियोजत थे ।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को सुविधाएं ।

60. किसी स्थापन के लिए उस स्थापन के कार्य में नियोजित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के संबध में, यथास्थिति, प्रत्येक ठेकेदार या नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(i) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कर्मकार से उसके अपने राज्य से भिन्न राज्य में कार्य करने की अपेक्षा की गई है उसके कार्य की उचित दशाएं सुनिश्चित करें ;

(ii) ऐसे किसी कर्मकार को घातक दुर्घटना या उसको गंभीर शारीरिक क्षति हो जाने की दशा में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तथा कर्मकारों के नातेदारों को रिपोर्ट करें ;

(iii) ऐसे सभी फायदे जो उस स्थापन के कर्मकार को उपलब्ध ऐसे कर्मकार तक विस्तारित करें, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन फायदे तथा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर्मकार को उपलब्ध चिकित्सा जांच की सुविधा भी है । 1948 का 34 1952 का 19

यात्रा भत्ता ।

61. नियोजक, उसके स्थापन में नियोजित प्रत्येक अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को वर्ष में, एक बार उसके निवास स्थान से उसके नियोजन स्थान तक आने और जाने के लिए एकमुश्त किराये की रकम, ऐसी रीति में, हकदारी के लिए न्यूनतम सेवा, यात्रा की कालिकता और प्रवर्ग और ऐसे अन्य मामलों को, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाए, ध्यान में रखते हुए संदत्त करेगा ।

लोक वितरण प्रणाली, आदि के फायदे ।

62. समुचित सरकार—

(क) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को लोक वितरण प्रणाली के फायदे का या तो उसके निवास स्थान पर या उस पदाभिहित राज्य में जहां वह नियोजित है, लाभ उठाने का यह विकल्प प्रदान करने के लिए ; और

(ख) गंतव्य राज्य में जहां ऐसे अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजित है, भवन और अन्य सन्निर्माण उपकर निधि में से भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के फायदों की परिवहनीयता के लिए ;

स्कीमें बनायेगी ।

टोल फ्री हेल्पलाईन ।

63. समुचित सरकार अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को ऐसी रीति में जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, टोल फ्री हेल्पलाईन सुविधा प्रदान कर सकेगी ।

अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों पर अध्ययन ।

64. समुचित सरकार अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के अध्ययन का उपबंध ऐसी रीति में जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, कर सकेगी ।

पूर्व दायित्व ।

65. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के संबंध में उसके नियोजन के पूरा होने के पश्चात् जहां ठेकेदार या मूल नियोजक के प्रति अपरिनिर्धारित बाध्यताएं रह जाती है वहां किसी ऋण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएगी, और ऐसा ऋण या उसका कोई भाग, ऐसे कर्मकार के नियोजन की अवधि के पूरा होने पर निर्वापित समझा जाएगा ।

भाग 3

दृश्य-श्रव्य कर्मकार

करार के बिना दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन का प्रतिषेध ।

66. (1) कोई व्यक्ति दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में या किसी दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम संबंधी उत्पादन में तब तक नियोजित नहीं होगा, जब तक, —

(क) कोई लिखित करार—

(i) ऐसे दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ न किया हो; या

(ii) ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा ठेकेदार के साथ न किया हो, जहां ऐसे व्यक्ति ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं ; या

(iii) ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ न किया हो, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति नियोजित है ; और

(ख) समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाला ऐसा करार दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक करार,—

(क) विहित प्ररूप में होगा ;

(ख) दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में करार के अधीन नियोजित किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निर्दिष्ट होगी ;

(ग) जहां ऐसा दृश्य-श्रव्य कर्मकार जो ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, इस प्रभाव की विनिर्दिष्ट शर्त की दशा में, जब ठेकेदार दृश्य-श्रव्य कर्मकार के साथ, मजदूरी के संदाय या अन्य मामले के संबंध में, करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम का निर्माता ऐसे दायित्वों के निर्वहन के लिए दायी होगा और ठेकेदार द्वारा उससे संबंधित प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, में सम्मिलित होगा ।

(3) दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन से संबंधित उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार की एक प्रति, यदि ऐसा दृश्य-श्रव्य कर्मकार उसे भविष्य निधि का फायदा प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन आता है, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा ऐसे प्राधिकारी को भी जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रेषित की जाएगी ।

(4) अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(i) समनुदेशन की प्रकृति ;

(ii) मजदूरी और अन्य लाभ (जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन आता है) ; 1952 का 19

(iii) स्वास्थ्य और कार्य दशा ;

(iv) सुरक्षा ;

(v) कार्य के घंटे ;

(vi) कल्याणकारी सुविधाएं ; और

(vii) विवाद समाधान प्रक्रिया या तंत्र का गठन और अन्य ब्यौरे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे :

परंतु यदि ऐसी विवाद समाधान प्रक्रिया या तंत्र में, विवाद का समाधान विफल हो जाता है, तब विवाद का कोई भी पक्षकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7क के अधीन समुचित सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता का अवलम्ब ले सकेगा और ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसा विवाद उस अधिनियम के अर्थ में औद्योगिक विवाद समझा जाएगा और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दृश्य-श्रव्य कर्मकार से किए गए करार में विनिर्दिष्ट सुविधाओं को प्रदान करे और इलैक्ट्रानिक रीति के माध्यम से मजदूरी का संदाय करे । 1947 का 14

भाग 4

खान

प्रबंधक ।

67. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक खान एकमात्र प्रबंधक के अधीन होगी जिसकी ऐसी अर्हताएं होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और हर एक खान का स्वामी या अभिकर्ता ऐसी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त करेगा :

परंतु स्वामी या अभिकर्ता स्वयं को प्रबंधक नियुक्त कर सकेगा यदि उसके पास विहित अर्हताएं हैं ।

(2) ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो उसे खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए जाएं, प्रबंधक खान के संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे सब अनुदेश जब स्वामी या अभिकर्ता द्वारा दिए जाएं तो उनकी तुरंत लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी ।

(3) आपात की दशा के सिवाय, खान का स्वामी या अभिकर्ता या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, खान में नियोजित किसी व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, ऐसे अनुदेश, जो उसके कानूनी कर्तव्यों की पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं, प्रबंधक के माध्यम से ही देगा, अन्यथा नहीं ।

संहिता का कतिपय दशाओं में लागू न होना ।

68. (1) इस संहिता के उपबंध धारा 35, धारा 38, धारा 40, धारा 41 और धारा 44 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सिवाय—

(क) किसी ऐसी खान या उसके भाग को लागू नहीं होंगे जिसमें उत्खनन, कर्मचारियों की संख्या, उत्खनन की गहराई और अन्य ऐसे विषयों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए केवल पूर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, न कि उपयोग या विक्रय के लिए खनिजों की अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए ;

(ख) किसी ऐसी खान को लागू नहीं होंगे जो खुदाई, खुली खदान खुदाई और विस्फोटकों से संबंधित ऐसी शर्तों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के अधीन रहते हुए कंकड़, मोरम, लैटराइट, ढोका, बजरी, शिंगल, साधारण बालू (सांचाबालू, कांचबालू और अन्य खनिज बालूओं को अपवर्जित करते हुए), साधारण मृत्तिका (केओलिन, चीनी मिट्टी, श्वेत मृत्तिका या अग्निसह मृत्तिका को अपवर्जित करते हुए) इमारती पत्थर, स्लेट, सड़क-गिट्टी, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी (मार्ल, चॉक) और चूनापत्थर निकालने में लगी हो ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि इस संहिता के उपबंध ऐसी खान या उसके भाग को लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी की पूर्ति उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी खान के सम्बन्ध में किसी समय न की जाए, तो इस संहिता के वे उपबंध जो उपधारा (1) में उपवर्णित नहीं है, तुरंत लागू हो जाएंगे और खान के नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पूर्ति के न होने की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर दे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

नियोजन संबंधी उपबंध से छूट ।

69. (1) खान की या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर जोखिम अंतर्वलित करने वाली आपात की दशा में, या दुर्घटना, चाहे वास्तविक या आशंकित हो की दशा में, या किसी दैवीय कृत्य की दशा में, या खान की मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर के लिए ऐसी मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर की खराबी के परिणामस्वरूप किए जाने वाले किसी अत्यावश्यक कार्य की दशा में, प्रबंधक धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (आ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और भूमि के ऊपर कार्य के घंटे, भूमि के नीचे कार्य के घंटे से संबंधित धारा 25 की उपबंधों के अनुसार और धारा 26 के अधीन कार्य के घंटे और साप्ताहिक विश्राम दिवस से संबंधित अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार धारा 25, धारा 30 और धारा 31 की उपधारा (1) के उल्लंघन के ऐसे कार्य पर नियोजित व्यक्तियों को, जो खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा की संरक्षा के लिए आवश्यक हो, अनुज्ञात करा सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर पर शीघ्र कार्य किए जाने की दशा में प्रबंधक इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कार्रवाई कर सकेगा, यद्यपि, इससे खनिज का उत्पादन आकस्मिक रूप से प्रभावित होगा किंतु इस प्रकार की गई कोई कार्रवाई खान के साधारण रूप से कार्य करने में गंभीर रूप से हस्तक्षेप से बचने के प्रयोजन के लिए आवश्यक सीमाओं से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक मामला, जिसमें प्रबंधक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई की गई है, उससे संबंधित परिस्थितियों के साथ अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को भी की जाएगी ।

अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन ।

70. (1) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी खान या उसके किसी भाग में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शिक्षु और अन्य प्रशिक्षणार्थी, जो सोलह वर्ष से कम आयु के नहीं है, को धारा 67 में निर्दिष्ट अनुसार

प्रबंधक द्वारा खान या उसके किसी भाग में उचित पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु शिक्षुओं से भिन्न प्रशिक्षणार्थियों की दशा में उन्हें कार्य के लिए अनुज्ञात करने से पूर्व मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक का पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करना होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार खान में शिक्षु, अन्य प्रशिक्षणार्थी और कर्मचारी की चिकित्सा जांच के लिए उपबंध विहित कर सकेगी ताकि कार्य के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित हो सके और सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी के रूप में और उनको, जो ऐसे कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए वयस्क नहीं है, रोका जा सके ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में "शिक्षु" से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित प्रशिक्षु अभिप्रेत है । 1961 का 52

कतिपय व्यक्तियों को छूट ।

71. केन्द्रीय सरकार, खानों में नियोजित कतिपय व्यक्तियों या व्यक्तियों के प्रवर्गों को धारा 25 की उपधारा (1), धारा 26 की उपधारा (1), धारा 30 और धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए नियम बना सकेंगी ।

बचाव सेवाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण का स्थापन, रखरखाव ।

72. केन्द्रीय सरकार, खानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा बचाव और वसूली सेवाएं विहित कर सकेगी ।

इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या कोई खान इस संहिता के अधीन आती है ।

73. यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई उत्खनन या खादन या किसी खान में या उससे संलग्न कोई परिसर जिसमें खनिजों या कोक को विक्रय के लिए गेटिंग, ड्रेसिंग या तैयार करने से अनुषंगी कोई प्रक्रिया की जाती है इस संहिता के अर्थांतर्गत कोई खान है, केन्द्रीय सरकार प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगी और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र इस बिन्दु पर निश्चायक सबूत होगा ।

भाग 5

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार

औद्योगिक परिसरों और व्यक्ति को अनुज्ञप्ति ।

74. (1) इस भाग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी नियोजक किसी स्थान या परिसर को तब तक किसी औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करना अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि धारा 119 के अधीन जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता हो और ऐसे किसी परिसर का उपयोग केवल ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(2) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी स्थान या परिसर के उपयोग का आशय रखता है या उपयोग करना अनुज्ञात करता है, धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे परिसर को किसी औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग करना अनुज्ञात करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा ।

(3) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उस आवेदन में कर्मचारियों की वह अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट होगी, जो उस स्थान या परिसर में दिन के किसी समय नियोजित किए जाने को प्रस्थापित हो और उसके साथ उस स्थान या परिसर का ऐसी रीति में तैयार किया हुआ रेखांक होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसकी उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विनिश्चय करने के लिए कि कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाए या इंकार किया जाए, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) उस स्थान या परिसर का यथौचित्य, जो बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने को प्रस्थापित है ;

(ख) आवेदक का पूर्व अनुभव या उसने अनुभवी व्यक्ति को नियोजित किया है या उसने अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए नियोजन के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ करार किया है ;

(ग) आवेदक के वित्तीय संसाधन, जिनके अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों से उद्भूत मांगो को पूरा करने का उसको वित्तीय सामर्थ्य है ;

(घ) क्या आवेदन स्वयं आवेदक के निमित्त सद्भावपूर्वक किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनामी है ;

(ङ) परिक्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण, जन साधारण का हित और ऐसे अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगी और तत्पश्चात् उसका नवीकरण किया जा सकेगा ।

(6) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस भाग के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी कालावधि के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले ऐसी फीसों के संदाय पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और जहां ऐसा आवेदन किया गया है, वहां अनुज्ञप्ति का उसकी कालावधि का अवसान हो जाने पर भी चालू रहना तब तक समझा जाएगा जब तक, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति का नवीकरण, या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार न कर दिया गया हो :

परंतु धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस भाग के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन हो गया है :

परंतु यह और कि धारा 119 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए अनुज्ञप्ति का नवीकरण या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा और विनिश्चय करने में कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाए या उसका नवीकरण करने से इंकार किया जाए, धारा (4) में विनिर्दिष्ट विषयों को ध्यान में रखेगा ।

(7) धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस भाग के प्रयोजनों के लिए धारा 119 के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् रद्द या निलम्बित कर सकेगा, यदि उसको यह

प्रतीत होता है कि ऐसी अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है या अनुज्ञप्तिधारी ने इस भाग के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है या अनुपालन नहीं किया है ।

(8) राज्य सरकार, धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को साधारण प्रकृति के ऐसे लिखित निदेश दे सकेगी जैसे वह सरकार इस धारा से संबंधित धारा 119 के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान या नवीकरण से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में आवश्यक समझे ।

(9) धारा 119 और इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस भाग से संबंधित अनुज्ञप्तियों का अनुदान या नवीकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकेगा जैसे वह अवधारित करे और जहां कि ऐसा प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने से इंकार करता है वहां वह ऐसे इंकार के कारण अधिलिखित करते हुए आवेदक को संसूचित आदेश द्वारा ऐसा करेगा ।

अपीलें ।

75. धारा 119 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस भाग से संबंधित अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने वाले विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 119 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को अपील, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आदेश द्वारा पुष्ट कर सकेगा, उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसरों से बाहर कार्य करने के लिए अनुज्ञा ।

76. (1) राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा उसे ऐसे कर्मचारियों के निमित्त नियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर बीड़ी या तंबाकू पत्तों को औद्योगिक परिसरों से बाहर धोना या काटना, जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) नियोजक उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कार्य, जो औद्योगिक परिसरों से बाहर किया जाना है, के अभिलेख ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखेगा ।

(3) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी नियोजक बीड़ी या सिगार या दोनों के निर्माण से संबंधित किसी विनिर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक परिसरों से बाहर करने की अपेक्षा नहीं करेगा या किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मकार को लागू नहीं होगी, जिसे नियोजक द्वारा या किसी ठेकेदार द्वारा घर पर बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री दी गई है ।

इस भाग का प्राइवेट आवास गृहों में स्व:नियोजित व्यक्तियों पर लागू न होना ।

77. इस भाग में अंतर्विष्ट कोई बात किसी प्राइवेट निवास गृह के स्वामी या अधिभोगी को लागू नहीं होगी, जो किसी नियोजक का कर्मचारी नहीं है, जिसे यह भाग लागू होता है, जो उसके साथ ऐसे निवास गृह में रह रहे कुटुंब के सदस्यों के साथ, जो उस पर आश्रित हैं, ऐसे प्राइवेट निवास गृह में कोई विनिर्माण प्रक्रिया करता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कुटुंब" में बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित बालक सम्मिलित नहीं है ; 1986 का 61

(ii) "प्राइवेट निवास गृह" से कोई गृह अभिप्रेत है, जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों के विनिर्माण में लगे हुए व्यक्ति रहते हैं ।

भाग 6

भवन या अन्य संनिर्माण कर्मकार

कतिपय भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कतिपय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध ।

78. ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में नियोजक को ज्ञान है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह बधिर है या उसे दृश्य शक्ति की त्रुटि है, या सिर चकराने की प्रवृत्ति है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की किसी ऐसी संक्रिया में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसमें स्वयं भवन कर्मकार को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी दुर्घटना का जोखिम होना संभाव्य हो ।

भाग 7

कारखाना

कारखानों का अनुमोदन और अनुज्ञापन ।

79. (1) समुचित सरकार, निम्नलिखित के लिए कारखाना या कारखाना के वर्ग या कारखाने के विवरण के संबंध में नियम बना सकेगी—

(क) योजनाओं को प्रस्तुत करना, जिसके अंतर्गत उनकी विशिष्टियां, प्रकृति और प्रमाणन भी है ;

(ख) स्थल, जिस पर कारखाना अवस्थित किया जाना है और उसके संनिर्माण या विस्तार के लिए पूर्व अनुज्ञा ; और

(ग) धारा 119 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापन तथा उसका नवीकरण, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञापन और नवीकरण के लिए संदेय फीस भी है ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन, उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रेखांकों और विनिर्देशों सहित, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को इलैक्ट्रानिक ढंग, द्वारा भेजने पर, तीस मास से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उक्त आवेदन में जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वह अनुदत्त कर दी गई है ।

(3) जहां राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक किसी कारखाने के स्थल, सन्निर्माण या विस्तार के लिए और कारखाना के अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करता है वहां आवेदक ऐसे इन्कार की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील, उस मामले में, जिसमें वह विनिश्चय जिसकी अपील की जाती है राज्य सरकार का था, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य मामले में राज्य सरकार को कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई संयंत्र या मशीनरी लगाने के अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भाप, गर्मी या धूल या धूप के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरणीय दशा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व ।

80. जहां किन्हीं परिसरों या पृथक् भवनों को पृथक् कारखानों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है, परिसरों का स्वामी और कारखानों का अधिभोगी, जो सामान्य सुविधाओं, जिसके अंतर्गत सुरक्षा और अग्नि निवारण तथा संरक्षा, पहुंच, स्वच्छता, उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य, वायुसंचार, तापमान, आपातस्थिति के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया, कैंटीन, आश्रय, आराम कक्ष और शिशु कक्ष भी हैं, का उपयोग कर रहा है, संयुक्त और पृथकत: ऐसी सामान्य सुविधाओं का उपबंध करने के लिए और अनुरक्षण करने के लिए तथा सेवाओं के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, उत्तरदायी होगा ।

संहिता को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति ।

81. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि कारखाने में कार्य कर रहे कर्मकार की संख्या पर ध्यान न देते हुए इस भाग के सभी या कोई उपबंध किसी ऐसे स्थान को लागू होंगे, जिसमें विद्युत की सहायता से या उसके बिना कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया की जाती है या मामूली तौर से की जाती है ।

(2) किसी स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात् वह इस संहिता के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वामी" के अन्तर्गत परिसर का पट्टेदार या बन्धकदार भी होगा, जो परिसर का कब्जा रखता है ।

खतरनाक संक्रियाएं ।

82. समुचित सरकार किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग या विवरण के संबंध में, जिनमें कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है, जो उसमें नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति, विषाक्तीकरण या रोग का गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है, नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी,—

(क) किसी विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया को विनिर्दिष्ट करना और उसे खतरनाक घोषित ;

(ख) विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया में गर्भवती महिलाओं के नियोजन को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित ;

(ग) अधिष्ठाता की लागत पर ऐसे नियोजन में किसी कर्मकार या कर्मचारी की उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए नियोजन से पूर्व या किसी समय आवधिक चिकित्सा जांच ; और

(घ) कल्याणकारी सुख-सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, संरक्षा उपस्कर और वस्त्र तथा खतरनाक संक्रियाओं के लिए कोई अन्य अपेक्षा ।

स्थल मूल्यांकन समिति का गठन ।

83. (1) समुचित सरकार, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक या अधिक स्थल मूल्यांकन समितियों का ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, गठन कर सकेगी, जिसके अंतर्गत किसी कारखाने की आरंभिक अवस्थिति, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया या ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन पर विचार और सिफारिश करना भी है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थल मूल्यांकन समिति उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, सिफारिश करेगी ।

अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण ।

84. (1) ऐसे प्रत्येक कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट सहित खतरों से संबंधित सभी जानकारी और विनिर्माण, परिवहन, भंडारकरण और अन्य प्रक्रियाओं में ही सामग्रियों या पदार्थों को खुला छोड़ने या उनकी उठाई-धराई से उद्भूत ऐसे परिसंकटों पर काबू पाने के उपाय

विहित रीति से कारखाने में नियोजित कर्मकारों, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक, उस स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थित है और आस-पास के जनसाधारण को प्रकट करेगा ।

(2) अधिष्ठाता, उस कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, रजिस्ट्रीकरण करने के समय उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत एक विस्तृत नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक तथा स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे अन्तरालों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, उक्त नीति में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई जानकारी में अपशिष्टों की मात्रा, विशिष्टियां और अन्य लक्षण तथा उनके व्ययन की रीति के बारे में ठीक-ठीक जानकारी सम्मिलित होगी ।

(4) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना के होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण की जानकारी में लाएगा ।

(5) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता, यदि ऐसा कारखाना इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सूचित करेगा ।

(6) जहां कारखाने का कोई अधिष्ठाता उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे कारखाने को धारा 79 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी शास्ति के होते हुए भी, जिसका कारखाने का अधिष्ठाता पर इस संहिता के उपबंधों के अधीन भागी होगा, रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी ।

(7) किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के पूर्व अनुमोदन से, कारखाना परिसर के भीतर परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई, प्रयोग, परिवहन, भंडारकरण तथा कारखाना परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के व्ययन के लिए उपाय अधिकथित करेगा और उनका कर्मकारों तथा आस-पास रहने वाले जनसाधारण के बीच, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से प्रचार करेगा ।

अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व ।

85. किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, प्रत्येक अधिष्ठाता—

(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, सही और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनके पास परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई संबंधी अर्हताएं और अनुभव हैं तथा जो कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के उठाने-धरने का पर्यवेक्षण करने और काम के स्थान पर कर्मकारों का राज्य सरकार का विहित रीति से संरक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं :

परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न उठता है वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ग) प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षा की—

(i) ऐसे कर्मकार को कोई ऐसा काम सौंपने के पहले जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई या काम अन्तर्वलित है, और

(ii) ऐसा काम करते रहने के दौरान और ऐसे काम के समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे अंतरालों पर, जो बारह मास से अधिक न हो, ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए,

व्यवस्था करेगा ।

कतिपय स्थितियों में राष्ट्रीय बोर्ड का जांच करना ।

86. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी असाधारण स्थिति की दशा में, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ कोई कारखाना अंतर्वलित है, राष्ट्रीय बोर्ड को कारखाने में नियोजित कर्मकारों या साधारण जनता के लिए, जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित उपायों या मानकों को अंगीकार करने में असफलता या उपेक्षा के कारणों को पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अपनाए जा रहे स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए और भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थिति की पुनरावृत्ति को निवारित करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड को जांच करने का निदेश दे सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होंगी ।

आपात स्थिति मानक ।

87. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी परिसंकटमय प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं के वर्ग के संबंध में कोई मानक विहित नहीं किए गए हैं या जहां इस प्रकार विहित मानक अपर्याप्त हैं वहां महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थानों या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों से संबंधित मामलों में प्राधिकृत संस्थाओं को ऐसी परिसंकटमय प्रक्रियाओं की बाबत उपयुक्त मानकों के प्रवर्तन के लिए आपातिक मानकों को अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकथित आपातिक मानक जब तक उन्हें इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों में शामिल नहीं कर लिया जाता है प्रवर्तनीय होंगे और उनका वही प्रभाव होगा मानो उन्हें इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों में शामिल कर लिया गया था ।

रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रति उच्चछन्नता की अनुज्ञेय सीमाएं ।

88. किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायन और विषैले पदार्थों के प्रति उच्चछन्नता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उस गणना की होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

कर्मकारों का आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार ।

89. (1) जहां किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे किसी कारखाने में नियोजित कर्मकारों को युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी दुर्घटना के कारण उनके जीवन या स्वास्थ्य को संभाव्यत: आसन्न खतरा है, वहां वे उसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जो कारखाने या संबंधित प्रक्रिया का भारसाधक है, की जानकारी में सीधे या सुरक्षा समिति के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ला सकेंगे और साथ ही उसे निरीक्षक-सह-सुकारक की जानकारी में भी ला सकेंगे ।

(2) ऐसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या कारखाने या प्रक्रिया के भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरंत उपचारी कार्रवाई करे, यदि उसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल निकटतम निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजें ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या भारसाधक व्यक्ति का कर्मकारों द्वारा आशंकित रूप में किसी आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान नहीं होता है तो भी वह इस मामले को निकटतम निरीक्षक-सह-सुकारक को तत्काल निर्देशित करेगा जिसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में विनिश्चय अंतिम होगा ।

कारखाने की दशा में निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश के विरुद्ध अपील ।

90. समुचित सरकार, वह रीति जिससे और समुचित प्राधिकारी, जिसे कारखाने का प्रबंधक या अधिभोगी, निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसी अपीलों के निपटान के लिए प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए उपबंध विहित कर सकेगी ।

छूट देने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

91. (1) समुचित सरकार,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण कर रहे हैं या किसी कारखाने में गोपनीय पद पर नियोजित हैं, विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकेगी या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण कर रहा है या किसी कारखाने में गोपनीय स्थिति में नियोजित है, यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है या इस प्रकार नियोजित है, ऐसा व्यक्ति, घोषित करने के लिए सशक्त करने हेतु नियम बना सकेगी और इस संहिता के उपबंध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ;

(ख) किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग के किसी कर्मकार या कर्मचारी के वर्ग की बाबत, छूट प्रदान करने, छूट का विस्तार करने और ऐसी शर्तों जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की जा सकेगी, का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) समुचित सरकार या निरीक्षक-सह-सुकारक किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग में किन्हीं या सभी वयस्क कर्मकारों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समीचीन समझे छूट दे सकेगी ।

भाग 8

बागान

बागान के श्रमिकों के लिए सुविधाएं ।

92. (1) राज्य सरकार, धारा 23 और धारा 24 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नियोजक से उसके बागान में निम्नलिखित व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा विहित कर सकेगी—

(क) बागान में नियोजित प्रत्येक कर्मकार (जिसके अन्तर्गत उसका कुटुंब भी है) के लिए आवश्यक वास-सुविधाएं जिसके अंतर्गत पीने का पानी, रसोई और शौचालय भी है;

(ख) शिशु कक्ष सुविधाएं, जहां बागान में पचास या उससे अधिक कर्मकार (जिसके अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार भी है) नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित थी:

परंतु यह कि,—

(i) कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी इकाई या गैर-सरकारी संगठन या किसी अन्य संगठन द्वारा मुहैया कराये गए सामूहिक शिशु कक्ष का उपभोग कर सकेंगे; या

(ii) संस्थानों के समूह सामूहिक शिशु कक्ष की स्थापना के लिए उनके संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए सहमत हो सकेंगे;

(ग) बागान में नियोजित कर्मकारों के बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं जहां कर्मकारों के छह से बारह वर्ष की आयु के बालकों की संख्या पच्चीस से अधिक है ;

(घ) बागान में नियोजित प्रत्येक कर्मकार (जिसके अन्तर्गत उसका कुटुंब भी है) के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन सुरक्षा प्रदान करने ; और 1948 का 34

(ङ) बागान में नियोजित कर्मकारों के लिए आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं ।

(2) बागान का नियोजक या तो उसके संसाधनों से या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या उस स्थान की, जहां ऐसा बागान अवस्थित है की पंचायत की स्कीमों के माध्यम से ऐसी कल्याण सुविधाओं को प्रदान करने या उनका अनुरक्षण करने के लिए, जिनका बागान कर्मकार इस संहिता के अधीन हकदार है, उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "नगरपालिका" पद का वही अर्थ होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ङ) में उसका है; और

(ii) "पंचायत" पद का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में उसका है ।

सुरक्षा । **93.** (1) प्रत्येक बागान में नियोजक द्वारा कीटनाशियों, नाशकजीवमारों और रसायनों तथा विषैले पदार्थों के उपयोग, हथालन, भंडारण और परिवहन के संबंध में कर्मकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे ।

(2) राज्य सरकार, परिसकंटमय रसायनों के उपयोग या हथालन में महिलाओं या कुमारों के नियोजन के लिए विशेष रक्षोपाय विहित कर सकेगी ।

(3) बागान का नियोजक विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को अपने बागानों में कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, हथालन, भंडारण और परिवहन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(4) बागान का प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों का हथालन करने, मिश्रण करने, मिलाने और प्रयुक्त करने के लिए बागान में नियोजित प्रत्येक कर्मकार विभिन्न संक्रियाओं, जिसमें वह लगा हुआ है और ऐसे कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के छितरने से उत्पन्न आपात में अपनाए

जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपाय और सुरक्षा कार्य व्यवहारों और ऐसे अन्य मामलों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, में अंतर्वलित परिसंकटमयता के बारे में प्रशिक्षित है ।

(5) बागान में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, जो कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आता है, का कालिक रूप से ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा ।

(6) बागान का प्रत्येक नियोजक, बागान के प्रत्येक कर्मकार, जो कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों, जिनका बागान में उपयोग, हथालन, भंडारण या परिवहन किया गया है, के संपर्क में आता है, के स्वास्थ्य अभिलेख का अनुरक्षण करेगा और प्रत्येक ऐसे कर्मकार की ऐसे अभिलेख तक पहुंच होगी ।

(7) बागान का प्रत्येक नियोजक, कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार के लिए ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित प्रदान करेगा—

(क) धुलाई, स्नान करने और क्लॉक रूम सुविधाओं ; और

(ख) संरक्षा वस्त्र और उपस्कर ।

(8) बागान का प्रत्येक नियोजक, बागान में कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के हथालन और उपयोजन में नियोजित कर्मकारों के श्वसन क्षेत्र में कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के अनुज्ञेय सांद्रण की एक सूची बागान में प्रदर्शित करेगा ।

(9) बागान का प्रत्येक नियोजक, बागान में कीटनाशियों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों की परिसंकटमयता को प्रदर्शित करते हुए, ऐसी पूर्वावधानी सूचनाएं, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदर्शित करेगा ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

अपराधों के लिए साधारण शास्ति ।

94. इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यदि किसी स्थापन में या उसके संबंध में इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उपविधियों या किन्हीं मानकों के उपबंधों या इस संहिता या ऐसे विनियमों या नियमों या उपविधियों या मानकों के अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश का उल्लंघन होता है, यथास्थिति, स्थापन का नियोजक या मूल नियोजक शास्ति का, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगी और यदि दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है तो और जुर्माने से, जो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक, आदि को बाधा कारित करने के लिए दंड ।

95. (1) जो कोई जानबूझकर इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन—

(i) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को, जो इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उपविधियों के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है, के ऐसे कर्तव्य के निर्वहन या ऐसी शक्ति के प्रयोग में उसको निवारित करता है या बाधा पहुंचाता है; या

(ii) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी या धारा 37 में निर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ को ऐसे किसी स्थान में प्रवेश देने से इंकार करता है जहां ऐसा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या विशेषज्ञ जो प्रवेश करने का हकदार है ; या

(iii) किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने में असफल रहता है या इंकार करता है जिसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाती है ; या

(iv) उसे जारी किसी अध्यपेक्षा या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, परंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

रजिस्टर, अभिलेखों के अननुरक्षण और विवरणियों, आदि को फाइल नहीं करने के लिए शास्ति ।

96. (1) कोई व्यक्ति जिससे, इस संहिता या नियमों या विनियमों या उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के अधीन अपेक्षा की जाती है कि,—

(i) वह किसी रजिस्टर या अन्य किसी दस्तावेज का अनुरक्षण करे या विवरणियों को फाइल करे, ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज का अनुरक्षण करने में या ऐसी विवरणियों को फाइल करने में असफल रहता है या लोप करता है ; या

(ii) किसी रजिस्टर या रेखांक या अभिलेख या रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करे, ऐसा रजिस्टर या रेखांक या अभिलेख या रिपोर्ट या ऐसे अन्य दस्तावेज को पेश करने में असफल रहता है या लोप करता है,

तब वह, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी परंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तब वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी परंतु जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।

97. (1) कोई व्यक्ति, जो उसके सिवाय, जैसा कि इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञात है,—

(i) इस संहिता के किसी उपबंध या किसी नियम, विनियम या उपविधियों का ; या

(ii) इस संहिता के अधीन किए गए किसी आदेश का जो स्त्रियों, दृश्य-श्रव्य कर्मकारों और ठेका-श्रमिक और खानों की दशा में अठारह वर्ष की आयु से कम के कर्मचारी सहित कर्मकारों के किसी नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करता है, का उल्लंघन करता है,

तो, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी परंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, उसी उपबंधों के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है तब वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

अभिलेखों के मिथ्याकरण, आदि के लिए दंड ।

98. (1) जो कोई—

(क) इस संहिता या किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन से संबंधित किसी दस्तावेज के संबंध में मिथ्या अभिलेख पेश करता है या कूटकरण करता है या जानते हुए मिथ्या कथन, घोषणा या साक्ष्य बनाता है, या पेश करता है या उपयोग करता है ; या

(ख) किसी ऐसे रेखांक या खंड–चित्र का मिथ्याकरण करता है जिसका रखा जाना इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित हो या, उसे मिथ्या जानते हुए ऐसी रेखांक या खंड-चित्र को किसी प्राधिकारी के समक्ष पेश करता है ; या

(ग) कोई मिथ्या रेखांक, खंड-चित्र, विवरणी, सूचना, अभिलेख या रिपोर्ट जानते हुए बनाएगा, देगा या परिदत्त करेगा, जिसमें ऐसा कथन, प्रविष्टि या ब्यौरा अंतर्विष्ट हो,

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुन:दोषसिद्ध ठहराया जाता है तब वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा परंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

रेखांक, आदि देने में लोप के लिए शास्ति ।

99. कोई व्यक्ति जो, इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा या उसके अधीन बनाए जाने या दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई रेखांक, खंड-चित्र, विवरणी, सूचना, रजिस्टर, अभिलेख या रिपोर्ट विहित प्ररूप में या विहित रीति से या विहित समय पर या उसके भीतर बनाने या देने का लोप, बिना युक्तियुक्त कारण के, जिसे साबित करने का भार उस पर है, करता है वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, परंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड ।

100. (1) जो कोई मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या धारा 39 या धारा 121 में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति होते हुए उस धारा के उपबंधों के प्रतिकूल समुचित सरकार की सहमति के बिना जो उस धारा में निर्दिष्ट है किसी ऐसी जानकारी को प्रकट करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए अग्रसर नहीं होगा ।

सदोष विश्लेषण के परिणाम को प्रकट करने के लिए शास्ति ।

101. जो कोई, जहां तक इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, के सिवाय, इस संहिता के अधीन किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त या प्रयुक्त होने के लिए आशयित किसी पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के परिणाम को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करता है या प्रकाशित करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

102. (1) जो कोई निम्नलिखित के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों की अनुपालना करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है—

(i) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ज) या उपधारा (2) या धारा 13 के खंड (घ) के, जहां तक ऐसा कर्तव्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित है ; या

(ii) धारा 80 के अधीन,

ऐसे उल्लंघन या ऐसी असफलता के संबंध में कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और असफलता या उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रथम ऐसी असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उस दौरान हर एक दिन के लिए जिसको ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष की कालावधि से आगे जारी रहती है तो, अपराधी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

सुरक्षा उपबंधों संबंधी कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है, के लिए शास्ति ।

103. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस संहिता, नियमों, विनियमों, उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के अधीन किन्हीं कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है और ऐसे अननुपालन या उल्लंघन का परिणाम ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना है, जिससे,—

(क) मृत्यु कारित हो तो, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा या, दोनों से दंडनीय होगा ; या

(ख) स्थापन के भीतर किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति कारित हो तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा परंतु चार लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के अधीन जुर्माना अधिरोपित करते समय न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि जुर्माने का कोई भाग जो उसके पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा, पीड़ित व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है, उसके अधीन पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाए तो, वह पहली दोषसिद्धि के लिए इस उपधारा में दिए गए दंड के दुगुने दंड से दंडनीय होगा ।

धारा 38 के अधीन आदेश के उल्लंघन के लिए विशेष उपबंध ।

104. जो कोई, धारा 38 के उपबंधों के अधीन जारी किसी साधारण या विशेष आदेशों के उल्लंघन में कार्य करना चालू रखता है, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा :

परंतु यह कि ऐसे जुर्माने को अधिरोपित करने के लिए कारणों को निर्णय में लेखबद्ध किए बिना न्यायालय इस धारा के अधीन ऐसा जुर्माना अधिरोपित नहीं करेगा जो दो लाख रुपए से कम का होगा ।

खान का प्रबंधक नियुक्त करने में असफलता ।

105. जो कोई, धारा 67 के उपबंधों के अनुपालन में, प्रबंधक नियुक्त करने में असफल रहता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों द्वारा अपराध ।

106. (1) धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसके खंड (घ) के सिवाय, यदि कार्यस्थल में नियोजित कोई कर्मचारी इस संहिता या किन्हीं नियमों या तद्धीन किए गए आदेशों के उपबंधों का, जो कर्मचारियों पर कोई दायित्व या कर्तव्य अधिरोपित करता है, उल्लंघन करता है तो जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है वहां स्थापन के नियोजक को उस उल्लंघन के संबंध में अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक यह साबित नहीं हो जाए कि इसके निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करने में वह असफल रहा है ।

खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का अभियोजन ।

107. इस संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए किसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के विरुद्ध कोई भी अभियोजन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की या जिला मजिस्ट्रेट की या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निरीक्षक-सह-सुकारक की प्रेरणा पर संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक-सह-सुकारक ऐसा अभियोजन संस्थित करने के पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने में सभी तत्परता बरतने में असफल रहा था :

परंतु यह और कि किसी खान में तकनीकी निर्देशन और प्रबंधन के अनुक्रम में किए गए किसी अपराध के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के विरुद्ध कोई अभियोजन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय संस्थित नहीं करेगा ।

खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के अधिष्ठाता को दायित्व से कतिपय दशाओं में छूट ।

108. जहां खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का नियोजक या अधिष्ठाता जो इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध से आरोपित है, वह अपने द्वारा किए गए परिवाद पर और अभियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की तीन दिन से अन्यून पूर्ण दिन की लिखित सूचना देने पर इस बात का हकदार होगा कि वह अन्य व्यक्ति जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है उस समय पर जो आरोप की सुनवाई के लिए नियत हो न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात् यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का अधिष्ठाता या प्रबंधक न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित कर दे कि,—

(क) इस संहिता के क्रियान्वयन को प्रवृत्त करने के लिए उसने सम्यक् तत्परता बरती है ; या

(ख) उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध को उसके ज्ञान, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है,

तो अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाएगा और उसी प्रकार के दंड का दायी होगा, मानों वह यथास्थिति, खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या

कारखाने के प्रबंधक या अधिष्ठाता हो और किसी खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का प्रबंधक या अधिष्ठाता इस संहिता के अधीन उस अपराध के संबंध में किसी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा :

परंतु यह कि यथापूर्वोक्त साबित करने में यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक की शपथ पर परीक्षा हो सकेगी और उसका साक्ष्य और किसी अन्य साक्षी का, जिसे वह अपने समर्थन में बुलाए उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, और अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षा के अध्यधीन होगा :

परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जो वास्तविक अपराधी के रूप में, यथास्थिति, खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाने के प्रबंधक या अधिष्ठाता द्वारा आरोपित है उस समय पर जो आरोप की सुनवाई के लिए नियत हो, न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय उसकी सुनवाई समय-समय पर तीन मास से अनधिक के लिए स्थगित करेगा और यदि उक्त कालावधि के अंत तक भी वह व्यक्ति जो वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित है, न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय, यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के प्रबंधक या अधिष्ठाता के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और यदि अपराध साबित हो जाए तो उसे दोषसिद्ध ठहराएगा ।

कंपनियों, आदि द्वारा अपराध ।

109. (1) जहां किसी कंपनी द्वारा इस संहिता के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय, अपराध कारित किया गया था, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी होगा और तद्नुसार दंडित होगा :

परंतु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित कर देता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया है या उसने ऐसे अपराध के घटित होने के निवारित करने की पूरी सम्यक् तत्परता बरती है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा इस संहिता के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण घटित हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा और तद्नुसार दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; और

(ख) "निदेशक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) किसी फर्म के संबंध में उसके भागीदार; या

(ii) फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम या कंपनी होते हुए, किसी खान का स्वामी; या

(iii) उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न व्यष्टियों के संगम की दशा में, इसका कोई सदस्य ।

अपराध का संज्ञान और अभियोजन की परिसीमा ।

110. (1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरीक्षक-सह-सुकारक इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी नियोजक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही आरंभ नहीं करेगा, जब तक कि नियोजक को सुनवाई का अवसर ऐसे अवसर की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए प्रदान नहीं किया जाता है और यदि नियोजक ऐसी अवधि के भीतर ऐसे उपबंधों का अनुपालन कर देता है तब ऐसी नियोजक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी :

परंतु दुर्घटना की दशा में और यदि इस संहिता के उपबंधों के अधीन समान प्रकृति के उल्लघंन की उस तारीख जिसको ऐसा पहला उल्लघंन किया गया था, से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुनरावृत्ति की जाती है तो नियोजक को ऐसी सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और ऐसी दशा में अभियोजन उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में प्रारंभ किया जाएगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसके संबंध में परिवाद उस तारीख से जिसको अभिकथित अपराध कारित करना निरीक्षक-सह-सुकारक की जानकारी में आया, छह मास के भीतर न किया गया हो और इस संबंध में उसके द्वारा परिवाद फाइल न कर दिया गया हो ।

(3) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) चालू रहने वाले अपराध के मामले में, परिसीमा अवधि उस समय के प्रत्येक बिन्दु जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, के प्रतिनिर्देश से संगणित की जाएगी ;

(ख) जहां किसी कार्य के निष्पादन के लिए, किसी स्थापन के नियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर समय अनुदत्त किया जाता है या विस्तार किया जाता है, वहां परिसीमा की अवधि, उस तारीख से जिसको इस प्रकार अनुदत्त या विस्तार किया गया समय समाप्त हो जाता है, संगणित की जाएगी ।

समुचित सरकार के अधिकारियों की कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

111. (1) धारा 110 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 12 की उपधारा (3), धारा 94, धारा 96, धारा 97, धारा 99, धारा 106 और धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के अवर सचिव या राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारी को, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) जांच करते समय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, के मामले के तथ्यों और परिस्थितयों से परिचित है, समन करने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबधों के अधीन कोई अपराध कारित किया है, तो वह ऐसी शास्ति से, जिसे वह ऐसे उपबधों के अनुसार उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित है वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, यथास्थिति, भारत सरकार के उप-सचिव की पंक्ति से अन्यून या राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों में से समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अपील प्राधिकारी को उस तारीख से जिसको उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त हुई थी, से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसा आदेश जो वह उचित समझे, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ।

(5) कोई व्यक्ति इस प्रकार अधिरोपित शास्ति, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर संदत्त करने में विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपए तक हो सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन अधिरोपित और प्राप्त की गई शास्ति की रकम धारा 115 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि में जमा की जाएगी ।

अपराध के लिए कार्यवाहियों, आदि के ग्रहण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता ।

112. इस संहिता के अधीन या किसी स्थापन के संबंध में तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी न्यायालय पर अधिकारिता प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए, वह स्थान जहां पर स्थापन तत्समय स्थित है, ऐसा स्थान समझा जाएगा जहां ऐसा अपराध किया गया है ।

न्यायालय की आदेश करने की शक्ति ।

113. (1) जहां खान या कारखाने या डॉक का कोई नियोजक, इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा लिखित में उस पर कोई दंड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, उससे ऐसे उपाय करने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे उपाय करे (जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर समय-समय पर न्यायालय द्वारा विस्तारित की जा सकेगी), जो ऐसे विषयों का उपचार करने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया है वहां खान या कारखाने का नियोजक ऐसी अवधि या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपराध के जारी रहने की बाबत इस संहिता के अधीन दायी नहीं होगा किन्तु ऐसी अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, न्यायालय का आदेश का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है, वहां नियोजक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कोई अतिरिक्त अपराध किया है और ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसको आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अपराधों का शमन ।

114. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 94 या धारा 96 अथवा धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 99 या धारा 106 अथवा उपधारा (3) के अधीन किसी शास्ति का अथवा धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101 या धारा 103 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 105 या धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन किसी 1974 का 2

अपराध का समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, यथास्थिति, अपराध की जांच किए जाने से अथवा अभियोजन के संस्थित किए जाने से, पहले या पश्चात् ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विहित की जाए—

(क) शास्ति की दशा में, ऐसी शास्ति के लिए अधिकतम शास्ति की पचास प्रतिशत की राशि प्रदान करने पर ; और

(ख) अपराध की दशा में, ऐसे अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के पचहत्तर प्रतिशत की राशि के लिए प्रदान करने पर,

शमन किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी शास्ति या अपराध का शमन किए जाने पर, शास्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या अपराधी को ऐसी शास्ति या अपराध से उन्नमोचित कर दिया जाएगा और ऐसी शास्ति या अपराध के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने या शास्ति के अतिरिक्त, यथास्थिति, ऐसी शास्ति दिए जाने या अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त की गई प्रतिकर की रकम धारा 115 की उपधारा (1) के अधीन असंगठित कर्मकारों के स्थापित निधि में जमा की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में की कोई बात, यथास्थिति, शास्ति दिए जाने या अपराध के किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दूसरे या पश्चातवर्ती समय के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को लागू नहीं होगी—

(क) जिसका पूर्व में शमन किया गया था ; या

(ख) जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया है ।

अध्याय 13

सामाजिक सुरक्षा निधि

सामाजिक सुरक्षा निधि ।

115. (1) समुचित सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें धारा 114 की उपधारा (4) में यथा विनिर्दिष्ट अपराध के लिए प्रतिकर से प्राप्त रकम और धारा 111 की उपधारा (6) में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति की रकम, जमा की जाएगी ।

(2) निधि ऐसे अन्य स्रोतों द्वारा भी निधिक की जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाए ।

(3) निधि का असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रशासन और व्यय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निधि में की रकम का असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी निधि में अंतरण भी है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "असंगठित कर्मकार" पद का वही अर्थ होगा, जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है ।

2008 का 33

अध्याय 14

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

116. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का जो ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी ।

आयु के संबंध में दायित्व ।

117. (1) जब इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति की कतिपय आयु के मुद्दे को अन्तर्वलित करने वाला कोई अपराध किया जाता है और न्यायालय की राय में प्रथम दृष्ट्या ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम है, यह साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी, इस संहिता के प्रयोजन के लिए आयु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी कर्मकार की परीक्षा करते समय, कर्मकार के आधार कार्ड पर विचार करेगा और उसके अभाव में, विद्यालय से जन्म प्रमाणपत्र की तारीख या कर्मकार के संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और इसके अभाव में किसी निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पंचायत द्वारा दिए गए कर्मकार का जन्म प्रमाणपत्र और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किसी पद्धति के अभाव में ही अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु का अवधारण किया जाएगा ।

उन सीमाओं, आदि को साबित करने का दायित्व जो व्यवहार्य है ।

118. इस संहिता के या तद्धीन बनाए गए विनियमों या उपविधियों या नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए, किसी अपराध, जिसमें कर्तव्य का अनुपालन करने में असफलता या कोई कार्य करने की अपेक्षा भी सम्मिलित है, के संबंध में किसी कार्यवाही में यह उस व्यक्ति के लिए होगा जिसके बारे में ऐसे कर्तव्य का अनुपालन या यह साबित करने की अपेक्षा में असफल होने का अभिकथन किया गया है कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं था या सभी व्यवहार्य उपाय कर्तव्य या अपेक्षा को पूरा करने के लिए किए गए थे ।

ठेकेदार, कारखानों और औद्योगिक परिसरों, आदि के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति ।

119. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन संविदा कर्मकार को विनियोजित करने और बीड़ी और सिगार कार्य के लिए औद्योगिक परिसरों, किसी कारखाने या उसके किसी सहयोजन अथवा उनमें से किसी एक के लिए एकल अनुज्ञप्ति के संबंध में सामान्य अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा आवेदन करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन—

(क) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति में फाइल किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) जहां तक उसका संबंध संविदा श्रमिकों के नियोजन के लिए अनुज्ञप्ति से है, नियोजित किए गए, अंतरराज्यिक कर्मकारों की संख्या अंतर्विष्ट होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उस उपधारा में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी रीति में ऐसी कार्रवाई करेगा और ऐसी जांच करेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) जहा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि बीड़ी और सिगार कार्य तथा संविदा कर्मकारों को नियोजित करने या उसके किसी सहयोजन के लिए किसी कारखाने, औद्योगिक परिसरों के संबंध में सामान्य अनुज्ञप्ति या इस संहिता के अधीन उनमें से किसी के लिए एकल अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है, ऐसा प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से अनुज्ञप्ति जारी करेगा, जिसके न हो सकने पर अनुज्ञप्ति जारी की गयी मानी जाएगी और स्वत: जनित होगी तथा ऐसी विफलता का उत्तरदायित्व ऐसे प्राधिकारी का होगा :

परंतु जहां अनुज्ञप्ति जारी किया जाना समझा जाता है वहां कोई अतिरिक्त जांच नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति का प्ररूप यथा व्यवहार्य संपूर्ण भारत में समान होगा :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर देता है वह ऐसे खारिज किए जाने के कारण समनुदेशित करेगा ।

(5) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बीड़ी और सिगार कार्य तथा संविदा कर्मकारों को नियोजित करने के लिए किसी कारखानें, औद्योगिक परिसरों के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व किसी केन्द्रीय श्रमिक विधि के अधीन प्राप्त की गई है, किसी स्थापन के संबंध में, इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्राप्त की गई समझी जाएगी और उस अवधि तक विधिमान्य होगी जिसके लिए वह जारी की गई थी और उसके समाप्त होने पर नई प्राप्त करनी होगी ।

(6) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित है, उस आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ ऐसी अपील प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील फाईल कर सकेगा और ऐसी अपील, अपील फाईल किए जाने से तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से निपटाई जाएगी ।

इस संहिता से असंगत विधि और करारों का प्रभाव ।

120. (1) इस संहिता के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा की संविदा चाहे वह इस संहिता के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् की गई हो, के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां किसी ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा की संविदा के अधीन, कोई कर्मचारी किन्हीं ऐसे विषयों के संबंध में ऐसे फायदों के लिए हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जिनके लिए वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा, वहां कर्मचारी इस बात के होते हुए भी कि वह इस संहिता के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदे प्राप्त करता है, पहले वाले फायदों को प्राप्त करता रहेगा ।

(2) इस संहिता में की गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को किसी ऐसे विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए नियोजक के साथ कोई करार करने से प्रवारित नहीं करती है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जिनके लिए वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा ।

कतिपय मामलों में सीधी जांच करने के लिए समुचित सरकार की शक्तियां ।

121. (1) समुचित सरकार, किसी ऐसे स्थापन में दुर्घटना होने की दशा में, जिसने कार्यस्थल के भीतर और इसके आस-पास कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को गंभीर खतरा उत्पन्न किया है या गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी या वह चाहे तुरन्त या विलंबित हो या किसी व्यवसायिक बीमारी जिसे तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो महामारी अनुपात में होती रही है या जिसके होने की संभावना है, दुर्घटना या बीमारी के कारणों की जांच करने के लिए ऐसी जांच में कार्य करने के विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को निर्धारक या सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकेगी, ऐसी दुर्घटना या बीमारी को रोकने के लिए भविष्य के लिए उत्तरदायित्वों को नियत कर सकेगी और कार्य योजना का सुझाव दे सकेगी तथा समुचित सरकार को रिपोर्ट कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को या संबंधित सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी को निदेश दे सकेगी या सर्वेक्षण करने के लिए ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा किसी कार्यस्थल पर कार्य में सुरक्षा या स्वास्थ्य या कार्यस्थलों के वर्ग या कार्यस्थल के भीतर और उसके आस-पास कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य क्रियाकलाप के प्रभाव से संबंधित स्थिति पर सर्वेक्षण कराने के लिए समिति नियुक्त कर सकेगी ।

(3) जांच कराने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निदेशित अधिकारी या नियुक्त समिति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा तात्विक वस्तुओं की प्रस्तुति को अनिवार्य बनाने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी और जांच के प्रयोजनों के लिए जहां भी आवश्यक हो, इस संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा या सकेगी, जो आवश्यक हों । 1908 का 5

(4) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन जांच और सर्वेक्षण की प्रक्रिया और अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

रिपोर्टों का प्रकाशन ।

122. समुचित सरकार, यदि वह ठीक समझे राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा उसको प्रस्तुत कोई रिपोर्ट या इस संहिता के अधीन उसको प्रस्तुत किसी रिपोर्ट को प्रकाशित करवा सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

123. केन्द्रीय सरकार इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी ।

सूचना के प्रकटन पर साधारण निर्बंधन ।

124. (1) स्थापन के संबंध में कोई व्यक्ति, किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या ऐसी किसी कार्यकरण प्रक्रिया से संबंधित कोई ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो उसके शासकीय कर्तव्यों के दौरान उसकी जानकारी में आए ।

(2) उपधारा (1) में की कोई बात इस संहिता के अधीन अधिकरण के समक्ष सुसंगत कानूनी उपबंधों या किसी दांडिक कार्यवाही के किसी उपबंध के अनुसरण में कारबार या प्रसंस्करण के या किन्हीं विधिक कार्यवाहियों (जिसके अन्तर्गत न्यायनिर्णयन या माध्यस्थम् भी है) के प्रयोजनों के लिए स्वामी की लिखित में पूर्व सहमति से की गई ऐसी सूचना के प्रकटन को लागू नहीं होगी जिसे, चाहे किन्हीं सुसंगत कानूनी उपबंधों या अन्यथा या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों की किसी रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए प्राप्त किया गया हो ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

125. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस संहिता का कोई उपबंध लागू होता है और ऐसी किसी बात के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा जिसे इस संहिता के अधीन किया गया है या किया जाना आशयित है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

126. (1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी बात के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जिसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या विनियम या उपविधि या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया है या की जानी आशयित है ।

(2) सरकार, इस संहिता के अधीन गठित बोर्ड या समितियों या ऐसे बोर्ड के किसी के सदस्य या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या बोर्ड या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति के विरुद्ध ऐसी किसी बात द्वारा कारित किसी नुकसान या होने वाले संभावित नुकसान के लिए, जिसे इस संहिता या तद्धीन बनाए गए या जारी किए गए नियम या विनियम या उपविधि या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

विशेष मामलों में छूट प्रदान करने की शक्ति ।

127. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निदेश दे सकेगी कि इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के सभी उपबंध या उनमें से कोई उपबंध किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों के वर्ग को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है लोक हित में अधिकाधिक आर्थिक क्रियाकलाप और नियोजन के अवसर सृजित करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, किसी नये कारखाने या नये कारखानों के किसी वर्ग या प्रकार को, इस संहिता के किन्हीं या सभी उपबंधों से, उस तारीख को, जिससे ऐसा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होता है, से ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विहित की जाए छूट प्रदान कर सकेगी :

1948 का 63

परंतु राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य में तत्समय प्रवृतन के लिए इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस संहिता के प्रारंभ होने से पहले जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसे प्रारंभ के पश्चात् भी उसकी शेष अवधि के लिए उस विस्तार तक इस प्रकार प्रवृत्त रहेगी जैसे कि इस संहिता के उपबंध उस विस्तार तक जहां तक कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को विफल करते हैं, प्रवृत नहीं थे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "नया कारखाना या नए कारखाने का वर्ग या वर्णन" पद से ऐसा कारखाना या ऐसे कारखानों के वर्ग और वर्णन अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए स्थापित किए गए हैं और जिनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है ।

लोक आपात के दौरान छूट प्रदान करने की शक्ति ।

128. लोक आपात या संकट अथवा महामारी के मामले में, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी कार्यस्थल या कार्य गतिविधि या उसके वर्ग को इस संहिता के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, छूट प्रदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'लोक अपात' से ऐसा गंभीर आपात, जिसके द्वारा भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा चाहे, वह युद्ध से या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से संकटग्रस्त है, अभिप्रेत है ।

लोक संस्था को छूट प्रदान करने की शक्ति ।

129. समुचित सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक समझे, किसी ऐसी कार्यशाला या कार्यस्थल, जहां ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है जो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान या सूचना के प्रयोजनों के लिए बनाए रखी गई लोक संस्था से संबद्ध है, को इस संहिता के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई छूट कार्य के घंटों और छुट्टियों से संबंधित उपबंधों से तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक संस्थान के नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति समुचित सरकार के लिए अनुमोदन के लिए नियोजन घंटों के विनियमन, भोजन के लिए अंतरालों तथा संस्था में नियोजित या उसमें उपस्थित होने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो संस्था के लिए सहवासी है, की छुट्टियों की एक स्कीम प्रस्तुत नहीं कर देते हैं और समुचित सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्कीम के उपबंध इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं है ।

ऐसे व्यक्तियों का जिनसे नोटिस, आदि देने की अपेक्षा की जाती है ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर होना ।

130. इस संहिता के उपबंधों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जिससे किसी प्राधिकारी को कोई नोटिस देने या कोई सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर होगा । 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

131. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अनुसूची में, उसमें परिवर्धन, परिवर्तन, या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और तदनुसार ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, अनुसूची संशोधित समझी जाएगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

132. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उसे इस कठिनाई को दूर करने के आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको यह संहिता प्रवृत्त होती है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

133. (1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के स्पष्टीकरण के अधीन स्रोतों से आय ;

(ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यख) के अधीन पदार्थ या पदार्थ की मात्रा ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विलम्ब फीस ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की रीति और ऐसे आवेदन का प्ररूप तथा उसमें अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजने का प्ररूप और रीति तथा वह प्राधिकारी जिसको नोटिस भेजा जाएगा और प्राधिकारी को सूचित करने की रीति ;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण या जांच, कर्मचारियों की आयु या कर्मचारियों का वर्ग या स्थापन या स्थापनों का वर्ग ;

(छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति पत्र में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी और ऐसे पत्र के प्ररूप;

(ज) शारीरिक चोट की प्रकृति और सूचना का प्ररूप तथा ऐसे समय, जिसके भीतर और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजी जाएगी ;

(झ) खतरनाक घटना की प्रकृति और सूचना का प्ररूप, ऐसे समय, जिसके भीतर और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 11 के अधीन सूचना भेजी जाएगी ;

(ञ) कतिपय रोगों से संबंधित सूचना का प्ररूप और ऐसे समय, जिसके भीतर और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजी जाएगी ;

(ट) रिपोर्ट का प्ररूप और रीति और ऐसे समय, जिसके भीतर धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के कार्यालय को ऐसी रिपोर्ट भेजी जाएगी ;

(ठ) धारा 13 के खंड (घ) के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट किए जाने की रीति और खंड (छ) के अधीन कर्मचारियों के अन्य कर्तव्य ;

(ड) धारा 14 का उपधारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने की रीति ;

(ढ) सुरक्षा समिति के गठन की रीति और धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि को चुनने के लिए प्रयोजन और रीति ;

(ण) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारियों की अर्हताएं, कर्तव्य और संख्या ;

(त) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश से कर्मकारों को छूट देने के लिए शर्तें ;

(थ) धारा 27 के दूसरे परन्तुक के अधीन अतिकाल की कुल संख्या ;

(द) धारा 30 के अधीन कारखाना और खान में दोहरे नियोजन पर निर्बंधन से छूट देने के लिए परिस्थितियां ;

(ध) ऐसी सूचना के संप्रदर्शन की रीति और प्ररूप तथा वह रीति जिसमें ऐसी सूचना, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजी जाएगी ;

(न) धारा 33 के खंड (क) के अधीन रजिस्टरों का प्ररूप और कर्मकारों की विशिष्टियां;

(प) धारा 33 के खंड (ख) के अधीन सूचनाओं को संप्रदर्शन करने की रीति और प्ररूप;

(फ) धारा 33 के खंड (घ) के अधीन विवरणी, विवरणी निरीक्षक-सह-सुकारक को विवरणी फाइल करने की रीति और विवरणी फाइल करने की अवधियां ;

(ब) धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की अर्हता और अनुभव ;

(भ) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (x) के अधीन किसी परिसर में पाए गए किसी वस्तु या पदार्थ का नमूना लेने की रीति और वायुमंडल ;

(म) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (xiv) के अधीन अन्य शक्तियां और कर्तव्य ;

(य) धारा 37 के अधीन पैनलित किए जाने वाले विशेषज्ञों की विशिष्ट अर्हता और अनुभव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ;

(यक) धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (अ) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक नियोजन उपलब्ध करवाए जाने की रीति ;

(यख) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति और अन्य स्थापन के लिए अर्हता ;

(यग) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खतरनाक उपजीविका या प्रकियाओं में लगा हुआ अन्य स्थापन;

(यघ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन चिकित्सा पर्येक्षण और कोई अन्य स्थापन ;

(यङ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अन्य स्थापन ;

(यच) धारा 43 के अधीन नियोजक द्वारा संप्रेक्षित की जाने वाली सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित प्रस्थितियां या कोई अन्य शर्तें ;

(यछ) धारा 44 के अधीन पर्याप्त सुरक्षा का उपबंध करने की नियोजक की अपेक्षित रीति ;

(यज) धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ठेका श्रमिक के संबंध में शर्त, जिसमें विशिष्टतया, काम के घंटों के बारे में शर्तें, मजदूरी का नियतन और अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं ;

(यझ) आवेदन का प्ररूप और रीति और विशिष्टियां जो ऐसे आवेदन में, ठेका श्रमिकों की संख्या, कार्य की प्रकृति जिसके लिए ठेका श्रमिक नियोजित किया गया है और अन्य विशिष्टियां जिसमें धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के नियोजन के संबंध सूचना भी शामिल है के संबंध में अन्तर्विष्ट होगी ;

(यञ) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया ;

(यट) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की रीति और अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने की रीति ;

(यठ) धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन ठेकेदार का उत्तरदायित्व ;

(यड) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी सूचना के लिए कार्य आदेश और समय-सीमा की सूचना की रीति ;

(यढ) धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने की रीति ;

(यण) वह अवधि, जिसके पूर्व धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन मजदूरियों संदत्त की जाएंगी ;

(यत) धारा 55 की उपधारा (2) के उपबंध के अधीन मजदूरी को संदत्त करने की रीति ;

(यथ) धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप से मजदूरी संदाय करने की रीति ;

(यद) धारा 56 के अधीन अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप ;

(यध) धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(यन) धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन रिपोर्ट करने की अवधि और प्रश्न का विनिश्चय करने की अवधि ;

(यप) धारा 61 के अधीन हकदारी के लिए न्यूनतम सेवा, यात्रा की श्रेणी और अन्य मामले ;

(यफ) धारा 63 के अधीन टोल-फ्री हेल्पलाइन की सुविधा का उपबंध करने की रीति ;

(यब) धारा 64 के अधीन अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों पर अध्ययन करने के लिए उपबंध करने की रीति ;

(यभ) प्राधिकरण जिसको करार की एक प्रति धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन उत्पादक द्वारा भेजी जाएगी ;

(यम) धारा 66 की उपधारा (4) के खंड (vii) के अधीन ब्यौरे ;

(यय) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन कारखाना या वर्ग या कारखाने के विवरण के संबंध में नियम;

(ययक) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की रीति ;

(ययख) धारा 80 के अधीन परिसर के स्वामी और कारखानों के अधिभोगी के संयुक्त दायित्व के लिए सामान्य सुविधा और सेवाएं ;

(ययग) धारा 82 के अधीन नियम ;

(ययघ) धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन ;

(ययङ) धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप ;

(ययङ) धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप ;

(ययच) धारा 90 के अधीन कारखाना के निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण और अपील की रीति ;

(ययछ) धारा 91 के अधीन नियम ;

(ययज) धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की रीति ;

(ययझ) धारा 111 की उपधारा (3) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति और ऐसी अपील के साथ फीस ;

(ययञ) धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन शमन करने की रीति ;

(ययट) धारा 115 की उपधारा (2) के अधीन निधि के अन्य स्रोत ;

(ययठ) धारा 115 की उपधारा (3) के अधीन निधि का प्रशासन और व्यय करने की रीति ;

(ययड) धारा 119 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, आवेदन फाइल करने की रीति और उसके साथ संलग्न फीस जिसके अन्तर्गत अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के रोजगार के संबंध में सूचना भी है ;

(ययढ) धारा 119 की उपधारा (3) के अधीन कार्रवाई, कार्रवाई करने की रीति और जांच ;

(ययण) धारा 119 की उपधारा (6) के अधीन अपील का प्ररूप, उसके साथ संलग्न फीस और अपील प्राधिकारी ;

(ययत) धारा 121 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण करने की रीति ;

(ययथ) इस संहिता के अधीन विहित कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

134. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यध) के उपखंड (iii) के अधीन अन्य प्राधिकारी ;

(ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यध) के उपखंड (iii) के परंतुक के अधीन, वे विषय, जो ऐसे पोत की दशा में प्रत्यक्ष रूप से सीधे संबंधित हैं ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अन्य अवधि ;

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, समय जिसके भीतर और शर्तें जिनके अध्यधीन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियोजक द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना का प्ररूप और इलैक्ट्रानिक रूप से प्रमाणपत्र में संशोधन करने की रीति ;

(च) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन स्थापन के बंद होने की सूचना और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को संदाय प्रमाणित करने की रीति ;

(छ) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन तथा उनके कृत्यों का निर्वहन हेतु प्रक्रिया ;

(ज) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों के सदस्यों की संख्या और उनकी अर्हताएं ;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन संग्रहण, संकलन और उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण का प्ररूप और रीति ;

(ट) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा डाटा बेस रखने और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का प्ररूप और रीति ;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और कार्य की दशाएं ;

(ड) धारा 23 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट संबंधित विषयों ;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं ;

(ण) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट संबंधित विषय ;

(त) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिशु कक्ष की सुविधा ;

(थ) धारा 25 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (क) के अधीन कार्य दिवस के संबंध में "चालन काल" की परिभाषा ;

(द) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन श्रमजीवी पत्रकार के लिए काम के घंटे ;

(ध) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन अन्य प्रकार की छुट्टी ;

(न) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन संचित छुट्टी की अधिकतम अवधि ;

(प) वह सीमा, जिस तक अर्जित छुट्टी का एक बार में उपभोग किया जा सकेगा और वह कारण जिसके लिए ऐसी छुट्टी धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन बढ़ाई जा सकेगी ;

(फ) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (iv) के अधीन नकद प्रतिकर के हकदारी के लिए शर्तें और निर्बंधन ;

(ब) धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य ;

(भ) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अर्हताएं या मानदंड ;

(म) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अवधि ;

(य) धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रक्रिया ;

(यक) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन करार का प्ररूप और खंड (ख) के अधीन नाम और अन्य विशिष्टियां ;

(यख) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन वह मामला जिसको छोड़ा जा सके और एकमात्र प्रबंधक की अर्हता ;

(यग) धारा 68 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कर्मचारियों की संख्या, गहरा उत्खनन और अन्य मामलों से संबंधित शर्तें ;

(यघ) धारा 68 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन खुदाई, खुली खदान खुदाई और विस्फोटकों से संबंधित शर्तें ;

(यङ) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन इस संहिता के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजन के लिए खान या उसके भाग की घोषणा ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी को सूचना करने की रीति और ऐसी सूचना देने के लिए समय-सीमा ;

(यछ) धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षु, अन्य प्रशिक्षणार्थी या कर्मचारी की चिकित्सा जांच के लिए उपबंध ;

(यज) धारा 71 के अधीन कतिपय व्यक्तियों या पर्यवेक्षण या प्रबंधन संबंधी पद धारण करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी और खान में नियोजित व्यक्ति तथा इनमें नियोजित व्यक्तियों को छूट ;

(यझ) धारा 72 के अधीन खान में नियोजित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और बचाव और वसूली सेवा के लिए उपबंध ;

(यञ) धारा 117 की उपधारा (2) के अधीन चिकित्सीय प्राधिकारी ;

(यट) धारा 121 की उपधारा (4) के अधीन नियम ;

(यठ) धारा 139 की उपधारा (7) के अधीन उपविधियों की भाषा ;

(यड) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या वहित किया जाए ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

135. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन, प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य विषय;

(ख) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की संख्या और उनकी अर्हताएं;

(ग) धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस का संदाय;

(घ) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन स्थान या परिसर का रेखांक तैयार करने की रीति;

(ङ) धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय;

(च) धारा 74 की उपधारा (6) के अधीन फीस;

(छ) धारा 74 की उपधारा (6) के दूसरे परंतुक के अधीन अवधि ;

(ज) धारा 75 के अधीन अपील फाइल करने का समय और फीस ;

(झ) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा आवेदन का प्ररूप और शर्तें;

(ञ) धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन कार्य के अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप ;

(ट) धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन कारखाना के अधिष्ठाता द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण की रीति ;

(ठ) धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करने का अंतराल ;

(ड) धारा 84 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को सूचित करने का प्ररूप और रीति ;

(ढ) धारा 84 की उपधारा (7) के अधीन अधिकथित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण के बीच प्रचार की रीति, उपाय और निपटान;

(ण) धारा 85 के खंड (क) के अधीन कर्मकारों द्वारा अभिलेखों तक पहुंच के लिए शर्तें ;

(त) परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई संबंधी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव तथा धारा 85 के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की रीति ;

(थ) धारा 85 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षण की व्यवस्था कराने की रीति ;

(द) धारा 86 की उपधारा (1) के अधीन उपाय या मानक ;

(ध) धारा 88 के अधीन किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायन और विषैले पदार्थों के प्रति उचछन्नता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा ;

(न) धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट की बाबत प्रत्येक नियोजक से अपने बागान की व्यवस्था करना अपेक्षित है ;

(प) धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन महिलाओं या कुमारों के रोजगार का प्रतिषेध या निर्बंधन ;

(फ) धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन अर्हताएं ;

(ब) धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन अन्य मामले ;

(भ) धारा 93 की उपधारा (5) के अधीन कर्मकारों के कालिक चिकित्सीय परीक्षण की रीति ;

(म) धारा 93 की उपधारा (7) के अधीन कपड़े और उपस्कर सुविधा उपलब्ध कराने की रीति ;

(य) धारा 93 की उपधारा (9) के अधीन पूर्वावधानी सूचनाएं ;

(यक) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के परामर्श से, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य या अन्य ऐसे विषयों में जो वह कारखानों के संबंध में आवश्यक समझे, संपूर्ण देश में एकरूपता लाने के प्रयोजनों से नियम बना सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की खान और डॉक कर्म के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति ।

136. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, इस संहिता से संगत विनियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) वे अर्हताएं विहित करना जो निरीक्षक-सह-सुकारक की नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(ख) इस संहिता के अधीन खानों के निरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक के कर्तव्यों और शक्तियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(ग) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों के और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य विनिर्दिष्ट करने और खानों के अभिकर्ताओं

और प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं (जिसके अन्तर्गत आयु भी है) विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(घ) खानों के प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं उपबंधित किए जाने की अपेक्षा करने के लिए ;

(ङ) खानों के प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं परीक्षा द्वारा या अन्यथा अभिनिश्चित करने की रीति को और सक्षमता प्रमाणपत्रों को अनुदत्त और नवीकृत किए जाने को विनियमित करने के लिए ;

(च) ऐसी परीक्षाओं और ऐसे प्रमाणपत्रों के अनुदान तथा नवीकरण के बारे में दी जाने वाली फीसें, यदि कोई हों, नियत करने के लिए ;

(छ) उन परिस्थितियों को जिनमें, और उन शर्तों को, जिसके अध्यधीन रहते हुए एक से अधिक खानों का एक ही प्रबन्धक के अधीन रहना या किन्हीं खानों का विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखने वाले प्रबन्धक के अधीन रहना विधिपूर्ण होगा, अवधारित करने के लिए ;

(ज) इस संहिता के अधीन की जाने वाली जांचों के लिए, जिनके अन्तर्गत इस संहिता के अधीन प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार या उसके किसी भाग की अक्षमता से संबद्ध कोई जांच आती है, उपबंध करने और ऐसे किसी प्रमाणपत्र के निलम्बन और रद्द किए जाने के लिए उपबंध करने और जहां भी आवश्यक हो, वहां यह उपबंध करना कि जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश कराने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी ; 1908 का 5

(झ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विस्फोटकों का भंडारकरण, प्रवहण और उपयोग विनियमित करने के लिए ; 1884 का 4

(ञ) स्त्रियों का खानों में, या खानों के किसी वर्ग में या ऐसे विशिष्ट प्रकारों के श्रम में, जिनमें ऐसे व्यक्तियों के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा रहता है, नियोजन प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या विनियमित करना और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक बार में वहन किए जा सकने वाले बोझ के भार को सीमित करने के लिए ;

(ट) खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, उनमें उनके प्रवेश करने और वहां से उनके निकलने के साधनों के लिए और उन कूपकों या निकासों की संख्या के लिए जो उपबंध किए जाने हैं और कूपकों, गर्तों, निकासों, पथ्याओं और अवतलनों पर बाड़ लगाई जाने के लिए उपबंध करने के लिए ;

(ठ) खान के स्वामी से संदाय पाने वाले और खान के स्वामी या प्रबन्धक के प्रति सीधे उत्तरदायी व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति का खान में प्रबन्धक के रूप में या किसी अन्य विनिर्दिष्ट हैसियत में नियोजन प्रतिषिद्ध करने के लिए ;

(ड) स्तम्भों या खनिज खण्डों के स्थान निश्चित करने, बैठने, अनुरक्षण और निकाले या छांटे जाने तथा एक खान और दूसरी खान के बीच पर्याप्त रोधों के अनुरक्षण सहित, खानों में सड़कों और काम के स्थलों की सुरक्षा करने के लिए ;

(ढ) खान में खनिजों और मुहबन्द अग्नि-क्षेत्रों का निरीक्षण और सागर के या किसी सरोवर या नदी या किसी अन्य भूपृष्ठीय जलराशि के, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम, या किसी लोक सड़क या निर्माण के समीप खनिजों विषयक निर्बंधन और किन्हीं खनिजों में पानी भर जाने, या आग लग जाने या उनके समय-पूर्व ढह जाने के विरुद्ध सम्यक् पूर्वावधानी बरती जाने की अपेक्षा करने के लिए ;

(ण) खान के संवातन का और धूल, अग्नि और ज्वलनशील तथा अपायकर गैसों के विषय में की जाने वाली कार्रवाई का, जिसके अन्तर्गत स्वतःदहन भूमि के नीचे की अग्नि और कोयले की धूल के विरुद्ध पूर्वावधानी आती है, उपबंध करने के लिए ;

(त) खानों में विद्युत के जनन, भण्डारकरण, रूपान्तरण, पारेषण और उपयोग की, विद्युत अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विनियमित करना और खानों में के सब विद्युत उपकरणों, विद्युत तारों और उनमें की सब अन्य मशीनरी और संयंत्र की देखभाल और उपयोग के विनियमन के लिए ;

2003 का 36

(थ) खानों में मशीनरी का उपयोग विनियमित करना, ऐसी मशीनरी पर या उसके आसपास और कर्षण-मार्गों पर नियोजित व्यक्तियों के क्षेम के लिए उपबंध करना और भूमि के नीचे कुछ वर्गों के चलित्रों का प्रयोग को निर्बन्धित करने के लिए ;

(द) खानों में उचित प्रकाश के लिए उपबंध करना और उनमें निरापद और लैम्पों का उपयोग विनियमित करना और जिस खान में निरापद लैम्प उपयोग में लाए जाते हों उसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेने के लिए ;

(ध) खानों में ज्वलनशील गैस या धूल के विस्फोटकों या ज्वलनों या पानी के फूट निकलने या संचित होने के विरुद्ध और उनसे उद्भूत खतरे के विरुद्ध उपबंध करने और ऐसी परिस्थितियों में खनिजों के निकाले जाने का प्रतिषेध, निर्बन्धन या विनियमन करने, जिनसे यह सम्भाव्यता हो कि उसके परिणामस्वरूप खानों में खनिज समय-पूर्व ढह जाएं या यह कि उसके परिणामस्वरूप खानों में खनिजों का ढह जाना या जल का फूट निकलना या ज्वलन घटित होगा या गुरुतर हो जाएगा ;

(न) धारा 10 के अधीन दुर्घटनाओं के प्रकार विनिर्दिष्ट करने और दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचनाओं का और खनिज उत्पाद, नियोजित व्यक्तियों तथा विनियमों द्वारा उपबन्धित अन्य बातों की सूचनाओं, रिपोर्टों और विवरणियों का खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों द्वारा दिया जाना विनिर्दिष्ट करने और ऐसी सूचनाओं, विवरणियों और रिपोर्टों के प्ररूप, वे व्यक्ति और प्राधिकारी, जिन्हें वे दी जानी हैं, वे विशिष्टियां जो उनमें अन्तर्विष्ट होनी हैं और वह समय, जिसके अन्दर वे निवेदित की जानी हैं, विहित करने के लिए ;

(प) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से खानों के लिए नियत सीमाएं रखने की अपेक्षा करने, उनसे संसक्त रेखांक और खंडचित्र तथा स्थलीय टिप्पण, जो उनके द्वारा रखे जाने हैं, विनिर्दिष्ट करने और वह रीति जिससे और वे स्थान जिनमें ऐसे रेखांक, खण्डचित्र और स्थलीय टिप्पण अभिलेख के प्रयोजन के लिए रखे जाने हैं, विहित करने और उनकी प्रतियों का मुख्य निरीक्षक-सह-

सुकारक को निवेदित किया जाना ; और उनसे यह अपेक्षा करना कि वे नए सर्वेक्षण करें और नए रेखांक बनाएं, और अननुपालन की दशा में, किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सर्वेक्षण कराने और रेखांक तैयार कराने और उनके व्ययों की वसूली उसी रीति से करने, जिससे भू-राजस्व के बकाया की होती है ;

(फ) स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयोजन के लिए खान में या उसके आसपास दुर्घटनाओं या आकस्मिक विस्फोटों या ज्वलनों के घटित होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनियमित करने के लिए ;

(ब) खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा धारा 5 के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप और उसमें अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(भ) वह सूचना विनिर्दिष्ट करने के लिए जो किसी ऐसे स्थान पर, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी रेल के या, यथास्थिति, किन्हीं ऐसी लोक सड़कों या अन्य संकर्मों के, जो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित हों पैंतालीस मीटर के अन्दर का हो, खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने या उस तक विस्तारित करने के पूर्व खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा दी जानी हैं ; 1989 का 24

(म) किसी खान के बारे में, उस दशा में जबकि खनितों में काम बन्द कर दिया गया हो, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में यथापरिभाषित किसी रेल कम्पनी में निहित सम्पत्ति की क्षति से संरक्षा करने के लिए ; 1989 का 24

(य) खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक से यह अपेक्षा करने के लिए कि खान के बन्द किए जाने के पूर्व संरक्षा-संकर्म सन्निर्मित करे और अननुपालन की दशा में, ऐसे संकर्म किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित कराने, और ऐसे स्वामी से उनके व्ययों की वसूली उसी रीति से करने जिससे भू-राजस्व के बकाया की होती है ;

(यक) किसी खान या खान के भाग या किसी खदान, आनति, कूपक, गर्त या निकास में, चाहे उसका कार्यकरण हो रहा हो या नहीं, या किसी खतरनाक या प्रतिषिद्ध क्षेत्र, अवतलन, कर्षण, ट्राम लाइन या पथ्या पर, जहां जनता के संरक्षण के लिए बाड़ लगाना आवश्यक हो, बाड़ लगाई जाने की अपेक्षा करने के लिए ;

(यख) नियुक्त किए जाने वाले पदधारियों की संख्या विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(यग) नियुक्त किए जाने वाले पदधारियों की अर्हताएं विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(यघ) अभिकर्ताओं की अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(यङ) वह कालावधि विनिर्दिष्ट करना, जिसके दौरान अभिकर्ता भारत में निवासी रहेगा ;

(यच) खानों में सुरक्षा के लिए प्रदायकर्ता, डिजाइनर, आयातक और ठेकेदार के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करने के लिए ;

(यछ) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से उनकी खानों में सुरक्षा प्रबंध योजना को बनाने, अनुरक्षण और प्रवृत्त करने की अपेक्षा करने के लिए ;

(यज) खानों में प्रयुक्त किसी मशीनरी और संक्रिया के संबंध में अभ्यास संहिता और मानक प्रचालन प्रक्रिया को बनाने और कार्यान्वित करने की खानों के प्रबन्धकों से अपेक्षा करने के लिए ;

(यझ) विवृत खानों में सुरक्षा उपलब्ध करवाना और उसमें प्रयुक्त मशीनरी और सहयुक्त संक्रिया के लिए ;

(यञ) कार्यरत या परित्यक्त कोयला खानों या मूल कोयला संपरत से मीथेन के निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए ;

(यट) विवरणी का प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए जिसे इस संहिता के अधीन स्थापन या स्थापन के वर्ग द्वारा फ़ाइल किया जाएगा;

(यठ) तट, पोत, डॉक, संरचना और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, कार्यकरण स्थलों की सुरक्षा के लिए सन्निर्माण, उपस्करण और अनुरक्षण से संबंधित साधारण अपेक्षा ;

(यड) डॉक, घाट, घट्टी या अन्य स्थानों पर, जिनका डॉक कर्मकारों को कार्य पर जाने के लिए उपयोग करना होता है, किन्हीं नियमित पहुंच मार्गों की सुरक्षा और ऐसे स्थानों तथा परियोजनाओं पर बाड़ लगाना है ;

(यढ) डॉक, पोत, किसी अन्य जलयान, डॉक संरचना या कार्यकरण स्थलों के सभी क्षेत्रों में, जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, और ऐसे स्थानों के, जहां डॉक कर्मकारों के उनके नियोजन के दौरान जाने की अपेक्षा है, सभी पहुंच मार्गों में पर्याप्त रोशनी करना ;

(यण) ऐसे प्रत्येक भवन या पोत के किसी अहाते में, जहां डॉक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त संवातन और उचित तापमान की व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखने के लिए ;

(यत) अग्नि और विस्फोट निवारण तथा संरक्षण करने के लिए ;

(यथ) पोतों, खावों, मंचों, उपस्कर, उत्थापक साधित्रों और अन्य कार्यकरण स्थलों तक पहुंच के सुरक्षित साधन उपलब्ध करने के लिए ;

(यद) हेचों को खोलने और बंद करने में लगे कर्मकारों की सुरक्षा, डॉक के ऐसे मार्गों और अन्य मुखों का संरक्षण जो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं ;

(यध) डॉक पर लदाई या उतराई संक्रियाओं के दौरान स्थोरा की टक्कर से फलक पर गिरने के जोखिम से कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए ;

(यन) उत्थापक और अन्य स्थोरा को उठाने-धरने के साधित्रों और सेवाओं के जैसे, भार को अंतर्विष्ट करने वाली या सहारा देने वाली पट्टिकाओं का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग और उन पर सुरक्षा साधित्रों की, यदि आवश्यक हो, की व्यवस्था करने के लिए ;

(यप) एकीकृत स्थोरा को उठाने-धरने के लिए ढुलाई आधान टर्मिनलों या अन्य टर्मिनलों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए ;

(यफ) मशीनरी, सजीव विद्युत चालकों, वाष्प नलियों और परिसंकटमय मुखों पर बाड़ लगाने की व्यवस्था करने के लिए ;

(यब) मंच का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग की व्यवस्था करने के लिए ;

(यभ) रिगिंग और पोत के डेरिकों का उपयोग की व्यवस्था करने के लिए;

(यम) खुले गियरों की जिनके अंतर्गत जंजीर और रस्सियां हैं, तथा डॉक कार्य में उपयोग में लाई गई स्लिगों और अन्य उत्थापक युक्तियों की जांच, परीक्षा, निरीक्षण और उनके समुचित होने का प्रमाणन की व्यवस्था करने के लिए;

(यय) जब कर्मकार कोयला या अन्य खुला स्थोरा की उठाई-धराई करते समय खाव, बिन, हापर या वैसे ही स्थानों पर या खाव के डेकों के बीच नियोजित हैं, तब उनका निकल जाना सुकर बनाने के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां करने के लिए ;

(ययक) स्थोरा का चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, उसे भरने और निकालने के कार्यकरण के या उसके संबंध में उठाई-धराई के खतरनाक तरीकों के निवारण के लिए किए जाने वाले उपाय करने के लिए ;

(ययख) खतरनाक पदार्थों को उठाने-धरने और खतरनाक या हानिकर वातावरण में काम करने और ऐसी उठाई-धराई के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां करने के लिए ;

(ययग) सफाई, छीलन, रंगरोगन संक्रियाओं के संबंध में कार्य और ऐसे कार्यों के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां करने के लिए ;

(ययघ) स्थोरा की उठाई-धराई, साधित्रों,शक्ति प्रचालित हैच छादनों या अन्य शक्ति प्रचालित पोत उपस्कर, जैसे, किसी पोत के हल के दरवाजे, रैंप, रेक्ट्रेसेबल कार डेक या वैसे ही उपस्कर का प्रयोग करने के लिए या ऐसी मशीनरी के चालकों को संकेत देने के लिए व्यक्तियों का नियोजन करने के लिए ;

(ययङ) डॉक कर्मकारों के परिवहन के लिए व्यवस्था करने के लिए ;

(ययच) कार्यकरण स्थल पर अत्यधिक ध्वनि, स्पन्दन और वायु-प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से डॉक कर्मकारों के संरक्षण के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां करने के लिए ;

(ययछ) संरक्षात्मक उपस्कर या संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिए ;

(ययज) सफाई, धुलाई और कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ;

(ययझ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना—

(i) चिकित्सा पर्यवेक्षण ;

(ii) एम्बुलेंस कक्ष, प्राथमिक उपचार और बचाव सुविधाएं तथा डॉक कर्मकारों को उपचार के निकटतम स्थान पर ले जाने का प्रबंध ;

(iii) सुरक्षा और स्वास्थ्य संगठन ; और

(iv) डॉक कर्मकारों का प्रशिक्षण और कार्यकरण स्थल पर डॉक कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनकी बाध्यताएं, प्रसुविधाएं और अधिकार ;

(ययञ) उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और रोगों का अन्वेषण, ऐसे रोगों और सूचनाओं के प्ररूपों, उन व्यक्तियों और अधिकारियों,

जिन्हें वे दिए जाएंगे, उनमें अन्तर्विष्ट विशिष्टियों तथा उस कालावधि को, जिसमें, उन्हें दिया जाना है, विनिर्दिष्ट करने की व्यवस्था करने के लिए ;

(ययट) दुर्घटनाओं, हानि हुए श्रमिक दिनों, उठाए-धरे गए स्थोरा की मात्रा का विवरण और डॉक कर्मकारों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के लिए; और

(ययठ) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

नियमों, आदि का पूर्व प्रकाशन ।

137. इस अधिनियम के अधीन नियम, विनियम और उपविधियाँ बनाने की शक्ति, निम्नलिखित रीति से इसके बनाए जाने के पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन हैं, अर्थात् :—

(क) विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख जिसके पश्चात् उन नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्ररूप पर विचार किया जाएगा जो बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हों, उस तारीख से पैंतालीस दिन से कम की नहीं होगी, जिसको प्रस्थापित नियमों, विनियमों और उपविधियों का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा ;

(ख) नियम, विनियम और उपविधियां राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशित किए जाने पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस संहिता में अधिनियमित किए गए हों ।

पूर्व प्रकाशन के बिना विनियम बनाने की शक्ति ।

138. यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि आशंकित खतरे का निवारण करने या खतरा पैदा करने की संभाव्यता रखने वाली स्थितियों का शीघ्र उपचार करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विनियम बनाने में वह विलम्ब न होने दिया जाए जो ऐसे प्रकाशन और निर्देशन से होगा तो धारा 136 के अधीन विनियम, धारा 137 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्व प्रकाशन और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड को निर्देशन के बिना बनाए जा सकेंगे ।

उपविधियां ।

139. (1) खान का नियोजक, उस खान में किसी विशेष मशीनरी के उपयोग को शासित करने वाली या कार्यकरण की किसी विशेष पद्धति को अपनाए जाने के लिए इस संहिता या किन्हीं तत्समय प्रवृत्त या नियमों विनियमों या मानकों से असंगत न होने वाली ऐसी उपविधियों का प्रारूप या नियम जैसा कि ऐसा नियोजक उस खान में दुर्घटनाओं का निवारण करने के लिए और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन हेतु उपबंध करने के लिए आवश्यक समझे, तैयार कर सकेगा और यदि ऐसा करने की उससे अपेक्षा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा की जाए तो तैयार करेगा और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को निवेदित करेगा ।

(2) यदि कोई ऐसा नियोजक—

(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाने के पश्चात् दो माह के भीतर उपविधि के प्रारूप को निवेदित करने में असफल रहे ; या

(ख) ऐसी उपविधि के प्रारूप को निवेदित करे जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में पर्याप्य नहीं है, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक—

(i) ऐसी उपविधि के प्रारूप को प्रस्थापित कर सकेगा जो उसके द्वारा पर्याप्त प्रतीत होता हो ; या

(ii) नियोजक द्वारा जो प्रारूप उसे निवेदित किया गया हो, उसमें ऐसे संशोधन प्रस्थापित कर सकेगा, जिनसे उसकी राय में वह पर्याप्त हो और ऐसी प्रारूप-उपविधियां या प्रारूप-संशोधन, यथास्थिति, नियोजक के पास विचार के लिए भेजेगा ।

(3) यदि उस तारीख से जिसको कोई प्रारूप-उपविधियां या प्रारूप-संशोधन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक ने नियोजक के पास उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन भेजे हों, दो मास की कालावधि के भीतर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक और नियोजक उपधारा (1) के अधीन बनाई जाने वाली उपविधियों के निबन्धनों के विषय में परस्पर सहमत होने में असमर्थ रहें तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक प्रारूप-उपविधियों को परिनिर्धारण के लिए खानों के संबंध में धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन गठित तकनीकी समिति को निर्देशित करेगा ।

(4) जब ऐसी प्रारूप उपविधि पर नियोजक और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक में सहमति हो गई हो, अथवा जब वे सहमति देने में असमर्थ हो, खान के संबंध में धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन गठित तकनीकी समिति द्वारा निपटान किया जाता है, तो प्रारूप उपविधि की प्रति मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाएगी :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार प्रारूप उपविधियों के ऐसे उपांतरण बना सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि इससे पूर्व कि केन्द्रीय सरकार प्रारूप-उपविधियों का अनुमोदन, चाहे उपांतरणों के सहित या उनके बिना करे, उपविधियां बनाने की प्रस्थापना की और उस स्थान की, जहां प्रारूप-उपविधियों की प्रतियां अभिप्राप्त की जा सकेंगी और उस समय की (जो तीस दिन से कम का न होगा) जिसके भीतर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से प्रारूप-उपविधियों के प्रति किया गया कोई आक्षेप केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना चाहिए, सूचना ऐसी रीति से, जैसी केन्द्रीय सरकार प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए उपयुक्त समझे, प्रकाशित की जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित में होगा और निम्नलिखित कथन होगा—

(i) आक्षेप के विशिष्ट आधार ; और

(ii) चाहे गए लोप, परिवर्धन या उपान्तर ।

(6) केन्द्रीय सरकार, उन व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से, जिनकी बाबत यह प्रतीत हो कि वे तद्द्वारा प्रभावित व्यक्ति हैं अपेक्षित समय के भीतर किए गए आक्षेप पर विचार करेगी, और उपविधियों पर या तो उस रूप में, जिसमें वे प्रकाशित की गई थीं, या उनमें ऐसे संशोधन करके, जिन्हें वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित की गई कोई उपविधि इस प्रकार प्रभावी होंगी जैसा यदि इस संहिता में अधिनियमित हो और नियोजक उन उपविधियों की एक प्रति अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, खान में या उसके आसपास किसी ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवाएगा जहां वे उपविधियां नियोजित व्यक्तियों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी या देखी जा सकें ; और जितनी बार वे विरूपित हो जाएं, मिट जाएं या नष्ट हो जाएं, उतनी बार युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ उन्हें नए सिरे से लगवाएगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार निर्मित किसी उपविधि को लिखित आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः विखंडित कर सकेगी, और तद्नुसार ऐसी उपविधि तद्नुसार प्रभावहीन हो जाएगी ।

साधारण सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करने की शक्ति ।

140. केन्द्रीय सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी, महामारी, देशांतरगामी महामारी और घोर विपत्ति की घोषणा की दशा में ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, संपूर्ण भारत या उसके भाग में निवास करने वाले व्यक्तियों की साधारण सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

संसद् के समक्ष विनियमों, नियमों और उपविधियों, आदि का रखा जाना ।

141. इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या बनाया गया प्रत्येक मानक, नियम, विनियम तथा उपविधियां, अधिसूचनाएं, उसके बनाए या अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम, विनियम या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह मानक, विनियम, नियम या उपविधि नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वह मानक, विनियम या नियम निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि मानक, नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का रखा जाना ।

142. इस संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

143. (1) केन्द्रीय सरकार, इस संहिता के किसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि,—

1948 का 63 (क) कारखाना अधिनियम, 1948 ;

1951 का 69 (ख) बागान श्रम अधिनियम, 1951 ;

1952 का 35 (ग) खान अधिनियम, 1952 ;

(घ) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और
1955 का 45 प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 ;

1958 का 29 (ङ) श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन), अधिनियम, 1958 ;

1961 का 27 (च) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 ;

(छ) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 ; 1966 का 32

(ज) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ; 1970 का 37

(झ) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 ; 1976 का 11

(ञ) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 ; 1979 का 30

(ट) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 ; 1981 का 50

(ठ) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण), अधिनियम, 1986 ; 1986 का 54

(ड) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन), अधिनियम, 1996 ; 1996 का 27

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किए गए अधिनियमितियों के किसी भी उपबंध के अधीन प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक मुख्य निरीक्षक, अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप-मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी, इस संहिता के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित (इसके अन्तर्गत किया गया कोई नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश सम्मिलित है) किए गए अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई कार्य इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अपनाया गया या किया गया समझा जाएगा तथा विस्तार तक प्रवृत्त होगा जो इस संहिता के उपबंधों के तब तक प्रतिकूल नहीं होते हैं जब तक उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निरसित नहीं किया जाता है ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन के लिए लागू होंगे । 1897 का 10

पहली अनुसूची

[धारा 2 (यक) देखिए]

ऐसे उद्योगों की सूची जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अन्तर्वलित हैं :—

1. लौह धातुकर्म उद्योग

– समाकलित लोहा और इस्पात

– लोहमिश्र धातु

– विशेष इस्पात ।

2. अलौह धातुकर्म उद्योग

– प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनीज और ऐलुमिनियम ।

3. ढलाईशाला (लौह और अलौह)

–ढालकर और पीटकर बनाई गई वस्तुएं, जिसके अन्तर्गत रेत और शाट विस्फोटन द्वारा सफाई करना या चिकना/खुदरा बनाना भी है ।

4. कोयला (जिसके अन्तर्गत कोक भी है) उद्योग

– कोयला, लिग्नाइट, कोक, आदि जैसे अन्य पदार्थ

– ईंधन गैसें (जिसके अन्तर्गत कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस भी है) ।

5. शक्ति जनन उद्योग ।

6. लुग्दी और कागज (जिसके अंतर्गत कागज उत्पाद भी है) उद्योग ।

7. उर्वरक उद्योग

– नाइट्रोजनी

– फास्फेटी

– मिश्रित ।

8. सीमेंट उद्योग

– पोर्टलैंड सीमेंट (जिसके अंतर्गत धातुमल सीमेंट, पुज्जोलोना सीमेंट और उनके उत्पाद भी हैं) ।

9. पैट्रोलियम उद्योग

– तेल परिष्करण

– स्नेहक तेल और ग्रीस ।

10. पैट्रो-रसायन उद्योग ।

11. ओषधि और भेषजिक उद्योग

– स्वापक, ओषधि और भेषजिक ।

12. किण्वन उद्योग (आसवनी और मद्य निर्माणशाला) ।

13. रबड़ (संश्लिष्ट) उद्योग ।

14. पेंट और वर्णक उद्योग ।

15. चर्मशोधन उद्योग ।

16. विद्युत लेपन उद्योग ।

17. रासायनिक उद्योग

(क) कोक बन्द-चूल्हा उपोत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद ;

(ख) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गन, कार्बन डाइआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड हैलोजनेटीकृत हाइड्रोकार्बन, ओजोन या ऐसी ही अन्य गैसें) ;

(ग) प्रौद्योगिक कार्बन ;

(घ) क्षार और अम्ल ;

(ङ) क्रोमेट और डाइक्रोमेट ;

(च) सीसा और उसके यौगिक ;

(छ) विद्युत रसायन, (धात्विक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरेट, परक्लोरेट और पराक्साइड) ;

(ज) विद्युत तापीय उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक, कैल्शियम कार्बाइड) ;

(झ) नाइट्रोजनी यौगिक (साइनाइड, साइनामाइड और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक) ;

(ञ) फास्फोरस और उसके यौगिक ;

(ट) हैलोजन और हैलोजेनेटीकृत यौगिक (क्लोरिन, फ्लोरीन, ब्रोमिन और आयोडीन) ;

(ठ) विस्फोटक (जिसके अंतर्गत औद्योगिक विस्फोटक और विस्फोटक प्रेरक तथा फ्यूज भी हैं) ।

18. कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, और अन्य नाशक जीवमार उद्योग ।

19. संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक ।

20. मानवनिर्मित फाइबर (सेलूलोसी और असेलूलोसी) उद्योग ।

21. विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत ।

22. कांच और मृतिका शिल्प ।

23. धातुओं का पेषण या कांचन ।

24. ऐस्बेस्टास और उसके उत्पादों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उनका प्रसंस्करण ।

25. वनस्पति और प्राणी स्रोत से तेल और वसा का निष्कर्षण ।

26. बेंजीन और बेंजीन से युक्त पदार्थों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उनका उपयोग ।

27. कार्बन डाइसल्फाइड अंतर्ग्रस्त विनिर्माण प्रक्रिया और संक्रिया ।

28. रंजक और रंजक द्रव्य जिनके अंतर्गत उनके मध्यवर्ती भी हैं ।

29. अति ज्वलनशील द्रव्य और गैसें ।

30. टेक्सटाइल में कपड़ों पर मुद्रण और रंगाई और प्लाइवुड और परतबन्दी विनिर्माण प्रक्रिया ।

31. रेडियम या रेडियोधर्मी पदार्थ के उपयोग को अन्तर्वलित करने की प्रक्रिया ।

32. पत्थर पीसने का उद्योग ।

33. स्क्रैप टायरों से तेल और कच्ची समाग्री की निकासी ।

34. सिगरेट विनिर्माण उद्योग ।

35. पोत विघटन उद्योग ।

36. परिसंकटमय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण संयत्र ।

37. अर्धचालक विनिर्माण उद्योग ।

38. स्टाइरीन विनिर्माण, हैंडलिंग और प्रसंस्करण उद्योग ।

39. सुक्ष्म-कण उपयोग उद्योग ।

40. पारा या पारे के यौगिक, सीसा टेट्रा-इथाइल, मैगनीज, आर्सेनिक, क्रोम, एलीफैटिक सीरीज, बेरिलियम, फॉस्जीन और आइसोसायनेट का विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्मिति और उपयोग ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 18 (2)(च) देखिए]

मामलों की सूची

(1) मशीनरी पर बाड़ लगाना ;

(2) मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम;

(3) खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन;

(4) बिजली काटने के लिए आद्यात-गियर और युक्तियां;

(5) स्वक्रिय मशीनें;

(6) नई मशीनरी का आवेष्टन;

(7) रुई-धुनकियों के पास स्त्रियों, बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध;

(8) उत्तोलक और उत्थापक;

(9) उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियां और उत्थापक टैकल;

(10) परिक्रामी मशीनरी;

(11) दाब संयंत्र;

(12) फर्श, सीढ़ियां और पहुंच के साधन;

(13) गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर और क्षेत्र में अन्य समान अभिस्थापन;

(14) सुरक्षा अधिकारी;

(15) आंखों का बचाव;

(16) खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां;

(17) वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत पूर्वावधानियां;

(18) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस और अन्य ऐसे ही धूलों और गैसों;

(19) सुरक्षा समिति;

(20) खराब भागों की परख अपेक्षित करने की शक्ति;

(21) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा;

(22) भवनों का अनुरक्षण;

(23) कतिपय खतरनाक मामलों में प्रतिषेध;

(24) दुर्घटनाओं की बाबत सूचना;

(25) दुर्घटनाओं की बाबत न्यायालय जांच;

(26) बागान में सुरक्षा के प्रबंध ;

(27) तट, पोत, डॉक, संरचना और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, कार्यकरण स्थलों की सुरक्षा के लिए सन्निर्माण, उपस्करण और अनुरक्षण से संबंधित साधारण अपेक्षा ;

(28) डॉक, घाट, घट्टी या अन्य स्थानों पर, जिनका डॉक कर्मकारों को कार्य पर जाने के लिए उपयोग करना होता है, किन्हीं नियमित पहुंच मार्गों की सुरक्षा और ऐसे स्थानों तथा परियोजनाओं पर बाड़ लगाना ;

(29) डॉक, पोत, किसी अन्य जलयान, डॉक संरचना या कार्यकरण स्थलों के सभी क्षेत्रों में, जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, और ऐसे स्थानों के, जहां डॉक कर्मकारों के उनके नियोजन के दौरान जाने की अपेक्षा है, सभी पहुंच मार्गों में पर्याप्त रोशनी करना ;

(30) ऐसे प्रत्येक भवन या पोत के किसी अहाते में, जहां डॉक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त संवातन और उचित तापमान की व्यवस्था करना ;

(31) अग्नि और विस्फोट निवारण तथा संरक्षण ;

(32) पोतों, खावों, मंचों, उपस्कर, साधित्रों और अन्य कार्यकरण स्थलों तक पहुंच के सुरक्षित साधन ;

(33) उत्थापक और अन्य स्थोरा को उठाने-धरने के साधित्रों और सेवाओं के जैसे, भार को अंतर्विष्ट करने वाली या सहारा देने वाली पट्टिकाओं का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग और उन पर सुरक्षा साधित्रों की, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था ;

(34) एकीकृत स्थोरा को उठाने-धरने के लिए ढुलाई आधान टर्मिनलों या अन्य टर्मिनलों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा ;

(35) मशीनरी, सजीव विद्युत चालकों, वाष्प नलियों और परिसंकटमय मुखों पर बाड़ लगाना;

(36) मंच का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग ;

(37) रिगिंग और पोत के डेरिकों का उपयोग ;

(38) खुले गियरों की जिनके अंतर्गत जंजीर और रस्सियां भी हैं, तथा डॉक कार्य में उपयोग में लाई गई स्लिगों और अन्य उत्थापक युक्तियों की जांच, परीक्षा, निरीक्षण और उनके समुचित होने का प्रमाणन ;

(39) जब कर्मकार कोयला या अन्य खुला स्थोरा की उठाई-धराई करते समय खाव, बिन, हापर या वैसे ही स्थानों पर या खाव के डेकों के बीच नियोजित हैं, तब उनका निकल जाना सुकर बनाने के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(40) स्थोरा का चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, उसे भरने और निकालने के कार्यकरण के या उसके संबंध में उठाई-धराई के खतरनाक तरीकों के निवारण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(41) खतरनाक पदार्थों को उठाने-धरने और खतरनाक या हानिकर वातावरण में काम करने और ऐसी उठाई-धराई के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(42) सफाई, छीलन, रंगरोगन, संक्रियाओं के संबंध में कार्य और ऐसे कार्यों के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(43) स्थोरा की उठाई-धराई, साधित्रों की उठाई-धराई, शक्ति प्रचालित बैच छादनों या अन्य शक्ति प्रचालित पोत उपस्कर, जैसे, किसी पोत के हल के दरवाजे, रैंप, रेक्ट्रेसेबल कार डेक या वैसे ही उपस्कर का प्रयोग करने के लिए या ऐसी मशीनरी के चालकों को संकेत देने के लिए व्यक्तियों का नियोजन ;

(44) डॉक कर्मकारों के परिवहन के लिए व्यवस्था करना ;

(45) कार्य स्थल पर अत्यधिक ध्वनि, स्पन्दन और वायु-प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से डॉक कर्मकारों के संरक्षण के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(46) संरक्षात्मक उपस्कर या संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था ;

(47) सफाई, धुलाई और कल्याण सुविधाओं के लिए व्यवस्था ;

(48) चिकित्सा पर्यवेक्षण ;

(49) एम्बुलेंस कक्ष, प्राथमिक उपचार और बचाव सुविधाएं तथा डॉक कर्मकारों को उपचार के निकटतम स्थान पर ले जाने का प्रबंध ;

(50) उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और रोगों का अन्वेषण, ऐसे रोगों और सूचनाओं के प्ररूपों, उन व्यक्तियों और अधिकारियों, जिन्हें वे दिए जाएंगे, उनमें दी जाने वाली विशिष्टियों तथा उस कालावधि को, जिसमें, उन्हें दिया जाना है, विनिर्दिष्ट करना ;

(51) दुर्घटनाओं, हानि हुए श्रमिक दिनों, उठाए-धरे गए स्थोरा की मात्रा का विवरण और डॉक कर्मकारों की विशिष्टियां प्रस्तुत करना ;

(52) किसी कार्य स्थल तक पहुंचने का सुरक्षित साधन और उसकी सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रमों पर जब कार्य भूतल से या भवन के किसी भाग से या सीढ़ी से या आलंब के किसी अन्य साधन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त और पर्याप्त पाड़ का उपबंध करना है ;

(53) किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किसी भवन या अन्य संरचना के पूर्णत: या उसके किसी पर्याप्त भाग को गिराने, किसी भवन या अन्य संरचना को टेकबन्दी करके या अन्यथा किसी निर्माण या संरचना के किसी भाग को हटाने के दौरान एकाएक गिरने के खतरे से बचाव के संबंध में बरती जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(54) सक्षम व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन विस्फोटक को हथालना या उसका उपयोग जिससे कि विस्फोट से या उड़ने वाली सामग्री से क्षति का कोई जोखिम न हो ;

(55) परिवहन उपस्कर का, जैसे लोकोमोटिव ट्रकों, वैगनों और अन्य यानों तथा ट्रेलरों का निर्माण, संस्थापन, उपयोग और अनुरक्षण तथा ऐसे उपस्कर के चलाने या प्रचालित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति ;

(56) उत्तोलकों, उत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियर का निर्माण, संस्थापन, उपयोग और अनुरक्षण, जिसके अन्तर्गत कालिक परीक्षण तथा परीक्षा है और जहां आवश्यक हो वहां, ऊष्मोपचार, भार को उठाने या नीचा करने के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां, व्यक्तियों के वहन पर निर्बन्धन तथा उत्तोलकों या अन्य उत्थापक साधित्रों के संबंध में सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति ;

(57) प्रत्येक कार्य स्थल और उसके पहुंच मार्ग पर, ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहां उत्तोलकों, उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियरों का उपयोग करके उठाने या नीचे उतारने की संक्रिया की जा रही है और नियोजित भवन कर्मकारों के लिए खतरनाक सभी खुले स्थानों पर पर्याप्त और उपयुक्त रूप से प्रकाश व्यवस्था ;

(58) किसी सामग्री के पीसने, साफ करने, छिड़कने या अभिचालन के दौरान धूल, धुएं, गैसों या वाष्पों के अंत:श्वसन का निवारण करने के लिए बरती जाने वाली पूर्वावधानियां और प्रत्येक कार्य के स्थान या परिरुद्ध स्थान से पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(59) सामग्री या माल का ढेर लगाने या ढेर न लगाने, भराई करने या भराई न करने या उसके संबंध में हथालने के दौरान किए जाने वाले अध्युपाय ;

(60) मशीनरी की सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गतिपालक चक्र और मूल गति उत्पादक के प्रत्येक चालक भाग और पारेषण या अन्य मशीनरी के प्रत्येक भाग में बाड़ लगाना है जब तक कि वह ऐसी स्थिति में न हो या ऐसे सन्निर्माण की कोटि का न हो, कि वह किसी भी संक्रिया में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए सुरक्षित हो और ऐसी कोटि का हो मानो उसमें सुरक्षित रूप से बाड़ लगा हो ;

(61) संयंत्र का, जिसके अन्तर्गत संपीडित वायु द्वारा प्रचालित औजार और उपस्कर हैं, सुरक्षित रूप से हथालना और उसका उपयोग ;

(62) अग्नि की दशा में बरती जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(63) कर्मकारों द्वारा उठाए जाने वाले या हटाए जाने वाले भार की सीमाएं ;

(64) जल द्वारा किसी कार्य स्थल तक या वहां से कर्मकारों का सुरक्षित परिवहन और डूबने से बचाने के लिए साधनों की व्यवस्था ;

(65) विद्युतमय तार या साधित्र से, जिसके अन्तर्गत विद्युत मशीनरी और औजार हैं तथा सिरोपरि तारों से कर्मकारों को खतरे से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(66) सुरक्षा जालों, सुरक्षा शीटों और सुरक्षा पट्टों को रखना, जहां कार्य की विशेष प्रकृति या परिस्थितियां उन्हें कर्मकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बनाती हों;

(67) पाड़, सीढ़ियों और जीनों, उत्थापक साधित्रों, रस्सियों, जंजीरों और उपसाधनों, मिट्टी हटाने वाले उपस्करों और प्लवमान परिचालन उपस्करों की बाबत अनुपालन किए जाने वाले मानक ;

(68) स्थूण चालन, कंकरीट कार्य, तप्त एस्फाल्ट, टार या अन्य समरूप वस्तुओं से कार्य, विद्युतरोधन कार्य, भंजन, संक्रियाओं, उत्खनन, भूमिगत सन्निर्माण और सामग्री के हथालने की बाबत बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ ;

(69) सुरक्षा नीति, अर्थात्, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में की जाने वाली संक्रियाओं के लिए नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा बनाई जाने वाली भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने, उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए उपायों के संबंध में नीति ;

(70) कारखाना में विस्फोटक प्रक्रियाओं के संबंध में उचित मानकों के प्रवर्तन के लिए आपातकालीन मानक ;

(71) किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया (चाहे परिसंकटमय हो या अन्यथा) में रासायनिक और टॉक्सिस पदार्थ की अनावृत के प्रति अधिकतम अनुज्ञा द्वार सीमा ;

(72) आकाशीय बिजली ; और

(73) कोई अन्य मामला जिसे केंन्द्रीय सरकार कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य दृष्टि हेतु परिस्थितियों के अधीन विचार करती है ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 12(1) देखिए]

अधिसूचनीय रोगों की सूची

1. सीसा विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत सीसे की किसी निर्मिति या सम्मिश्रण द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था है ।

2. सीसा टेट्राएथिल विषाक्तता ।

3. फासफोरस विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

4. पारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

5. मैंगनीज विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

6. संखिया विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

7. नाइट्रस धूम विषाक्तता ।

8. कार्बन बाईसल्फाईड विषाक्तता ।

9. बैंजीन विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत इसके किसी होमोलॉग, उनके नाइट्रो या अमीडो व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था भी है ।

10. क्रोम अल्सीरेशन या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

11. आंथ्रक्स ।

12. सिलीकोसिस ।

13. एलिफेटिक क्रम के हाइड्रोकार्बनों के हालोजनों या हालोजनों की व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता ।

14. विकृतिजन्य लक्षण जो निम्नलिखित से हुए हों—

(क) रेडियम या अन्य रेडियो-एक्टिव पदार्थ;

(ख) एक्स-रे ।

15. त्वचा का प्रारंभिक दुर्दम कैन्सर ।

16. विषैली अरक्तता ।

17. विषाक्त पदार्थ जन्य विषैला पीलिया ।

18. खनिज तेलों और खनिज तेलों वाले सम्मिश्रणों से होने वाला तैल पनसिका या त्वकशोथ है ।

19. फुफ्फस कार्पासता ।

20. ऐस्बैस्टास रुग्णता ।

21. रसायनों और रंगों के सीधे सम्पर्क से उपजीविकाजन्य या संस्पर्शजन्य त्वकशोथ । ये दो प्रकार के होते हैं अर्थात् प्रारंभिक क्षोभक और ऐलर्जी सुग्राहीकर ।

22. कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि (उच्च कोलाहल से प्रभावित होना) ।

23. बेरोलियम विषाक्तता ।

24. कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता ।

25. कोयला खनक न्यूमोकोनिओसिस ।

26. फोसजीन विषाक्तता ।

27. उपजीविकाजन्य कैंसर ।

28. आइसोसायनेट विषाक्तता ।

29. विषैला वृक्कशोथ ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 16)

[28 मार्च, 2021]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं ।

कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा प्रतिस्थापन ।

2. संपूर्ण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,— 1957 का 67

(i) "भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "खनिज रियायत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, सह-खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, [धारा 3 के खंड (क) में के सिवाय] "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(क) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अभिप्रेत है जो निर्बाध रीति में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पश्चात् खनन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए दो प्रक्रम पर दी गई रियायत है ;

(कक) "प्रेषण" से पट्टाधीन क्षेत्र से खनिज या खनिज उत्पाद का हटाया जाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे पट्टाधीन क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों का उपभोग भी है ;

(कख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में उसका है; 2013 का 18

(कग) "पट्टाधीन क्षेत्र" से खनन पट्टे में विनिर्दिष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनन संक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके अंतर्गत खंड (झ) में यथानिर्दिष्ट "खान" की परिभाषा के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित और अनुमोदित गैर-खनिज क्षेत्र भी हैं;

(कघ) "खनिजों" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सभी खनिज सम्मिलित हैं ;

(कङ) "खनिज रियायत" से भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा, संयुक्त अनुज्ञप्ति या इनमें से किन्हीं का संयोजन अभिप्रेत है और तद्नुसार "रियायत" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;';

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) "उत्पादन" या "उत्पादन" शब्द के किसी व्युत्पाद से प्रसंस्करण या भेजे जाने के प्रयोजन के लिए पट्टाधीन क्षेत्र के भीतर खनिज का प्राप्त किया जाना या उसका जुटाया जाना अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (छक) का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (जख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जखक) "अनुसूची" से अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (झ) में,—

1952 का 35

2020 का 37

(i) "खान अधिनियम, 1952" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020" शब्द और अंक रखे जांएगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) कोई खान, उसके खनन योग्य खनिज आरक्षित के समाप्त होने तक खान बनी रहेगी और किसी खान के, पहला खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने से ऐसे खनन योग्य खनिज आरक्षित के समाप्त होने तक भिन्न-भिन्न समय के दौरान भिन्न-भिन्न स्वामी हो सकेंगे ;

(ii) "खनिज आरक्षित" पद से परिमाणित या उपदर्शित खनिज संसाधनों का आर्थिक दृष्टि से खनन अभिप्रेत है ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक में "ऐसे किसी अस्तित्व द्वारा जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "प्राइवेट अस्तित्व सहित ऐसे अन्य अस्तित्व द्वारा, जिन्हें ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) में,—

(i) "खनन संक्रियाएं" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उत्पादन और प्रेषण" शब्द रखे जाएंगे और "खनन संक्रियाओं" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उत्पादन और प्रेषणों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे, तीसरे और चौथे परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जांएगे, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, पट्टे के ऐसे धारक द्वारा, पट्टे के व्यपगत होने से पहले किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि पट्टे के धारक के लिए ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, उत्पादन और प्रेषण करना या ऐसे उत्पादन और प्रेषण को जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के साथ-साथ दो वर्ष की कालावधि तक विस्तारित करने का आदेश कर सकेगी और ऐसा विस्तारण पट्टे की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा पट्टा ऐसी विस्तारित अवधि के समाप्त होने के पूर्व उत्पादन और प्रेषण करने में या उत्पादन और प्रेषण को प्रारंभ करने में असफल होने, उन्हे जारी रखने में असमर्थ होने पर व्यपगत हो जाएगा।"।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किन्हीं खनिजों के संबंध मे सरकार, सरकारी कंपनी या निगम से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जहां ऐसे क्षेत्र में ऐसे खनिज की श्रेणी ऐसे अवसीमा मूल्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के समतुल्य या उससे ऊपर का है।"।

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, सरकारी कंपनियों या निगमों की दशा में खनन पट्टों की जिसके अंतर्गत विद्यमान खनन पट्टे भी हैं, कालावधि, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए:

परन्तु नीलामी द्वारा अनुदत्त खनन पट्टे से भिन्न खनन पट्टों की कालावधि को ऐसी अतिरिक्त रकम के, जो पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय पर विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पंचम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।

(5) कोई पट्टेदार, जहां कोयले या लिग्नाइट का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाता है ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का, जो छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करके, खान के साथ जुड़े अन्तिम उपयोग संयत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट का पचास प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट का विक्रय कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए कोयले या लिग्नाइट की उक्त प्रतिशतता में वृद्धि कर सकेगी जिसका विक्रय किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी कंपनी या निगम को आबंटित कोयला खान से कोयले का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) कोई विद्युत परियोजना अधिनिर्णीत की गई है :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए षष्ठम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।"।

धारा 8क का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 8क में,—

(क) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7क) कोई पट्टेदार, जहां खनिज का उपयोग किसी कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया गया है, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का जो षष्ठम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करके खान के साथ जुड़े अन्तिम उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादित कुल खनिज के पचास प्रतिशत तक खनिज का विक्रय कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए खनिज की उक्त प्रतिशतता में वृद्धि कर सकेगी जिसका विक्रय किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए षष्ठम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।";

(ख) उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनन पट्टों से भिन्न खनन पट्टों की कालावधि को, ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय पर, जो पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए पंचम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी सरकारी कंपनियां या निगम, जिनका खनन पट्टा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पश्चात् विस्तारित किया गया है, भी ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करेंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् उत्पादित खनिज के लिए पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।"।

2015 का 10

धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 8ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कानूनी अनापत्ति की कालावधि और अन्तरण के लिए उपबंध ।

"8ख. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी खान के संबंध में पट्टेदार को अनुदत्त सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार (उनसे भिन्न जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुदत्त किए गए हैं) पट्टे के समाप्त या उसके पर्यवसान होने के पश्चात् भी विधिमान्य बने रहेंगे और ऐसे अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार इस अधिनियम के अधीन ऐसी विधियों में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे के सफल बोली लगाने वाले को अन्तरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे : 1962 का 33

परन्तु जहां ऐसी पट्टा अवधि की समाप्ति पर, खनन पट्टा धारा 8क की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन किसी नीलामी के अनुसरण में निष्पादित नहीं किया गया है या ऐसी नीलामी के अनुसरण में निष्पादित पट्टा, ऐसी नीलामी से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो गया है वहां राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी सरकारी कंपनी या निगम को दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या नीलामी के माध्यम से नए पट्टे का चयन किए जाने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पट्टा अनुदत्त कर सकेगी और पूर्ववर्ती पट्टेदार के साथ निहित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अन्य अधिकार, ऐसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा अर्जित किए गए समझे जाएंगे :

परन्तु यह और कि धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां पहले परन्तुक के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है :

परन्तु अवसीमा मान के समतुल्य या उससे ऊपर के ग्रेड वाले परमाणु खनिजों की दशा में समाप्त या पर्यवसित खनन पट्टों के संबंध में सभी विधिमान्य अधिकारों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों और वैसे ही अधिकारों को ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को अन्तरित किए गए और उनमें निहित समझे जाएंगे जिसे उक्त खान के लिए पश्चातवर्ती रूप से खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नए पट्टेदार के लिए उस भूमि पर, जिसमें पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन संक्रियाएं की जा रही थीं उसको अनुदत्त खनन पट्टे की समाप्ति या पर्यवसान तक खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा ।"।

धारा 9ख का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9ख में,—

(i) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित, परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा निधि की संरचना और उसके उपयोग के संबंध में निदेश दे सकेगी ।";

(ii) उपधारा (5) में "खनन पट्टे का धारक" शब्दों के पश्चात् "उन धारकों से भिन्न जो धारा 10क की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) में "खनन पट्टे का धारक" शब्दों के पश्चात् "ऐसे धारकों से भिन्न, जो धारा 10क की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9ग का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9ग में,—

(i) उपधारा (1) में "अलाभकर निकाय" शब्दों के स्थान पर "अलाभकार स्वायत्त निकाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट और अधिसूचित अस्तित्व, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के अधीन वित्तपोषण के पात्र होंगे ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन तब तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा जब तक,—

(क) उसका धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क या धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार चयन नहीं किया गया हो; या

2015 का 11

(ख) उसका कोयला खान (विशेष) उपबंध अधिनियम, 2015 के अधीन चयन नहीं किया गया हो; या

(ग) वह ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो धारा 17क के अधीन उसके पक्ष में आरक्षित हो ।"।

धारा 10क का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु इस खंड के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिए, जिसके अन्तर्गत लंबित मामले भी हैं, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख को व्यपगत हो जाएगा :

परंतु यह और कि भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के ऐसे धारक को, जिसका अधिकार पहले परन्तुक के अधीन व्यपगत हो गया है, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।";

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"(घ) ऐसी दशाओं में जहां खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन

अनुज्ञप्ति या पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार व्यपगत हो गया है वहां ऐसे क्षेत्रों को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी के लिए रखा जाएगा :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी अवसीमा मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए खनिज रियायत धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुदत्त की जाएगी ।"।

धारा 10ख का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 10ख में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) धारा 17क के अधीन आने वाले मामलों को;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को, जहां परमाणु खनिजों की श्रेणी ऐसे अवसीमा मूल्य के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, समतुल्य है या उससे अधिक है ; या

(घ) ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके खनिज, सरकार में निहित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां राज्य सरकार ने किसी खनिज की (चाहे वह अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) खनिज अन्तर्वस्तुओं की विद्यमानता को स्थापित करने के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है, वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से एक विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा क्षेत्र अधिसूचित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि जहां ऐसी कालावधि के भीतर अधिसूचना जारी नहीं की जाती है वहां केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।";

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु,—

(क) जहां राज्य सरकार ने, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी खनिज के संबंध में (चाहे अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए सफलतापूर्वक नीलामी पूरी नहीं की है ; या

(ख) ऐसी नीलामी पूरी हो जाने पर, खनन पट्टा या खनन

पट्टा अनुदत्त करने के आशय का पत्र किसी कारण से समाप्त या व्यपगत हो गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, यथास्थिति, नीलामी संचालित और पूर्ण करने या पुनः नीलामी प्रक्रिया की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामलों में जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी नीलामी या पुनःनीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नीलामी करा सकेगी :

परन्तु यह और कि नीलामी के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में अधिमत बोली लगाने वाले के ब्यौरे संसूचित करेगी और राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे अधिमत बोली लगाने वालों को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी ।";

(iv) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु नीलामी में कैप्टिव प्रयोजन के लिए कोई खान आरक्षित नहीं होगी ।";

15. मूल अधिनियम की धारा 10ग का लोप किया जाएगा । धारा 10ग का लोप ।

16. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) धारा 17क के अन्तर्गत आने वाले मामलों को;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को, जहां परमाणु खनिजों की श्रेणी, ऐसे अवसीमा मूल्य के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए के समतुल्य है या उससे अधिक है; या

(घ) ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां राज्य सरकार ने किसी खनिज की (चाहे वह अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है, वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से एक विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा क्षेत्र अधिसूचित करने की अपेक्षा कर

सकेगी और यदि जहां ऐसी कालावधि के भीतर अधिसूचना जारी नहीं की जाती है वहां केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।";

(iii) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु,—

(क) जहां राज्य सरकार ने ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी खनिज के संबंध में (चाहे अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) कोई संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए सफलतापूर्वक नीलामी पूरी नहीं की है ; या

(ख) ऐसी नीलामी पूरी हो जाने पर, संयुक्त अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के आशय का पत्र किसी कारण से समाप्त या व्यपगत हो गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, यथास्थिति, नीलामी संचालित और पूर्ण करने या पुनः नीलामी प्रक्रिया की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामलों में जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी नीलामी या पुनः नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी करा सकेगी :

परन्तु यह और कि नीलामी के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में अधिमत बोली लगाने वाले के ब्यौरे संसूचित करेगी और राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे अधिमत बोली लगाने वालों को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी ।";

(iv) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(10) पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पूरा हो जाने पर, संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक, राज्य सरकार को भू-विज्ञान संबंधी रिपोर्ट के प्ररूप में, खनन पट्टे के लिए अपेक्षित ऐसे क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुए पूर्वेक्षण संक्रियाओं का परिणाम प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी ।"।

धारा 12क का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 12क में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "धारा 10ख या धारा 11" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "इस अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु खनन पट्टे के अंतरिती, से उपधारा (6) में जैसी वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, निर्दिष्ट रकम या अंतरण प्रभारों की ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु पहले संदत्त किए गए प्रभारों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) में "भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "खनिज रियायतों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (थथज) और खंड (थथट) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जांएगे, अर्थात्:—

"(द) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे की अवधि;

(ध) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन खनन पट्टे के धारक द्वारा खनिज के विक्रय की रीति ;

(न) धारा 8क की उपधारा (7क) के अधीन खनिज के विक्रय की रीति ;

(प) धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति ;

(फ) धारा 10ख की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमत बोली लगाने वाले को खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति ;

(ब) धारा 11 की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमत बोली लगाने वाले को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की रीति ;

(भ) धारा 11 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक को खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति ;

(म) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।"।

धारा 17क का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 17क में,—

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने या खनन संक्रियाएं करने के पश्चात् पूर्वेक्षण संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती है, वहां राज्य सरकार इस धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति, अनुदत्त करेगी :

परन्तु राज्य सरकार, प्रथम अनुसूची में भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदत्त करेगी ।";

(ख) उपधारा (2ग) में,—

(i) "ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर "पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए पंचम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को उपांतरित किया जा सके ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी सरकारी कंपनियां या निगम जिनका खनन पट्टा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रदान किया गया है, भी ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करेंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् उत्पादित खनिज के लिए पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।"; 2015 का 10

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के अधीन किया गया आरक्षण, उस दशा में व्यपगत हो जाएगा यदि आरक्षण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाता है :

परन्तु जहां आरक्षण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से पहले समाप्त हो जाती है या उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो जाती है वहां, यदि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाता है तो आरक्षण व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए आवेदन पर या अपनी स्वप्रेरणा से और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना संभव नहीं होगा, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के साथ ऐसी अवधि को शिथिल करने के लिए आदेश करेगी :

परन्तु यह भी कि जहां ऐसी सरकारी कंपनी या निगम, जिसके पक्ष में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व इस धारा के अधीन कोई क्षेत्र आरक्षित किया गया है, खनन पट्टे के निष्पादन के बिना आरक्षित क्षेत्र से उत्पादन प्रारंभ कर दिया है वहां ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन संक्रिया आरंभ करने की तारीख से राज्य सरकार का पट्टाधारी समझा जाएगा और ऐसा समझा गया पट्टा, इस उपधारा के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन पर या खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, व्यपगत हो जाएगा ।

2015 का 10

(5) खनन पट्टे की समाप्ति या व्यपगत होना, इस धारा के अधीन आरक्षण के व्यपगत होने के परिणामस्वरूप होगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से ही, इस धारा में आने वाले "किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खनिज का निकाला जाना, उसका परिवहन करना या उसे निकलवाने या उसका परिवहन करवाने वाले" पद से किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के बिना या धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी खनिज का निकाला जाना या निकलवाना या उसका परिवहन करना या परिवहन करवाना अभिप्रेत है।'।

अनुसूचियों का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"पंचम अनुसूची

[धारा 8(4), धारा 8क(8) और धारा 17क(2ग) देखिए]

क्र0 सं0	खनिज	खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने या उसके विस्तार पर अतिरिक्त रकम
1.	लौह अयस्क और क्रोमाइट	संदेय स्वामिस्व के एक सौ पचास प्रतिशत के समतुल्य
2.	ताम्र	संदेय स्वामिस्व के पचास प्रतिशत के समतुल्य
3.	कोयला और लिग्नाइट	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
4.	अन्य खनिज (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न)	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त रकम, स्वामिस्व या जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय के अतिरिक्त होगा ।

षष्ठम अनुसूची

[धारा 8(5) और धारा 8क(7क) देखिए]

(i) गैर-नीलामी कैप्टिव खानों (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) के लिए :—

क्र0 सं0	खनिज	अतिरिक्त रकम
1.	बाक्साइट	
	(i) धातुकर्मीय ग्रेड	संदेय स्वामिस्व के एक सौ पचास प्रतिशत के समतुल्य
	(ii) गैर-धातुकर्मीय ग्रेड	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
2.	क्रोमाइट	
	(i) सी.आर.$_2$ ओ$_3$ के चालीस प्रतिशत तक	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
	(ii) सीआर$_2$ ओ$_3$ और सांद्र के चालीस प्रतिशत और उससे अधिक	संदय स्वामिस्व के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य
3.	लौह अयस्क	
	(i) लम्पस, आरओएम और सांद्र	संदेय स्वामिस्व के दो सौ पचास प्रतिशत के समतुल्य
	(ii) चूर्ण	संदेय स्वामिस्व के एक सौ पचास प्रतिशत के समतुल्य
4.	चूना पत्थर	
	(i) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम है)	संदेय स्वामिस्व के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य
	(ii) अन्य ग्रेड	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
5.	मैग्नीज	
	(i) मैग्नीज की मात्रा पैंतीस प्रतिशत से कम	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
	(ii) मैग्नीज की मात्रा पैंतीस प्रतिशत और उससे अधिक	संदेय स्वामिस्व के पांच सौ प्रतिशत के समतुल्य
6.	अन्य खनिज	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य

(ii) नीलाम की गई कैप्टिव खानों के लिए (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) :

क्र0 सं0	विक्रय की मात्रा	अतिरिक्त रकम
1.	वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत तक खनिज का विक्रय	कुछ नहीं
2.	वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से	संदेय स्वामिस्व के पचास

	अधिक और पचास प्रतिशत तक खनिज का विक्रय	प्रतिशत के समतुल्य

(iii) कोयला और लिग्नाइट के लिए :

क्र0 सं0	खान का प्रकार	अतिरिक्त रकम
1.	(i) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) के अधीन प्रतिलोम बोली के माध्यम से विद्युत सेक्टर के लिए नीलाम की गई कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान	संदेय स्वामिस्व के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य
	(ii) नीलामी मार्ग के माध्यम से आबंटित कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान [मद सं0 (iv) के अन्तर्गत आने वाली खानों से भिन्न]	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
	(iii) आबंटन मार्ग के माध्यम से आबंटित कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान [मद सं0 (i) और मद सं0 (iv) के अन्तर्गत आने वाली खानों से भिन्न]	संदेय स्वामिस्व के समतुल्य
	(iv) ऐसी कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए जिनकी नीलामी और आबंटन, वार्षिक उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत तक कोयले का विक्रय अनुज्ञात करने की शर्त के साथ हुआ है—	
	(क) वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत तक कोयले के विक्रय के लिए ।	निविदा दस्तावेज या आबंटन दस्तावेज में वर्णित शर्त के अनुसार संदेय अतिरिक्त रकम ।
	(ख) वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक और पचास प्रतिशत तक कोयले के विक्रय के लिए	संदेय स्वामिस्व का पचास प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(i) अतिरिक्त रकम, जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को दिए गए स्वामिस्व या किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय

या निविदा दस्तावेज या नीलामी प्रीमियम (जो भी लागू हो) में विनिर्दिष्ट संदाय के अतिरिक्त होगी ।

(ii) कोयले और लिग्नाइट के लिए अतिरिक्त रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्यानुसार स्वामिस्व, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और कर, उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों को अपवर्जित करके कोयले की द्योतक कीमत पर आधारित होगी ।"।

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 33)

[13 अगस्त, 2021]

चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 4 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" के अन्तर्गत किसी अधिकरण का अध्यक्ष, सभापति, प्रधान और पीठासीन अधिकारी भी है;

(ख) "सदस्य" के अन्तर्गत किसी अधिकरण का, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपप्रधान, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य और तकनीकी सदस्य भी है ।";

(ग) "अधिसूचित तारीख" से 4 अप्रैल, 2021 अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिकरण" से पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति आदि ।

3. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य शर्तों का उपबंध करने के लिए, सुसंगत क्षेत्र में अनुभव, विशेषज्ञता और इस अधिनियम के उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, नियम बना सकेगी :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(2) किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (3) के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

(3) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सिवाए, खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय एक न्यायाधीश होगा ;

(ख) दो सदस्य, जो उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारत सरकार के सचिव हैं ;

(ग) एक सदस्य, जो—

(i) किसी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, उस अधिकरण का पदावरोही अध्यक्ष होगा ; या

(ii) किसी अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में अधिकरण का आसीन अध्यक्ष होगा ; या

(iii) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा :

परन्तु निम्नलिखित मामलों में, ऐसा सदस्य, सदैव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा, अर्थात् :—

1947 का 14

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण ;

1993 का 51

(ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन गठित शोध्य ऋण अधिकरण और शोध्य ऋण अपील अधिकरण ;

(iii) ऐसे अधिकरण, जहां अधिकरण का यथास्थिति, अध्यक्ष या पदावरोही अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है ; और

(iv) ऐसे अन्य अधिकरण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस अधिकरण की खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ; और

(घ) उस मंत्रालय या विभाग का, जिसके अधीन अधिकरण का गठन या उसकी स्थापना की गई है, भारत सरकार का सचिव - सदस्य-सचिव :

परन्तु राज्य प्रशासनिक अधिकरण के लिए खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति - अध्यक्ष;

(ख) संबद्ध राज्य सरकार का मुख्य सचिव - सदस्य;

(ग) संबद्ध राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष - सदस्य;

(घ) एक सदस्य, जो—

(i) किसी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पदावरोही अध्यक्ष होगा ; या

(ii) किसी अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में अधिकरण का आसीन सदस्य होगा ; या

(iii) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा :

परन्तु ऐसा सदस्य, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यथास्थिति, यदि राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष या पदावरोही अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नहीं है;

(ङ) संबद्ध राज्य के साधारण प्रशासनिक विभाग का सचिव या प्रधान सचिव - सदस्य सचिव ।

(4) खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(5) खोज-सह-चयन समिति का सदस्य-सचिव कोई मत नहीं डालेगा ।

(6) खोज-सह-चयन समिति, अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(7) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खोज-सह-चयन समिति, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिश की तारीख से अधिमानतः तीन मास के भीतर समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय लेगी ।

(8) कोई नियुक्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि खोज-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना ।

4. केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा देगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका निरंतर पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य को खंड (ग) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है वहां उसे, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप संसूचित किए जाएंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि ।

5. न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) अधिकरण का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ;

(ii) अधिकरण का सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति 26 मई, 2017 और अधिसूचित तारीख के बीच की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश मे विनिर्दिष्ट उसकी पदावधि या सेवानिवृत्ति की आयु उससे अधिक है, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है तो इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि या सेवानिवृत्त होने की आयु या दोनों वह होगी जो पांच वर्ष की अधिकतम पदावधि के अधीन रहते हुए नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता ।

6. (1) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवा को वरीयता दी जाएगी ।

(2) सभी पुनर्नियुक्तियां उस रीति में की जाएंगी, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उपबंधित है ।

वेतन और भत्ते ।

7. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी और उन्हें वह भत्ते और फायदे प्रदान किए जाएंगे जो समान वेतन पाने वाले पदधारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है :

परंतु यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य ने किराए पर घर लिया है, तो उसे उस गृह किराया भत्ते से अधिक गृह किराए का प्रतिदाय किया जाएगा, जो नियम द्वारा यथाउपबंधित ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए समान वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के समान पद को धारण करने वाले अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय है ।

(2) अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्तन हो सकेगा ।

अध्याय 3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

1947 के अधिनियम संख्यांक 14 का संशोधन ।

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7घ में, "वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंध द्वारा शासित होंगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 4

चलचित्र अधिनियम, 1952 का संशोधन

1952 के अधिनियम संख्यांक 37 का संशोधन ।

9. चलचित्र अधिनियम, 1952 में,—

(क) धारा 2 के खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 5ग में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा 5घ और धारा 5घघ का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 6 में, "या, यथास्थिति, अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लंबित है)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 7क और धारा 7ग में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर जहां-कहीं वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 7घ, धारा 7ङ और धारा 7च में "अधिकरण" शब्द का जहां-कहीं वह आता है लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 का संशोधन

1957 के अधिनियम संख्यांक 14 का संशोधन ।

10. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (कक) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (चक) को खंड (चकक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (चकक) के पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) किसी राज्य के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक न्यायालय" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अधीन गठित कोई वाणिज्य न्यायालय या धारा 4 के अधीन गठित कोई उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है ;'; 2016 का 4

(iii) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(प) "विहित" से, —

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ii) अन्य दशाओं में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ख) धारा 6 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 11 के अधीन गठित अपील बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वाणिज्यिक न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में "और अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 और धारा 12 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 19क, धारा 23, धारा 31, धारा 31क, धारा 31ख, धारा 31ग,

धारा 31घ, धारा 32, धारा 32क और धारा 33क में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 50 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 53क में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "और इस निमित्त अपील बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 54 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ।

"72. (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अंतिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी :

परन्तु ऐसा कोई न्यायाधीश, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को अपील निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) जहां किसी अपील की सुनवाई किसी एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है, वहां एक और अपील, एकल न्यायाधीश के विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को की जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपील के लिए उपबंधित तीन मास की अवधि की संगणना करने में, ऐसे आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, प्रमाणित प्रति या अभिलेख देने में लिए गए समय को अपवर्जित किया जाएगा ।";

(ञ) धारा 74 और धारा 75 में "और अपील बोर्ड" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ट) धारा 77 में, "और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ठ) धारा 78 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (गअ) और खंड (गगआ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) में "और अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

1961 के अधिनियम संख्यांक 43 का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 7

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन

1962 के अधिनियम संख्यांक 52 का संशोधन ।

12. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में,—

(क) धारा 28ङ के खंड (खक), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28ङक के परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 28च की उपधारा (1) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28टक में,—

(i) उपधारा (1) में "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 28ठ में "या अपील प्राधिकरण" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में "और अपील प्राधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(छ) धारा 129 की उपधारा (7) में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात्

2017 का 7

2021 का 33

नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 8

पेटेंन्ट अधिनियम, 1970 का संशोधन

1970 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।

13. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (प) के उपखंड (आ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 52 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 58 में,—

(i) "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) "यथास्थिति" शब्द का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 59 में "अपील बोर्ड अथवा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 64 की उपधारा (1) में "अपील बोर्ड द्वारा या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 71 में "अपील बोर्ड" और "बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 76 में "या अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 113 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "अपील बोर्ड या" शब्दों का जहां-कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(आ) "यथास्थिति" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में "या अपील बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) अध्याय 19 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(ञ) धारा 116 और धारा 117 का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 117क में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 117ख, धारा 117ग और धारा 117घ का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 117ङ में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ़) धारा 117च, धारा 117छ और धारा 117ज का लोप किया जाएगा;

(ण) धारा 151 में,—

(i) उपधारा (1) में "या अपील बोर्ड" शब्दों का दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में "यथास्थिति, अपील बोर्ड या न्यायालयों" शब्दों के स्थान पर "न्यायालयों" शब्द रखे जाएंगे;

(त) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiiक), खंड (xiiख) और खंड (xiiग) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 9

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधन

1976 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

14. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 10

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का संशोधन

1985 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

15. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 10ख में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 11

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 का संशोधन

1987 के अधिनियम संख्यांक 54 का संशोधन ।

16. रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 12

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम संख्यांक 15 का संशोधन ।

17. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15थक में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 13

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

1993 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन ।

18. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में,—

(क) धारा 6क में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण

2017 का 7

2021 का 33

के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 15क में "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 14

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 का संशोधन

1994 के अधिनियम संख्यांक 55 का संशोधन ।

19. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 28क के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28ङ में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) धारा 28झ, धारा 28ञ और धारा 28ञक का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28ट में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परन्तुक में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 28ठ का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 28ढ की उपधारा (2) में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ज) धारा 33 में "या अधिकरण का अध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छvi), खंड (छvii), खंड (छviii) और खंड (छix) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 15

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का संशोधन

1997 के अधिनियम संख्यांक 24 का संशोधन ।

20. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14छक में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 16

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के अधिनियम संख्यांक 47 का संशोधन ।

21. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क), खंड (घ), खंड (च), खंड (ट), खंड (ढ), खंड (यङ) और खंड (यच) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ध) "विहित" से,—

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ii) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ख) धारा 10 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 26 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 46 की उपधारा (3) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) धारा 47 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 55 की उपधारा (1) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 57 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 71 की उपधारा (3) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) अध्याय 11 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(ञ) धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86, धारा 87, धारा 88, धारा 89, धारा 89क और धारा 90 का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 91 में, "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 92 और धारा 93 का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात होने का वर्जन ।

"94. तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण नहीं करने पर रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात नहीं होगे।";

(ढ) धारा 95 और धारा 96 का लोप किया जाएगा;

(ण) धारा 97 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(त) धारा 98 में "अपील बोर्ड" और बोर्ड शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(थ) धारा 99 और धारा 100 का लोप किया जाएगा;

(द) धारा 113 में, —

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ध) धारा 123 में "और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(न) धारा 124 में और धारा 125 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(प) धारा 130 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(फ) धारा 141 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ब) धारा 144 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(भ) धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xxxi) और खंड (xxxii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (xxxiii) में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 17

माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के अधिनियम संख्यांक 48 का संशोधन ।

22. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 19 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 23 में "में तथा अपील बोर्ड के समक्ष" शब्दों के स्थान पर, "के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 27 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) अध्याय 7 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(च) धारा 31 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 32 और धारा 33 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 34 और धारा 35 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) धारा 36 का लोप किया जाएगा;

(ञ) धारा 48 में,—

(i) "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) धारा 57 और धारा 58 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 63 में "अपील बोर्ड या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 72 में "अपील बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ) धारा 75 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, ", यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ढ) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 18

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के अधिनियम संख्यांक 53 का संशोधन ।

23. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में,—

(क) धारा 2 में, —

(i) खंड (घ), खंड (ढ) और खंड (ण) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(थ) "विहित" से,—

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ii) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (म) और खंड (य) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 44 में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) अध्याय 8 के अध्याय शीर्ष के स्थान पर "अपील" शब्द रखा जाएगा;

(घ) धारा 54 और धारा 55 का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 56 में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 57 में,—

(i) "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 58 और धारा 59 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 89 में "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 19

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2003 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन ।

24. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "न्यायालय" से किसी जिले की मूल अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला "उच्च न्यायालय" भी है;';

(iii) खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;

(ख) अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में "और अधिकरण की स्थापना, आदि" शब्दों के स्थान पर, "की स्थापना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 5 का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपील ।

"14 यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 36, धारा 37 और धारा 38 के अधीन पारित आदेशों या की गई किसी कार्रवाई, सूचनाएं जारी करने या उसकी तामील को छोड़कर, कोई अपील न्यायालय में की जाएगी ।";

(ङ) धारा 15 और धारा 16 का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 17 में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है "न्यायालय" शब्द रखा जाएगा;

(छ) धारा 18 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 19 में "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, "न्यायालय" शब्द रखा जाएगा;

(झ) धारा 40 का लोप किया जाएगा ;

(ञ) धारा 41 में,—

(i) "अथवा अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील पर पारित प्रत्येक आदेश या किया गया विनिश्चय" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "या अधिकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 20

विद्युत अधिनियम, 2003 का संशोधन

2003 के अधिनियम संख्यांक 36 का संशोधन ।

25. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 117क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 21

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 का संशोधन

2007 के अधिनियम संख्यांक 55 का संशोधन ।

26. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 9क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 7 2021 का 33

अध्याय 22

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 का संशोधन

2010 के अधिनियम संख्यांक 19 का संशोधन ।

27. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 10क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त 2017 का 7 2021 का 33

अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 23

कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन

2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 417क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

2017 का 7

2021 का 33

अध्याय 24

वित्त अधिनियम, 2017 का संशोधन

2017 के अधिनियम संख्यांक 7 का संशोधन ।

29. वित्त अधिनियम, 2017 में धारा 183 और धारा 184 तथा आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 25

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का संशोधन

2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

30. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 55 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के आरंभ होने के पश्चात् नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होंगी ।"।

2021 का 33

अध्याय 26

प्रकीर्ण

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

31. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उसकी अनुसूची को संशोधित करेगी, तदनुसार, उक्त अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, किए जाने के पश्चात यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

32. इस भाग के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

33. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या सभापति या प्रधान या पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष या उपसभापति या उपप्रधान या सदस्य के रूप में नियुक्त और अधिसूचित तारीख के ठीक पहले उस रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अधिसूचित तारीख से ही ऐसे पद को धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसकी पदावधि या किसी सेवा संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास से अनधिक का वेतन और भत्ते के प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) अधिसूचित तारीख से पहले प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अधिसूचित तारीख से ही अपने विद्यमान काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रतिवर्तित हो जाएंगे ।

(3) अधिसूचित तारीख से पहले, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कोई अपील, आवेदन या कार्यवाही, उनसे भिन्न, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, उस न्यायालय को अंतरित हो जाएगी, जिसके समक्ष उन्हें इस अधिनियम के अधीन फाइल किया गया होता, यदि वह ऐसी अपील या आवेदन के फाइल किए जाने या कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की तारीख को प्रवर्तन मे होता और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यवाही उसी प्रक्रम से, जिस पर वह ऐसे अंतरण से पहले थी या किसी पूर्वतम प्रक्रम से या नए सिरे से, जैसा न्यायालय ठीक समझे, प्रारंभ कर सकेगा । 1961 का 43

(4) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए या अग्रिम रूप में ली गई ऐसी सभी धनराशियों का अतिशेष, जिनका उसने अधिसूचित तारीख के पहले व्यय नहीं किया है, अधिसूचित तारीख से ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएगी।

(5) अधिसूचित तारीख के पहले दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उनमें निहित किसी भी प्रकार की सभी संपत्ति अधिसूचित तारीख को ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश अधिसूचित तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का अध्यादेश 2

35. (1) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है ।

1952 का 37
1957 का 14
1962 का 52
1970 का 39
1994 का 55
1999 का 47
1999 का 48
2001 का 53
2003 का 13

(2) ऐसा निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, चलचित्र अधिनियम, 1952, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, पेटेंट अधिनियम, 1970, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार-चिह्न अधिनियम, 1999, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(ङ) देखिए]

क्रम सं॰	अधिकरण/अपील अधिकरण/बोर्ड/प्राधिकारी	अधिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
2.	आय-कर अपील अधिकरण	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
3.	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
4.	अपील अधिकरण	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13)
5.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
6.	राज्य प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
7.	रेल दावा अधिकरण	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987का 54)
8.	प्रतिभूति अपील अधिकरण	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)
9.	ऋण वसूली अधिकरण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,1993 (1993 का 51)
10.	ऋण वसूली अपील अधिकरण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,1993 (1993 का 51)
11.	दूरसंचार विवाद निपटारा और अपील अधिकरण	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
12.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)
13.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
14.	विद्युत अपील अधिकरण	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
15.	सशस्त्र बल अधिकरण	सशस्त्र बल अधिनियम, 2007(2007 का 55)
16.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम,2010 (2010 का 19)

दूसरी अनुसूची

(धारा 33 देखिए)

1. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन अपील अधिकरण ।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण ।

4. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ।

5. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अधीन पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण ।

भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 13)

[6 अगस्त, 2022]

अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षा हेतु और अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्कटिक संधि की पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

अंटार्कटिक संधि पर वाशिंगटन डी.सी. में 1 दिसंबर, 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे ;

और अंटार्कटिक संधि पर प्रारंभ में बारह देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उसी समय से बयालीस अन्य देशों में भी इस संधि को अंगीकार किया है ;

और संधि के कुल चौवन राज्य पक्षकारों, उनतीस देशों को अंटार्कटिक परामर्शदात्री अधिवेशनों में मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पक्षकार की प्रास्थिति भी प्राप्त है और पच्चीस देशों को, जो अपरामर्शदात्री पक्षकार हैं, उनमें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है ;

और भारत ने अंटार्कटिक संधि पर 19 अगस्त, 1983 को हस्ताक्षर किए थे और 12 सितंबर, 1983 को परामर्शदात्री प्रास्थिति प्राप्त हुई ;

और अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक पर्यावरण की संरक्षा और उसके परिरक्षण के लिए और विशिष्टतया, अंटार्कटिक में समुद्री जीव संपदा के परिरक्षण और उसकी संरक्षा के लिए अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा की संरक्षा संबंधी अभिसमय पर 20 मई, 1980 को कैनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और भारत ने उक्त अभिसमय को 17 जून, 1985 को अनुसमर्थित किया था और उस अभिसमय के अधीन अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षा आयोग का एक सदस्य है ;

और अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक संधि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और अंटार्कटिक पर्यावरण तथा आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षा के लिए एक व्यापक व्यवस्था के विकास हेतु अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल पर 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और भारत ने 14 जनवरी, 1998 को अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए ;

और अंटार्कटिक 60^0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित है और जो एक प्राकृतिक आरक्षिति है, शांति और विज्ञान के प्रति समर्पित है तथा जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय मतभेद का दृश्य या विषय नहीं बनना चाहिए ;

और उक्त संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए तथा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षा और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र और अंटार्कटिक में परिकल्पित विभिन्न क्रियाकलापों के विनियमन का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक समझा गया है ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

लागू होना ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) भारत के नागरिक ; या

(ख) किसी अन्य देश के नागरिक ; या

(ग) कोई कंपनी, निगमित निकाय, निगम, भागीदारी फर्म, सहउद्यम, व्यक्तियों का संगम या भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस रूप में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य इकाई ; या

(घ) भारत में या भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान,

यदि ऐसा व्यक्ति, जलयान या वायुयान, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी

अनुज्ञापत्र के अधीन अंटार्कटिक के किसी भारतीय अभियान का भाग है और इसमें ऐसा कोई जलयान या वायुयान जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु अंटार्कटिक में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा भाड़े पर लिया गया है, भी सम्मिलित होगा ;

(ङ) अंटार्कटिक में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं, अर्थात् :—

(i) अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसमें इसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(ii) 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी द्वीप, जिसमें उसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(iii) महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र, जो उस महाद्वीप के पार्श्वस्थ हैं या वे द्वीप, जो 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में हैं ;

(iv) 60^0 दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी समुद्र और वायु क्षेत्र ; और

(v) अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ।

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "क्रियाकलाप" से अंटार्कटिक में किसी प्रकार का कार्यचालन अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत पर्यटन, अनुसंधान, संरक्षण, मछली पकड़ना और वाणिज्यिक मछली पकड़ना भी है ;

1934 का 22

(ख) "वायुयान" का वही अर्थ है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ;

(ग) "विश्लेषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी नमूने या पदार्थ को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा उस रूप में पदाभिहित किया गया है ;

(घ) "संधि का अन्य पक्षकार" या "प्रोटोकाल का अन्य पक्षकार" से भारत से भिन्न कोई अन्य पक्षकार अभिप्रेत है ;

(ङ) "अंटार्कटिक" से धारा 2 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "अंटार्कटिक पर्यावरण" से अंटार्कटिक पर्यावरण पर आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें उसकी बंजर भूमि और सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि से तात्त्विक महत्व, वैज्ञानिक अनुसंधान या ऐसे अनुसंधान जो वैश्विक पर्यावरण, जलवायु और वातावरण की बनावट को समझने के लिए आवश्यक हैं के संचालन के लिए किसी क्षेत्र के रूप में इसका महत्व अभिप्रेत है ;

(छ) "समिति" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन" से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण समाघात निर्धारण का कोई व्यापक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(झ) "अभिसमय" से कैनबरा, आस्ट्रेलिया में 20 मई, 1980 को हस्ताक्षरित अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है ;

(ञ) "परामर्शदात्री पक्षकार" से अंटार्कटिक संधि का और अंटार्कटिक संधि पर्यावरणीय संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल का हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार

अभिप्रेत हैं, जिसको अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री अधिवेशन द्वारा अंगीकृत किसी विनिश्चय, उपाय और संकल्पों में मत देने का अधिकार प्राप्त है ;

(ट) "भारतीय अभियान" से भारत द्वारा आयोजित अंटार्कटिक के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई कोई यात्रा अभिप्रेत है ;

(ठ) "प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन" से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का प्रारंभिक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(ड) "भूमि" के अंतर्गत आइस शेल्फ की वैज्ञानिक परिभाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी द्वीप, महाद्वीपीय शेल्फ और कोई आइस शेल्फ आता है ;

(ढ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(ण) जलयान या वायुयान के संबंध में "आपरेटर" से उस जलयान या वायुयान का तत्समय प्रबंध करने वाला स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(त) "पक्षकार" से अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार या संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य राज्य अभिप्रेत है ;

(थ) "अनुज्ञापत्र" से धारा 27 के अधीन समिति द्वारा जारी किया गया कोई अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ;

(द) "व्यक्ति" से धारा 2 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है ;

(ध) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(न) "प्रोटोकाल" से 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर की गई अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जो 14 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ था ;

(प) "आस्थान" के अंतर्गत अंटार्कटिक में कोई कार्य स्थल, भवन या भवनों का समूह या कोई अस्थायी सुविधा सम्मिलित है ;

(फ) "संधि" से 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अभिप्रेत है, जो 23 जून, 1961 को प्रवृत्त हुई थी ;

(ब) "जलयान" का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (55) में उसका है ; 1958 का 44

(भ) "अपशिष्ट" से अप्रयोज्य अनुपयोगी जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ सम्मिलित है, जिसको कब्जा रखने वाला या उत्पादक, उसका निस्सारण करना चाहता है या जिसकी नियंत्रित निपटान लोक कल्याण को परिरक्षित रखने के लिए अपेक्षा की जाती है और विशिष्टतया, पर्यावरण की संरक्षा ; या अवशिष्ट रेडियो धर्मी पदार्थ या खोली गई या विखंडित सुविधाओं का रेडियो धर्मी घटक भी है, जिनका नियंत्रित निपटान परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार किया जाएगा । 1962 का 33

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में उनके हैं ।

अध्याय 2

अनुज्ञापत्र विषयक आवश्यकता

अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान के लिए अनुज्ञापत्र ।

4. किसी भारतीय अभियान में कोई व्यक्ति प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र से गुजरकर या उसके ऊपर से हो कर यात्रा कर रहा है ।

अंटार्कटिक में भारतीय स्थान के लिए अनुज्ञापत्र ।

5. कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना, अंटार्कटिक के किसी भारतीय स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा ।

अंटार्कटिक में प्रवेश के लिए जलयान या वायुयान को अनुज्ञापत्र ।

6. भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे जलयान के मामले में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र से गुजर कर या उसके ऊपर से हो कर यात्रा कर रहा है :

परंतु यह और कि अंटार्कटिक के बाहर किसी अव्यवहित गंतव्य स्थान तक यात्रा करने वाले किसी वायुयान के संबंध में अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

खनिज संपदा क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञापत्र ।

7. इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी अनुज्ञापत्र पत्र के सिवाय, अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति या जलयान,—

(क) खनिज संपदा के लिए ड्रिल, निकर्षण या उत्खनन नहीं करेगा ;

(ख) खनिज संपदा के कोई नमूने एकत्रित नहीं करेगा ;

(ग) विनिर्दिष्ट खनिज संपदा की उपस्थिति या निक्षेप या ऐसे क्षेत्रों की, जहां ऐसी उपस्थिति या निक्षेप पाए जाएं, पहचान करने के प्रयोजन के लिए कुछ नहीं करेगा :

परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई अनुज्ञापत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक समिति का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे क्रियाकलाप केवल—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान के ; या

(ख) अंटार्कटिक में किसी भारतीय स्थान के संनिर्माण, रखरखाव या मरम्मत या भारत द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित किसी अन्य ढांचे, सड़क, रनवे या जेटी से संबंधित प्रयोजनों के लिए ही किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''खनिज संपदा'' से ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा अभिप्रेत है, जो न तो जीवित हैं और न ही नवीकरणीय है ।

अंटार्कटिक में कतिपय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञापत्र देना ।

8. अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार के किसी अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के बिना,—

(क) किसी देशज पौधे को ऐसी रीति में साशय नहीं हटाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उनके स्थानीय वितरण या बाहुल्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है ;

(ख) हेलीकाप्टर या अन्य वायुयान साशय ऐसी रीति में नहीं उड़ाएगा या नहीं उतारेगा, जिससे देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्तव्यस्त करती है ;

(ग) यान या जलयान, जिसमें होवर क्राफ्ट और कोई लघु नौका सम्मिलित है, का उपयोग ऐसी रीति में साशय नहीं करेगा, जो देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्त-व्यस्त करती है ;

(घ) किसी विस्फोटक या अग्नायुध का प्रयोग ऐसी रीति में साशय नहीं करेगा, जो देशज पक्षियों या सील मछलियों के संकेन्द्रण को अस्तव्यस्त करती है ;

(ङ) पैदल चलते समय, देशज पक्षियों के प्रजनन में या पंखों के झड़ाव में या सील मछलियों के संकेन्द्रण को साशय बाधा नहीं पहुंचाएगा ;

(च) किसी वायुयान को उतारकर, किसी यान को चलाकर या उस पर चल कर, किसी स्थलीय देशज पौधों के संकेन्द्रण को विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा ;

(छ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में नहीं लगेगा, जिसका परिणाम किसी विशेषतया संरक्षित प्रजाति या देशज स्तनपायी की जनसंख्या, देशज पक्षियों, देशज पौधों या देशज अकशेरुकी के प्राकृतिक वास में विशेष प्रतिकूल परिवर्तन है ;

(ज) अंटार्कटिक की मिट्टी या किसी देशज जैविक सामग्री को साशय नहीं हटाएगा ; या

(झ) किसी देशज स्तनपायी या देशज पक्षियों का तब तक वध नहीं करेगा, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं छुएगा या उनके साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा जब तक ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के प्राण के संरक्षण के लिए न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''देशज पक्षी'' से ऐसे पक्षी वर्ग का, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जो प्राकृतिक प्रव्रजन, जिसमें कोई भाग, उत्पाद, अन्डे या सन्तान या मृतशरीर या उसके भाग और जीवाश्म भी है, के माध्यम से मौसमानुसार आते हैं, की किसी भी प्रजाति के जीवन चक्र के किसी भी प्रक्रम पर जिसमें उनके अन्डे भी है, सदस्य अभिप्रेत है ;

(ii) "देशज अकशेरुकी'' से अपने जीवन चक्र के किसी चरण पर, कोई स्थलीय या जलीय अकशेरुकी अभिप्रेत है, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी हैं, जिसके अंतर्गत उसका कोई भाग और जीवाश्म आता है ;

(iii) "देशज स्तनपायी'' से ऐसे स्तनपायी वर्ग का, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जो प्राकृतिक प्रव्रजन, जिसमें कोई भाग, उत्पाद, अन्डे या सन्तान या मृत शरीर या उसके भाग और जीवाश्म भी है, के माध्यम से मौसमानुसार आते हैं, को किसी प्रजाति के जीवनचक्र के किसी भी प्रक्रम पर, जिसमें उनके अन्डे भी है, सदस्य अभिप्रेत है ;

(iv) "देशज पौधे'' से कोई स्थलीय या जलीय वनस्पति, जिसमें ब्रायोफाइट, शैवाल, फफूंदी और शैवाल भी है, उसके जीवनचक्र के किसी भी प्रक्रम

पर, जिसमें ऐसे बीज और अन्य प्रजनक जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी है या जीवाश्म से भिन्न ऐसी वनस्पति के भाग भी है, अभिप्रेत है ;

(v) "विशेषतया संरक्षित प्रजाति'' से ऐसी देशज प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रोटोकाल और अभिसमय में विशेषत: संरक्षित प्रजातियों के रूप में अभिहित की गई हैं ।

अंटार्कटिक में अदेशज पशु और पौधों को ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

9. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी प्रजाति के किसी ऐसे पशु को, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी नहीं है या कोई पौधा, जो देशज पौधा नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही ले जाएगा अन्यथा नहीं :

परंतु इस धारा के उपबंध कुक्कुट पालन या जीवित पशुओं से भिन्न खाद्य के लिए लागू नहीं होगा ।

सूक्ष्मदर्शी जीवों को ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

10. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी प्रजाति का सूक्ष्मदर्शी जीव को, जो अंटार्कटिक के लिए स्वदेशी नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही ले जाएगा अन्यथा नहीं ।

संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र ।

11. कोई व्यक्ति या जलयान या वायुयान अंटार्कटिक विशेषत: संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, जो विहित की जाए, में प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही प्रवेश करेगा अन्यथा नहीं ।

अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुज्ञापत्र ।

12. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान को प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही, अंटार्कटिक में अपशिष्ट का निपटान करेगा अन्यथा नहीं ।

समुद्र में निस्सारण के लिए अनुज्ञापत्र ।

13. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञापत्र या लिखित प्राधिकार के अनुसार ही समुद्र में कोई तेल, या तेलीय मिश्रण, बहिस्राव, नित्तल जल या किसी खाद्य के अपशिष्ट को निस्सारित करेगा अन्यथा नहीं ।

अंटार्कटिक से जैवीय नमूना या कोई अन्य सैम्पल को हटाने के लिए अनुज्ञापत्र ।

14. (1) समिति, किसी व्यष्टिक मामले में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) नमूने या अध्ययन के लिए कोई अन्य सैम्पल या वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए ;

(ii) संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, चिड़ियाघर और वनस्पतीय उद्यानों या अन्य शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थाओं या प्रयोगों के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए :

परंतु ऐसी अनुज्ञापत्र सीमित होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, कि—

(क) केवल ऐसी संख्या ऐसे देशज स्तनपायी, पक्षी, अकशेरुकी, पौधे या कोई अन्य नमूने की, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए आवश्यकताओं को पूर्णतया से पूरा किया जा सके ;

(ख) केवल ऐसे देशज स्तनपायी या पक्षी, जिनका ऐसी संख्या में किया जाता हैं, जितनी आगामी मौसम में प्राकृतिक प्रजनन द्वारा साधारतया प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(ग) प्रजातियों की विविधता और साथ ही उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक प्राकृतिक वास है और अंटार्कटिक में विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखा जा सके ;

(घ) ओम्मेटोफोकेरोस्सी (रोस सील) या कोई अन्य प्रजाति, जो विहित की जाए, को विशेष संरक्षण दिया जाएगा और केवल वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए इन प्रजातियों का वध करने, उन्हे क्षति पहुंचाने, उन्हें पकड़ने या उन्हें छूकर देखने के लिए ही अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा, यदि उस प्रजाति या स्थानीय जनसंख्या की उत्तरजीविता को या स्वास्थ-लाभ को जोखिम में नहीं डाला जाता है और जहां तक हो सके, अप्राणघातक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ; और

(ङ) स्तनपायी या पक्षियों का वध करना या क्षति पहुंचाना या पकड़ना या ऐसी रीति में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीड़ा और यातना कम से कम हो ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए जारी अनुज्ञापत्र में जारी करने वाले प्राधिकारी और अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले का नाम, अनुज्ञात अवधि और क्रियाकलाप जिसमें एकत्रित किए जाने वाले आशयित सैम्पल का आकार, भार और परिमाण भी है, के स्थान का उल्लेख होगा ।

आपातकाल के दौरान कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

15. धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 11, धारा 12 और धारा 13 के उपबंध ऐसे आपातकालों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिनमें किसी व्यक्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण या किसी जलयान, वायुयान, उपस्कर या सुविधा, जिसका एक महत्वपूर्ण मूल्य है, अन्तर्वलित है ।

अंटार्कटिक में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए विशेष अनुज्ञापत्र ।

16. कोई व्यक्ति, जो वाणिज्यिक रूप से मछली पकड़ने के प्रयोजन हेतु अंटार्कटिक जाने का आशय रखता है, समिति के माध्यम से अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण के लिए आयोग के सचिवालय से अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करेगा ।

अध्याय 3

प्रतिषेध

अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्व का निपटान करने के लिए प्रतिषेध ।

17. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में कोई परमाणु विस्फोट या किसी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का निपटान नहीं करेगा ।

अंटार्कटिक में उपजाऊ मिट्टी को ले जाने का प्रतिषेध ।

18. कोई व्यक्ति या यान, अंटार्कटिक के किसी भाग में उपजाऊ मिट्टी को नहीं ले जाएगा ।

विनिर्दिष्ट पदार्थों और उत्पादों को ले जाने का प्रतिषेध ।

19. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान, किसी पदार्थ या उत्पाद को, जो विहित की जाए, अंटार्कटिक में नहीं ले जाएगा ।

ऐतिहासिक स्थलों और संस्मारकों से संबंधित प्रतिषेध ।

20. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में किसी ऐतिहासिक स्थल या संस्मारक या उसके भाग को, जो विहित किया जाए, क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसे नष्ट नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा ।

कब्जा, विक्रय, इत्यादि का प्रतिषेध ।

21. कोई व्यक्ति या जलयान या कोई वायुयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा, विक्रय की प्रस्थापना नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा, उसका परिवहन, अंतरण नहीं करेगा या किसी वस्तु को नहीं भेजेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त किया गया है ।

कतिपय उत्पाद या पदार्थ के निस्सारण का प्रतिषेध ।

22. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में है, कोई कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक या अन्य उत्पाद या पदार्थ को, जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हो समुद्र में निस्सारित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जलयान के संबंध में, कूड़ा-कचरा से सभी प्रकार के रसद, घरेलू और कार्यचालन अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत ताजी मछलियां और उसके भाग नहीं हैं, जो लदान के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पादित हुए हैं और सतत रूप से या आवधिक रूप से निपटान किए जाने के लिए दायी होंगे ।

अध्याय 4

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति

समिति का गठन ।

23. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन करेगी, जिसे अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित संदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय – अध्यक्ष, पदेन ;

(ख), केंद्रीय सरकार के किसी निम्नलिखित से संबंधित मंत्रालय या विभाग या संगठन से किसी से, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस ऐसे सदस्य, जो संयुक्त सचिव – पदेन की पंक्ति से नीचे के न हों, – पदेन—

(i) रक्षा ;

(ii) विदेश ;

(iii) वित्त ;

(iv) मत्स्य पालन;

(v) विधि कार्य;

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

(vii) पोत परिवहन;

(viii) पर्यटन;

(ix) पर्यावरण;

(x) संचार ;

(xi) अंतरिक्ष;

(xii) राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केन्द्र; और

(xiii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ,—

(i) अंटार्कटिक पर्यावरण ; और

(ii) भू-राजनीति ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुसंगत क्षेत्र में ऐसे अन्य विशेषज्ञ ।

(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेंगे ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(5) सदस्य अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जो विहित की जाए ।

समिति की बैठकें ।

24. समिति ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगी और उसकी बैठकों (जिसके अंतर्गत वहां गणपूर्ति भी है) के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो विहित किए जाएं ।

समिति के कृत्य ।

25. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) प्रचालकों द्वारा और अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अभिनियोजित किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विधियों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की मानीटरी, क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(ख) अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में कोई सलाहकारी, पर्यवेक्षीय या प्रर्वतन क्रियाकलाप करना ;

(ग) संधि, अभिसमय, नयाचार के पक्षकारों और अंटार्कटिक के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अभिनियोजित अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सुसंगत सूचना और रिपोर्टें अभिप्राप्त करना और उनका पुनर्विलोकन करना ;

(घ) अंटार्कटिक में पक्षकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि संधि, अभिसमय, नयाचार के अधीन ऐसे कार्यक्रमों और क्रियाकलापों, जो भारत की बाध्यताओं और भारत में तत्समय प्रवृत्त ऐसी अन्य सुसंगत विधि से संगत हो ;

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(छ) संधि, अभिसमय और नयाचार के अन्य पक्षकारों के साथ, अंटार्कटिक में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में मामला दर मामला आधार पर संधि, फीस और प्रभार्यों पर बातचीत करना ;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य पक्षकारों के साथ सहयोग करना ; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, समिति को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और समिति के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 5

अनुज्ञापत्र का अनुदत्त करना, निलंबन करना और उसका रद्दकरण

अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन ।

27. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार समिति को किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी संलग्न फीस के साथ होगा जो विहित की जाए ।

(3) समिति ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगी ।

(4) समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) जलवायु या मौसम पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव ;

(ख) वायु, हिम, मृदा, भूमि या जल की क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव ;

(ग) वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय, हिमनदीय, ध्वनि या समुद्री पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

(घ) देशज जीवाणु, जीव-जंतु या पादप प्रजातियों अथवा उनकी जीव संख्या के वितरण, प्रचुरता या उत्पादकता में अपहानिकर परिवर्तन ;

(ङ) संकटापन्न प्रजातियों या जीव संख्या को अपहानि या जोखिम में डालना ;

(च) पर्यावरणीय, जैव, भू-वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ऊसर या सौंदर्यपरक महत्व के अथवा आदि युगीन प्रकृति के क्षेत्रों को अपहानि या विपुल जोखिम में डालना ; और

(छ) अंटार्कटिक पर्यावरण और उसके आश्रित तथा सहयुक्त पारितंत्र जो विहित किए जाएं पर ऐसे अन्य महत्वपूर्ण हानिकर प्रभाव ।

(5) समिति, अनुज्ञापत्र जारी करने से पहले आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघात निर्धारण को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, क्रियान्वित करने की अपेक्षा करेगी और अनुज्ञापत्र जारी करेगी यदि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है :

परंतु अंटार्कटिक में क्रियाकलापों से संबंधित अनुज्ञापत्र के लिए कोई आवेदन जिससे पर्यावरण को लघु या अस्थायी समाघात से कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है, प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रारंभ से छह मास पूर्व समिति को किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी क्रियाकलाप की समीक्षा करते समय समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखेगी :

परंतु यह भी कि यदि, परीक्षा के पश्चात्, समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे क्रियाकलाप से पर्यावरण पर लघु या अस्थायी से समाघात, कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है तब वह आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलाप के

प्रारंभ से तीन मास पूर्व, प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन संचालित और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी :

परंतु यह भी कि यदि प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने के पश्चात्, समिति की यह राय है कि क्रियाकलापों का पर्यावरण पर लघु या अस्थायी समाघात से अधिक समाघात होगा तो वह आवेदक से व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति, किसी व्यक्ति को या जलयान या वायुयान को भारतीय अभियान पर इस धारा के अधीन प्राधिकृत करते हुए तब तक अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार नहीं की गई है:

परंतु अपशिष्ट प्रबंधन योजना में ऐसे अपशिष्ट के ब्यौरे सम्मिलित होगे जिनके निपटान के लिए अंटार्कटिक से भारतीय राज्यक्षेत्र या किसी अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लदान किया जाना आशयित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "अपशिष्ट प्रबंधन योजना" से धारा 34 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन योजना अभिप्रेत है;

(ii) "आपात योजना" से धारा 39 में निर्दिष्ट पर्यावरणीय आपात से निपटने के लिए योजना अभिप्रेत है ।

(7) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र जब तक कि वह उससे पहले ही प्रतिसंहृत नहीं कर दिया गया हो, ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट है और उसकी समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए नवीकृत किया जा सकेगा :

परंतु अनुज्ञापत्र की समाप्ति की तारीख से पूर्व तीस दिन के भीतर आवेदन किए जाने पर नवीकृत किया जा सकेगा यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि समय पर आवेदन नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।

कतिपय मामलों में स्वामी या प्रचालक का दायित्व ।

28. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई जलयान या वायुयान अंटार्कटिक में भारतीय अभियान या मछली पकड़ने का भाग है लेकिन जिसका स्वामी या प्रचालक ऐसे अभियान या मछली पकड़ने का भाग नहीं है तब ऐसा स्वामी या प्रचालक भी जो या तो किसी वर्ग अथवा अन्य वर्णन द्वारा पर्याप्त रूप से अनुज्ञापत्र में परिलक्षित है, अनुज्ञापत्र की शर्तों द्वारा आबद्धकर होगा ।

अनुज्ञापत्र का निलंबन या रद्दकरण ।

29. (1) यदि समिति के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अनुज्ञापत्र धारक ने आवेदन में कोई गलत या मिथ्या कथन किया है या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाया है अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या जारी की गई किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया है या अनुज्ञापत्र की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध कोई जांच पूर्ण होने तक, अनुज्ञापत्र को निलंबित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के पश्चात्, समिति किसी अन्य शास्ति जिसका अनुज्ञापत्रधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगी :

परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञापत्र तब तक निलंबित या इस उपधारा के अधीन रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापत्र के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो:

परंतु यह और कि समिति अनुज्ञापत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगी यदि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, विधि और व्यवस्था बनाए रखने या लोकहित के अन्य मामले में तथा किसी अतिरिक्त शास्ति जिसके लिए ऐसा अनुज्ञापत्र धारक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुज्ञापत्र के निलंबन या रद्दकरण का आदेश दे सकेगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञापत्र उपधारा (1) के अधीन निलंबन कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के ठीक पश्चात् सभी क्रियाकलाप जिनके संबंध में ऐसा अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है, को तब तक रोक देगा, जब तक कि निलंबन का आदेश प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है ।

(5) ऐसे अनुज्ञापत्र जिसे निलंबित या रद्द किया गया है, का धारक ऐसे निलंबन या रद्द किए जाने के ठीक पश्चात् समिति को अनुज्ञापत्र को अभ्यर्पित करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञापत्र के निलंबन या रद्द किए जाने का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

अध्याय 6

निरीक्षण

भारत में निरीक्षण ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, रखने वाले किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भारत में निरीक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षक के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक,—

(क) किसी स्थान, जिसके अंतर्गत जलयान, आधान, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला गया, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी है, में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी पदार्थ, उत्पाद या चीज की परीक्षा कर सकेगा;

(ग) किसी पात्र या पैकेज को खोल सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि उसमें कोई संदेहास्पद पदार्थ, उत्पाद या अन्य चीज अंतर्विष्ट है;

(घ) किसी पुस्तक, अभिलेख, आंकड़े या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा और उनकी प्रतियां बना सकेगा या उनमें से उद्धरण ले सकेगा ;

(ङ) चीजों के नमूने ले सकेगा, यदि सुसंगत हो ;

(च) कोई परीक्षण संचालित कर सकेगा या कोई माप ले सकेगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगा जो विहित किए जाएं ।

(3) निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञापत्र के उल्लंघन में लिए गए नमूने अधिहृत कर सकेगा ।

(4) निरीक्षण किए जा रहे स्थान का स्वामी या भारसाधक और निरीक्षण के स्थान पर पाया गया प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता देगा ; और

(ख) ऐसी कोई सूचना प्रदान करेगा जिसकी निरीक्षक अपेक्षा करे ।

अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का निरीक्षण ।

31. (1) समिति, अंटार्कटिक में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करेगी, जिसमें ऐसी संख्या में संप्रेक्षक होंगे जो वह आवश्यक समझे और उनमें से एक को दल के प्रमुख के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) समिति, ऐसी अर्हता और अनुभव जो विहित की जाए, रखने वाले अपने किसी अधिकारी को विश्लेषक पदाभिहित कर सकेगी, जो निरीक्षण दल का भाग होगा ।

(3) विश्लेषक, कोई नमूना या पदार्थ एकत्रित करेगा और उसकी परीक्षा करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे निरीक्षण दल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) अंटार्कटिक में निरीक्षण, यदि आवश्यक समझा जाए, एक या अधिक पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए जा सकेंगे ।

(5) निरीक्षण दल, पक्षकार या किन्हीं पक्षकारों को, जिसके स्टेशन के निरीक्षण करने का वह प्रस्ताव करता है, पूर्व सूचना देकर किसी स्टेशन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(6) निरीक्षण दल, किसी युक्तियुक्त समय पर किसी स्थान में, जिसका उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिक में भारत द्वारा प्रबंध किए गए जलयान, वायुयान, आधान, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला हुआ है, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी हैं, प्रवेश कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे जलयान या वायुयान को लागू नहीं होगी जो भारतीय अभियान का हिस्सा नहीं है ।

(7) निरीक्षण दल संबद्ध पक्षकार को पूर्व सूचना देकर अंटार्कटिक में किसी जलयान या वायुयान पर किसी युक्तियुक्त समय पर चढ़ सकेगा या यात्रा कर सकेगा और ऐसे जलयान या वायुयान अथवा संसूचना प्रणाली का निरीक्षण कर सकेगा ।

(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षण दल, किसी आस्थान, संस्थापन, उपस्कर, प्लेटफार्म जिस पर समुद्र में लंगर डाला हुआ है, पोत-परिवहन आधान या प्रवहण (जलयान या वायुयान से भिन्न) का, जो ऐसे व्यक्ति के

स्वामित्वाधीन है जो न तो भारत का नागरिक है, और न ही किसी भारतीय अभियान का हिस्सा है, निरीक्षण तब तक नहीं करेगा जब तक कि किसी संपत्ति या संस्थापन के निरीक्षण के लिए सम्यक् सूचना उस पक्षकार को जो ऐसी संपत्ति या संस्थापन का स्वामी है नहीं दे दी जाती है ।

(9) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण किए जा रहे स्थान का स्वामी या भारसाधक और प्रत्येक व्यक्ति जो उस स्थान पर पाया जाता है, निरीक्षण दल को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने में सभी युक्तियुक्त सहायता करेगा और कोई सूचना, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रदान करेगा ।

(10) निरीक्षण दल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो विहित किए जाएं ।

बाधा और मिथ्या सूचना ।

32. (1) कोई व्यक्ति निरीक्षक या निरीक्षण दल को भारत या अंटार्कटिक में अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा नहीं डालेगा या उनमें से किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी व्यक्ति को मिथ्या या भ्रामक सूचना, परिणाम या नमूने नहीं देगा ; या मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज फाइल नहीं करेगा ।

अध्याय 7

अपशिष्ट निपटान और अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट का निपटान ।

33. भूमि पर के अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों की ऐसे अपशिष्ट के जनित्रों द्वारा और ऐसे स्थलों के उपयोक्ताओं द्वारा सफाई की जाएगी:

परंतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि किसी संरचना या अपशिष्ट सामग्री के हटाए जाने का परिणाम तब ऐसी निर्मिति या अपशिष्ट सामग्री उसकी विद्यमान अवस्थिति में छोड़ने की तुलना में धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है ।

अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंध योजना का स्थापन ।

34. (1) समिति पर—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों से अंटार्कटिक में अपशिष्ट रिकार्ड करने के लिए ; और

(ख) वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सहयुक्त क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों पर अध्ययन को सुकर बनाने के लिए,

अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अपशिष्ट निम्नलिखित वर्गों में पृथक्कित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मल और घरेलू तरल अपशिष्ट ;

(ख) अन्य तरल अपशिष्ट जैसे चिकित्सीय और रासायनिक अपशिष्ट जिसके अंतर्गत ईंधन और स्नेहक भी हैं ;

(ग) ठोस अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत भस्मित होने वाले जैविक अपशिष्ट भी है ;

(घ) अन्य ठोस अपशिष्ट ;

(ङ) रेडियोधर्मी सामग्री ; और

(च) कोई अन्य अपशिष्ट, जो विहित किया जाए ।

(3) समिति, अपनी ऐसी अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगी, वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करेगी और उसको उद्यतन करेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन, सुविधा, क्षेत्र स्थल, क्षेत्र शिविर, जलयान और वायुयान के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए अपशिष्ट में कमी, भंडारण और निपटान की योजना भी है,—

(क) विद्यमान अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों की सफाई करने के लिए कार्यक्रम ;

(ख) चालू और योजनाबद्ध अपशिष्ट प्रबंध ठहराव ;

(ग) अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए चालू और योजनाबद्ध ठहराव ;

(घ) अन्य उपाय जिनका उद्देश्य अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनीकृत करना है ।

(4) छोटी नौकाएं जो नियत स्थलों या जलयानों के प्रचालन का भाग है, के लिए कोई पृथक सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) जलयानों और वायुयान के लिए विद्यमान प्रबंधन योजनाओं को इस धारा के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार किए जाने को ध्यान में रखा जाएगा ।

(6) समिति, जहां तक व्यवहार्य हो, पिछले ऐसे क्रियाकलापों की अवस्थितियों की एक सूची तैयार करेगी, जिनके अंतर्गत आर-पार गमन पथ, ईंधन डिपो, फील्ड वेस, ध्वस्त वायुयान या कोई अन्य दुर्घटना और ऐसे अन्य क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, भी हैं ।

(7) अपशिष्ट प्रबंध योजनाएं और उनके कार्यान्वयन पर रिपोर्टें, संधि के अन्य पक्षकारों के साथ सूचना के वार्षिक विनिमय में सम्मिलित होगी ।

(8) समिति, प्रत्येक स्टेशन, सुविधा और कार्यस्थल के लिए एक अपशिष्ट प्रबंध अधिकारी नियुक्त या पदाभिहित करेगी जो अपशिष्ट में कमी और निपटान की योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करेगा और उनके सतत् विकास के लिए प्रस्ताव करेगा ।

अंटार्कटिक से अपशिष्ट का हटाया जाना ।

35. (1) अंटार्कटिक में उत्पन्न निम्नलिखित अपशिष्ट वहां से ऐसे अपशिष्टों के जनित्रों द्वारा हटाए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अर्थ के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थ ; 1962 का 33

(ख) सभी प्रकार की बैटरियां या उनके घटक ;

(ग) ईंधन, तरल और ठोस दोनों ;

(घ) ऐसे अपशिष्ट, जिनमें भारी धातुओं का अपहानिकर स्तर या अत्यंत विषैले अथवा अपहानिकर दृढ सम्मिश्रण अंतर्विष्ट है;

(ङ) पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिकेन, पॉलीस्टेराइन झाग, रबड, स्नेहक तेल, उपचारित काष्ठ और ऐसे अन्य उत्पाद, जिनमें ऐसे योजक अंतर्विष्ट है जो यदि भस्मित हों तो अपहानिकर उत्सर्जन जनित करेंगे ;

(च) सभी अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट;

(छ) जो सैन्यतंत्र प्रयोजनों के लिए अपेक्षित ईंधन ड्रम से ईंधन ड्रम भिन्न है;

(ज) अन्य ठोस, गैर-दहनशील अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत कांच और धातु की कतरन सम्मिलित है परंतु यह उन तक निर्बंधित नहीं है ;

(झ) आयतित जीवजंतुओं की शवों के अवशेष ;

(ञ) सूक्ष्मजीवों और पादप रोगजनकों का प्रयोगशाला संबर्धन ;

(ट) पुर:स्थापित पक्षी उत्पाद ;

(ठ) भस्मन की राख और उत्पाद ;

(ड) अप्रयोज्य मशीनरी और उपस्कर, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक सामान भी है ; और

(ढ) ऐसे अन्य अपशिष्ट, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध अपशिष्ट को लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) उन्हें जीवाणु विहीन बनाए जाने के लिए भस्मित किया जाता है, भाप विसंक्रामित किया जाता है या अन्यथा उपचारित किया जाता है ।

(ख) ऐसे अपशिष्ट को, उन्हें उनकी विद्यमान अवस्थितियों में छोड़ देने की बजाए धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिक प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है ।

(3) अंटार्कटिक से घरेलू अपशिष्टों और अन्य तरल अपशिष्टों को हटाने से पहले उपचारित किया जाएगा और उनका हिमरहित भूमि क्षेत्रों, समुद्री हिम, हिम शेल्फों या नितल हिम की चादर का निपटान किया जाएगा और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झील में निस्सारित नहीं किया जाएगा :

परंतु निस्सारी के लिए मानक वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध हिम शेल्फों या भूमिगत हिम की चादरों पर अवस्थित स्टेशन द्वारा जनित पदार्थों को लागू नहीं होंगे परंतु ऐसे अपशिष्ट का निपटान उपचार के पश्चात् गहरे हिम गर्त में किया जाता है जो एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है और ऐसे गर्त, ज्ञात हिम प्रवाह रेखाओं जो हिमरहित क्षेत्रों में या उच्च अपक्षरण क्षेत्रों में समाप्त होती हैं पर अवस्थित नहीं हो ।

(5) इस धारा के अधीन अपशिष्ट का समुद्र में निपटान, धारा 12 के अधीन इस संबंध में जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

(6) क्षेत्र शिविरों में जनित अपशिष्ट, निपटान के लिए सहायक स्टेशनों या जलयानों पर ले जाया जाएगा ।

दाह्य अपशिष्ट का निपटान ।

36. (1) दाह्य अपशिष्ट, जो ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा नहीं हटाए जाते हैं वे अपहानिकर उत्सर्जन से बचने के लिए अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक भस्मक में जलाए जाएंगे और खुले में नहीं जलाए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपशिष्ट के भस्मन और अन्य उपस्कर तथा यानों से उत्सर्जन के मानक ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अपशिष्ट का भंडारण ।

37. (1) अंटार्कटिक से हटाए जाने वाले या ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा अन्यथा निपटान किया गया संपूर्ण अपशिष्ट ऐसे ढंग से पृथक, निरुद्ध, परिबद्ध, और भंडारित किया जाएगा जिससे उनका पर्यावरण में छितराव रोका जा सके ।

(2) परिसंकटमय अपशिष्ट के रखे जाने या भंडारण के लिए आधान और टंकी प्रणाली ऐसी होगी, जो—

(क) अच्छी और गैर-रिसनीय अवस्था में हो ;

(ख) ऐसी सामग्री से बनी हुई या समनुकूल हो जो भंडारित किए जाने वाले अपशिष्ट के साथ प्रतिक्रिया न करे और अन्यथा उससे संगत हो, जिससे ऐसे अपशिष्ट को अन्तर्विष्ट करने वाले आधानों की क्षमता का ह्रास न हो ;

(ग) किसी ऐसी रीति में भंडारित होगा जो निरीक्षण और आपात जवाब हेतु पहुँच अनुज्ञात करता है ; और

(घ) किसी रिसाव और उसके क्षय की पहचान करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा ।

अध्याय 8

समुद्री प्रदूषण के निवारण और आपात पर्यावरण के लिए दायित्व

समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित करना ।

38. (1) समिति, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किए गए किसी क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों या संधि या प्रोटोकाल या ऐसी अन्य अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं, जो विहित की जाएं, का अनुपालन भी है, की अनुपालना सुनिश्चित करेगा ।

(2) अनुज्ञापत्र धारक, संपूर्ण अपशिष्ट और मल, जिसके अंतर्गत क्रियाकलापों के भागरूप में जलयानों के प्रचालन द्वारा कारित समुद्री पर्यावरण में सभी प्रवेशन और निस्सारण भी हैं, के अभिलेख को बनाए रखेगा और उक्त अभिलेख, समिति और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, जब कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत किए जाएंगे । 1958 का 44

पर्यावरणीय आपात की दशा में प्रचालक के कर्तव्य और दायित्व ।

39. (1) यदि, अंटार्कटिक और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी क्रियाकलाप से कोई पर्यावरणीय आपात उत्पन्न होता है, तो प्रचालक, अविलंब, प्रभावी जवाबी कार्रवाई करेगा और समिति तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, ऐसे पर्यावरणीय आपात के बारे में सूचित करेगा और तत्पश्चात् समिति इसे संधि के पक्षकारों को पारेषित करेगा । 1958 का 44

(2) यदि प्रचालक द्वारा, उपधारा (1) के अधीन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है और पर्यावरणीय आपात की प्रकृति ऐसी है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो पक्षकार, जहां जलयान या वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, वहां प्रचालक की ओर से ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, और प्रचालक, पक्षकार या पक्षकारों द्वारा की गई ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए, ऐसे खर्च, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) यदि प्रचालक या किसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रचालक, ऐसी शास्ति, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यावरणीय आपात'' पद से कोई ऐसी अपूर्वकल्पित या आकस्मिक घटना अभिप्रेत है, जिसका परिणाम अंटार्कटिक पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण और हानिकर समाघात है या होने की सन्निकट आशंका है ।

प्रचालक की कतिपय मामलों में दायित्व से छूट ।

40. कोई प्रचालक धारा 39 के अधीन किसी पर्यावरणीय आपात के लिए दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा आपात, निम्नलिखित द्वारा कारित होता है,—

(क) ऐसे किसी कार्य के करने या लोप से, जो मानव जीवन की संरक्षा के लिए आवश्यक था ;

(ख) कोई असाधारण प्रकृति की प्राकृतिक आपदा जिसकी युक्तियुक्त रूप से पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती थी और प्रचालक ने पर्यावरणीय आपात के जोखिम और संभावित हानिकर प्रभावों और जोखिम को कम करने के सभी युक्तियुक्त उपाय किए थे ;

(ग) आतंकवाद के किसी कार्य ; और

(घ) युद्ध कार्य जिसका उद्देश्य प्रचालक के क्रियाकलाप है :

परंतु प्रचालक, अपने कार्य या लोप का स्पष्टीकरण, ऐसे आपात की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए, समिति को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

41. कोई व्यक्ति, जो—

(क) धारा 4 या धारा 5 या धारा 8 या धारा 12 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 29 की उपधारा (4) या धारा 36 या धारा 37 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ग) धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन करता है,—

(i) अंटार्कटिक में किसी नाभिकीय विस्फोट के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ; और

(ii) अंटार्कटिक में किसी रेडियोएक्टिव अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ;

(घ) धारा 11 या धारा 16 या धारा 33 या धारा 35 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पंद्रह लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचहत्तर लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनो से, दंडनीय होगा ;

(ङ) धारा 14 या धारा 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

जलयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

42. जहां, इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई जलयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे जलयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 13 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

वायुयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

43. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई वायुयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे वायुयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 19 या धारा 21 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा ।

शास्ति, जहां अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

44. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके ऐसे किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विशिष्टतया कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

45. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत उस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी हैं ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

निधि का गठन ।

46. (1) अंटार्कटिक निधि के नाम से ज्ञात एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) इस अधिनियम के अधीन, अंटार्कटिक से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने के लिए प्राप्त की गई सभी फीस और संगृहीत प्रभार ;

(ख) ऐसे कोई अनुदान या ऋण जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ; और

(ग) कोई अनुदान या ऋण जो किसी संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ।

(2) निधि का उपयोजन अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाएगा ।

(3) समिति, निधि को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, बनाए रखेगी और प्रशासित करेगी ।

कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु प्रतिभूति ।

47. (1) समिति, ऐसे आवेदकों से प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसी रकम के निक्षेप की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रतिभूति रकम, समिति द्वारा, अनुज्ञापत्र की शर्तों से आबद्धकर अनुज्ञापत्र धारक या किन्हीं व्यक्तियों या जलयानों द्वारा कारित किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात का निवारण करने और उसका उपशमन या उपचार करने में सरकार द्वारा उपगत युक्तियुक्त खर्च के लिए सरकार को, पूर्ण रूप से या आंशिक प्रतिपूर्ति करने हेतु उपयोजित की जा सकेगी ।

पदाभिहित न्यायालय और अधिकारिता ।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए, संबद्ध उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के मुख्य

न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी एक या अधिक सत्र न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और ऐसे न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) पदाभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता होगी ।

(3) कोई पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत पर लेगा अन्यथा नहीं ।

(4) पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायत के अवलोकन पर, अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय को विचारण के लिए भेजे बिना उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकारिता प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए अंटार्कटिक में किसी व्यक्ति या प्रचालक द्वारा इस अधिनियम के अधीन कारित कोई अपराध भारत में किया गया अपराध समझा जाएगा । 1974 का 2

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, पदाभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया जाए, से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का भी विचारण कर सकेगा । 1974 का 2

अपराधों की समिति को रिपोर्ट ।

49. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, वहां समिति द्वारा पदाभिहित अधिकारी या अंटार्कटिक स्टेशन का प्रमुख या कोई प्रचालक ऐसे अपराध के बारे में समिति को तुरंत रिपोर्ट करेगा और उसके पश्चात् समिति उसे केंद्रीय सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पारेषित करेगी ।

अन्वेषण, आदि की शक्ति प्रदान करना ।

50. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी को उक्त संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण तथा अभियोजन की शक्ति प्रदान कर सकेगी । 1974 का 2

(2) इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करते हुए पुलिस अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।

पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

51. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और पदाभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा । 1974 का 2

लेखा और निधि की संपरीक्षा ।

52. (1) समिति, उचित लेखा और निधि के संबंध में अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ-हानि लेखा और तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए ।

(2) समिति के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विवरणियां और रिपोर्ट ।

53. (1) समिति, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, अंटार्कटिक में पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विशिष्टियों के साथ ऐसी विवरणियां और विवरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगी ।

(2) समिति, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सही तथा पूर्ण ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

54. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या समिति या इसके सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या केंद्रीय सरकार या समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 11 के अधीन अंटार्कटिक विशिष्टतया संरक्षित क्षेत्र और समुद्री संरक्षित क्षेत्र ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य प्रजातियां ;

(ग) ऐसे पदार्थ या उत्पाद, जो धारा 19 के अधीन अंटार्कटिक में नहीं ले जाएंगे ;

(घ) धारा 20 के अधीन ऐतिहासिक स्थल या इमारत और उसके भाग ;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों के भत्ते या फीस और धारा (5) के अधीन सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 24 के अधीन ऐसे अंतराल जिन पर समिति बैठक करेगी, समिति की बैठकों में कारबार करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम और उसकी गणपूर्ति ;

(छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां और फीस;

(ज) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 27 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन अंटार्कटिक पर्यावरण और उसके आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्रों पर अन्य महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव ;

(ञ) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा संचालित की जाने वाली पर्यावरण समाघात मूल्यांकन करने की रीति ;

(ट) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना तैयार करने की रीति ;

(ठ) धारा 27 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकेगा और इसके नवीनीकरण हेतु संदत्त की जाने वाली फीस;

(ड) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले किसी अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा इस धारा की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन निरीक्षक के अन्य कृत्य;

(ढ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने की रीति, उपधारा (2) के अधीन किसी विश्लेषक की अर्हताएं और अनुभव तथा उपधारा (10) के अधीन निरीक्षण दल की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ण) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य अपशिष्ट और ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनके संबंध में इस धारा की उपधारा (6) के अधीन अवस्थानों की सूची तैयार की जा सकेगी ;

(त) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन ऐसे अन्य अपशिष्ट और उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निस्सारण के मानक ;

(थ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन ज्वलनशील अपशिष्टों, उपस्करों और यानों के लिए मानक ;

(द) ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि या प्रोटोकोल या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जिनका अनुज्ञापत्र धारक धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन अनुपालन करेगा ;

(ध) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जवाबी कार्रवाई का खर्च और इस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रचालक द्वारा संदत्त शास्ति की रकम ;

(न) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन निधि को बनाए रखने और प्रशासित करने की रीति ;

(प) आवेदकों का ऐसा प्रवर्ग जो धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन समिति में प्रतिभूति का निक्षेप कर सकेगा और ऐसे निक्षेप की रीति तथा प्रतिभूति की रकम ;

(फ) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले वार्षिक विवरण के लेखे और तुलनपत्र का प्ररूप ;

(ब) वह समय जिसके भीतर प्ररूप और रीति जिसमें समिति धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को, विवरणियां और विवरण प्रस्तुत

करेगी तथा इस धारा की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;

(भ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

56. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

संसद् के समक्ष नियमों, अधिसूचनाओं या किए गए या जारी आदेशों का रखा जाना ।

57. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक अधिसूचना या जारी किए गए आदेश, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, अधिसूचना या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु, यथास्थिति, नियम, अधिसूचना या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———————

समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022

(2023 का अधिनियम संख्यांक 3)

[31 जनवरी, 2023]

खुले समुद्र में जलदस्युता का दमन करने से संबंधित समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को कार्यान्वित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत, 10 दिसम्बर, 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का एक पक्षकार है और 29 जून, 1995 को उसका अनुसमर्थन किया है ;

और पूर्वोक्त अभिसमय में अन्य बातों सहित यह कथन है कि सभी राज्य खुले समुद्र पर जलदस्युता का दमन करने में संपूर्ण संभव विस्तार तक सहयोग करेंगे ;

और भारत उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन करने पर जलदस्युता से संबंधित पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझता है ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) इस अधिनियम के उपबंध खुले समुद्र को लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकृत कार्मिक" से भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों या सेना वायुयान के अधिकारी और नाविक या भारतीय तटरक्षक के पोतों या वायुयानों के अधिकारी और अभ्यवेशित व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी पोत या वायुयान जिन्हें सरकारी सेवा के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है और पहचाना जा सकता है, के अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ; 1974 का 2

(ग) "अभिसमय" से समुद्री विधि, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अभिप्रेत है ;

(घ) "पदाभिहित न्यायालय" से धारा 8 के अधीन इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "खुले समुद्र" में अनन्य आर्थिक क्षेत्र और किसी अन्य राज्य की अधिकारिता से परे सभी सागरखंड सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" से किसी अन्य राज्य का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "अन्य राज्य" से भारत से भिन्न कोई देश अभिप्रेत है ;

(ज) "जलदस्युता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यक्ति या किसी प्राइवेट पोत के कर्मी दल या किसी यात्री द्वारा प्राइवेट उद्देश्यों के लिए हिंसा का या निरोध का अवैध कार्य या कोई भी लूटपाट का कार्य, जो खुले समुद्र में किसी अन्य पोत या ऐसे पोत पर किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध है ;

(ii) किसी पोत के प्रचालन में ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर, जो उसे जलदस्यु पोत बनाते हैं, में स्वेच्छया भाग लेने का कोई कार्य ;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में वर्णित किसी कार्य को उद्दिप्त करने या साशय सुकर बनाने का कोई भी कार्य ; या

(iv) कोई भी ऐसा कार्य, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसके अंतर्गत रुढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि भी है, के अधीन जलदस्युता पूर्ण समझा जाता है ;

(झ) "जलदस्यु पोत" से ऐसा पोत अभिप्रेत है, जो,—

(i) अधिष्ठायी नियंत्रण वाले व्यक्तियों द्वारा खंड (ज) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई भी कार्य करने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाना आशयित है ; या

(ii) जब तक उस कार्य के दोषी व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन रहता है, इस खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट ऐसे किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त किया गया है ;

(ञ) "पोत" से अभिप्रेत है—

(i) पोत या प्रत्येक किस्म का जलयान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत गैर-विस्थापन यान सम्मिलित है ;

(ii) समुद्री यान और अन्य वायुयान,

जिनका जल पर परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता हैं या जो उपयोग किए जाने के योग्य हैं या समुद्र में किन्हीं प्रचालनों में लगे हुए हैं ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वायुयान" का वही अर्थ होगा, जो उसका वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ठ) में है ; 1934 का 22

(ट) "राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इन विधियों के आधार पर किसी भी देश के किसी राष्ट्रिक के रूप में नहीं समझा जाता है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अभिसमय, भारतीय दंड संहिता या संहिता या राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः ऐसे अभिसमय, संहिताओं या अधिनियम में हैं । 1860 का 45 1976 का 80

जलदस्युता के लिए दंड ।

3. जो कोई जलदस्युता का कोई कार्य करता है,—

(i) कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ; या

(ii) मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने जलदस्युता का कार्य करने या उसका प्रयत्न करने में मृत्यु कारित की है,

और इसके अतिरिक्त वह अपराध के कारित किए जाने में अंतर्वलित संपत्ति को वापस करने या उसका समपहरण किए जाने के अध्यधीन भी होगा ।

जलदस्युता करने के प्रयत्न, आदि के लिए दंड ।

4. जो कोई, जलदस्युता का अपराध करने का कोई भी प्रयत्न करता है या ऐसे अपराध के किए जाने के लिए सहायता या दुष्प्रेरण या षडयंत्र या उपाप्त करता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

जलदस्युता के किसी कार्य में संगठित होने, दूसरों को निदेश देने या भाग लेने के लिए दंड ।

5. जो कोई, जलदस्युता के किसी कार्य को करने के लिए संगठित होता है या दूसरों को निदेश देता है या भाग लेता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

गिरफ्तारी, अन्वेषण, आदि की शक्ति का प्रदत्त किया जाना ।

6. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, मामले का अन्वेषण करने और किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को अपने किसी अधिकारी को या किसी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी ।

व्यक्तियों की गिरफ्तारी और पोत तथा संपत्ति का अभिग्रहण ।

7. (1) प्राधिकृत कार्मिक, साधारणतया या संदेह होने पर कि कोई पोत खुले समुद्र में जलदस्युता में लगा हुआ है, ऐसे पोत पर जा सकेगा और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगा या जलदस्यु पोत और उसके फलक पर की संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत पोत या संपत्ति का केवल न्यायालय के आदेश द्वारा ही निपटान किया जाएगा ।

पदाभिहित न्यायालय ।

8. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा—

(i) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य में एक या अधिक सेशन न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ; और

(ii) ऐसे प्रत्येक न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परंतु ऐसी क्षेत्रीय अधिकारिता का अवधारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संदिग्ध या अभियुक्त व्यक्ति के भारत में किसी पत्तन या अवरोहण स्थल के आधार पर किया जाएगा ।

पदाभिहित न्यायालय की अधिकारिता ।

9. पदाभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता होगी, जहां ऐसा अपराध—

(i) ऐसे व्यक्ति की राष्ट्रिकता या नागरिकता पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो प्राधिकृत कार्मिक या पुलिस द्वारा पकड़ा गया है या उनकी अभिरक्षा में है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निवासी कोई विदेशी राष्ट्रिक है या कोई राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति है :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी युद्धपोत को या सहायक पोत को या ऐसे पोत को, जो सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्येत्तर सेवा में लगा हुआ पोत है और जो जलदस्युता के अपराध के समय सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण में है, लागू नहीं होगी ।

पदाभिहित न्यायालय द्वारा अपराधों का विचारण ।

10. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण धारा 8 के खंड (i) के अधीन इस रूप में अधिसूचित पदाभिहित न्यायालय द्वारा किया जाएगा ;

(ख) जब कोई अभियुक्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने का संदेह है, संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का निरोध, ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझे, कुल

मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है और कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट—

(i) उस समय जब ऐसा व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन उसके पास भेजा जाता है ; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय,

यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध आवश्यक नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले पदाभिहित न्यायालय को भेजने का आदेश देगा ।

(2) पदाभिहित न्यायालय, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उसके समक्ष पेश किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो संहिता की धारा 167 के अधीन ऐसे मामले में, जो उस धारा के अधीन उसको भेजा गया है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट प्रयोग कर सकता है ;

(3) पदाभिहित न्यायालय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद का परिशीलन करके अभियुक्त को विचारण के लिए उसके पास भेजे बिना अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन के अपराध से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा, जिससे अभियुक्त को संहिता के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके ।

(5) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदाभिहित न्यायालय यथासाध्य दिन प्रतिदिन आधार पर विचारण करेगा ।

उपधारणा ।

11. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का अभियुक्त है और यदि,—

(क) अभियुक्त के कब्जे से आयुध, गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य उपस्कर बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि ऐसे आयुध, गोला बारूद, विस्फोटक या उसी प्रकार के अन्य उपस्कर अपराध किए जाने में प्रयुक्त किए गए थे या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित थे ;

(ख) अपराध के किए जाने के संबंध में पोत के कर्मीदल या यात्रियों पर किए गए बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी या अभित्रास के किसी अन्य रूप का साक्ष्य है ; या

(ग) किसी पोत के कर्मीदल, यात्रियों या स्थोरा के विरुद्ध बम, आयुध, अग्न्यायुध, विस्फोटक का प्रयोग करने की धमकी या किसी अन्य रूप में हिंसा करने का साक्ष्य है,

तो पदाभिहित न्यायालय, जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।

जमानत के बारे में उपबंध ।

12. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, जब तक जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा तब तक—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत देने के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

13. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संहिता के उपबंध किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति उक्त संहिता के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

प्रत्यर्पण के बारे में उपबंध ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित किया जाना और भारत द्वारा कोई अन्य राज्य के साथ की गई सभी प्रत्यर्पण संधियों के लिए उपबंधित किया जाना समझा जाएगा और जिसका विस्तार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारत पर है और उस पर आबद्धकर है ।

(2) किसी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अपराध पारस्परिकता के आधार पर भारत और अन्य राज्य के बीच प्रत्यर्पणीय अपराध होंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के उपबंध को लागू होने के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई भी पोत ऐसे किसी भी समय, जब पोत प्रचालन कर रहा हो, को उस अन्य राज्य की अधिकारिता के भीतर समझा जाएगा, चाहे वह थोड़े समय के लिए किसी अन्य राज्य की अधिकारिता के भी भीतर हो या नहीं । 1962 का 34

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई प्राधिकृत कार्मिक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 10)

[3 अगस्त, 2023]

जैव विविधता अधिनियम, 2002
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

उद्देशिका का संशोधन ।

2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की उद्देशिका में,— 2003 का 18

(क) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) "और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सतत् उपयोग" से प्रारंभ होने वाले तथा "उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए भी उपबंध करना आवश्यक समझा गया है;" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और उनके उपयोजन से उद्भूत फायदों के ऋज् और साम्यापूर्ण साझा करने हेतु जैव विविधता पर कन्वेंशन, जो 29 अक्तूबर, 2010 को नागोया, जापान में अंगीकृत किया गया था, का एक पक्षकार है;

और जैव संसाधनों के संरक्षण, सतत् उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों के ऋजु और साम्यापूर्ण साझा करने और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए भी उपबंध करना आवश्यक समझा गया है ।"।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "पहुंच" से अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण या वाणिज्य उपयोग के प्रयोजन के लिए, भारत में उद्भूत या उससे प्राप्त होने वाले कोई जैव संसाधन या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान का संग्रहण, उपाप्ति या रखना अभिप्रेत है ;

(कक) "फायदे के दावेदार" से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पादों के संरक्षक, उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान (केवल भारतीयों के लिए संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान का अपवर्जन) और ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, नवाचारों और व्यवहारों से संबंधित सूचना के सृजनकर्ता या धारक अभिप्रेत हैं ;';

(ii) खंड (ख) के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "जैव संसाधनों" के अन्तर्गत मानवता के लिए वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य के साथ, पौधे, जीव-जंतु, सूक्ष्मजीव या उनके आनुवंशिक पदार्थ और व्युत्पन्नों के भाग (मूल्य वर्धित उत्पादों को छोड़कर) सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है ;';

(iv) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान" से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों से व्युत्पन्न ज्ञान अभिप्रेत है ;'; 1940 का 23

(v) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) "व्युत्पन्नी" से प्राकृतिक रूप से होने वाले जैव रसायन यौगिक या जैव संसाधनों के चयापचय अभिप्रेत है यद्यपि इसमें आनुवंशिकता कार्यात्मक इकाइयां अंतर्विष्ट नहीं है ;';

(vi) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(छक) "लोक किस्म" से पौधों की एक खेती की गई किस्म जो किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और आदान-प्रदान की जाती थी, अभिप्रेत है ;

(छख) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा संदर्भित भारत राज्यक्षेत्र, इसका राज्यक्षेत्र जल, समुद्र तल और ऐसे जल में अंतर्निहित उप मिट्टी, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ऐसे अन्य समुद्री क्षेत्र जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में संदर्भित है और इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर आकाशीक्षेत्र, अभिप्रेत है ;

1976 का 80

(छग) "भूमि प्रजाति" से पुरातक कृषिजोपजाति जो प्राचीन किसानों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई गई थी, अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(झक) "सदस्य-सचिव" से, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड, का पूर्णकालिक सचिव, अभिप्रेत है;'।

अध्याय 2 के शीर्ष का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में "विविधता" शब्द के स्थान पर "संसाधनों" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (27) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी द्वारा नियंत्रित है ।"।

2013 का 10

धारा 4 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसंधान के परिणामों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किया जाना ।

"4. कोई व्यक्ति या अस्तित्व, संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान के सिवाय जो केवल भारतीयों के लिए है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या कारपोरेट निकाय को, धनीय प्रतिफल के लिए अन्यथा, भारत में होने वाले या भारत से प्राप्त होने वाले या अभिगम वाले किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान पर अनुसंधान के परिणाम को साझा या अन्तरित नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि अनुसंधान कागजपत्रों का प्रकाशन या वित्तीय लाभों को अन्तर्वलित करने वाली किसी विचार गोष्ठी या कार्यशाला में ज्ञान का प्रसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है :

परन्तु यह और कि जहां अनुसंधान के परिणामों को और अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, तब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अनुसंधान के परिणामों को भारत में या भारत के बाहर वाणिज्यिक उपयोग के लिए या किन्हीं बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेना अपेक्षित होगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "धारा 3 और धारा 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय उपबंधों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 3 के उपबंध संस्थाओं के बीच, जिसके अन्तर्गत भारत की सरकार प्रायोजित संस्थाएं, तथा अन्य देशों में ऐसी संस्थाएं भी है, जैव संसाधन या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान के अन्तरण या विनिमय को अन्तर्वलित करने वाली सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाओं को लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाएं उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) किसी जैव संसाधन पर किसी अनुसंधान या जानकारी पर आधारित किसी खोज के लिए जिसका भारत से अभिगमन है, भारत में या भारत के बाहर, किसी भी नाम से ज्ञात, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए जिसके अन्तर्गत भारत के बाहर संग्रह में जमा बौद्धिक संपदा या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी है, आवेदन करने वाला धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति या अस्तित्व, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान के पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(1क) किसी जैव संसाधन पर किसी अनुसंधान या जानकारी पर आधारित किसी खोज के लिए जिसका भारत से अभिगमन है, भारत में या भारत के बाहर, किसी भी नाम से ज्ञात, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए जिसके अन्तर्गत भारत के बाहर संग्रह में जमा बौद्धिक संपदा या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी है, आवेदन करने वाला धारा 7 के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान के पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में रजिस्टर करेगा ।

(1ख) किसी जैव संसाधन पर किसी अनुसंधान या जानकारी पर आधारित किसी खोज के लिए जिसका भारत से अभिगमन है, भारत में या भारत के बाहर, किसी भी नाम से ज्ञात, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए जिसके अन्तर्गत भारत के बाहर संग्रह में जमा बौद्धिक संपदा या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी है, आवेदन करने वाला धारा 7 के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति, वाणिज्यीकरण के समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) में "संसद् द्वारा अधिनियमित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय प्रयोजनों के लिए जैव संसाधन तक पहुंच के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना ।

"7. (1) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्ति के सिवाय, कोई व्यक्ति संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना दिए बिना वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी जैव संसाधन और उसके सहबद्ध ज्ञान तक अभिगमन नहीं करेगा किन्तु ऐसा अभिगमन धारा 23 के खंड (ख) और धारा 24 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन होगा :

परन्तु इस धारा के उपबंध संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान, औषधि पौधों की खेती और उसके उत्पाद, क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति और समुदाय को लागू नहीं होगे जिसके अन्तर्गत केवल जैव विविधता को उगाने वाले और कृषक और वैद्य, हकीम और रजिस्ट्रीकृत आयुष व्यवसायी भी हैं, जो देशी औषधियों का व्यवसाय करते हैं, जिसमें वृति के रूप मे आहार और जीविका के लिए औषधि के भारतीय तंत्र सहित सम्मिलित है ।

(2) कृषित औषधि पौधों के मामले में, उपधारा (1) के अधीन छूट केवल तभी उपलब्ध होगी यदि उत्पत्ति का प्रमाणपत्र ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जैव विविधता प्रबंध समिति से प्राप्त किया गया हो ।

(3) जैव विविधता प्रबंध समिति, ऐसी रीति में रखी गई ऐसी बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करेगी ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चेन्नई में होगा और केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।" ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में और लाभों के ऋज् और साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति होगा ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले छह पदेन सदस्य निम्नलिखित से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे,—

(i) कृषि, अनुसंधान और शिक्षा ;

(ii) कृषि और किसान कल्याण ;

(iii) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी ;

(iv) जैव प्रौद्यौगिकी ;

(v) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ;

(vi) वन और वन्य जीव ;

(vii) भारतीय वन्य अनुसंधान और शिक्षा परिषद् ;

(viii) पृथ्वी विज्ञान ;

(ix) पंचायती राज ;

(x) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ;

(xi) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ;

(xii) जनजातीय कार्य ;

(ग) चक्रानुक्रम आधार पर राज्य जैव विविधता बोर्ड से चार प्रतिनिधि ;";

(ii) खंड (घ) में,—

(क) "विशेषज्ञों" शब्द के स्थान पर "विशेषज्ञों, जिसमें विधिक विशेषज्ञ शामिल हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "साम्यापूर्ण" शब्दों के स्थान पर "ऋजु और साम्यपूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) कोई सदस्य-सचिव, जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों में अनुभव रखता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में "अध्यक्ष और सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का" शब्दों के पश्चात् "और सदस्य-सचिव का" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 10क का अंत:स्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सदस्य-सचिव ।

"10क. (1) सदस्य-सचिव राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य समन्वय अधिकारी और संयोजक होगा और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण की सहायता करेगा ।

(2) सदस्य-सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन और अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी संख्या में समितियां भी गठित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 में,— धारा 15 का संशोधन ।

(i) "अध्यक्ष के या इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर" शब्दों के पश्चात्, "अध्यक्ष या सदस्य-सचिव के या इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ii) "अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "सदस्य-सचिव या अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे ।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 में "किसी सदस्य" शब्दों के पश्चात्, "या सदस्य-सचिव" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । धारा 16 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, जैव संसाधनों और उसके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान के लिए और लाभ को ऋजु और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बना सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को अनुमोदनों को अनुदत्त या अस्वीकृत करके विनियमित करे ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, "साम्यापूर्ण" शब्द के स्थान पर, "ऋजु और साम्यापूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "विरासत स्थल" शब्दों के स्थान पर, "जैव विविधता विरासत स्थल" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित किसी विषय पर राज्य जैव विविधता बोर्डों को सलाह दे सकेगा ;" ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की ओर से, किसी जैव संसाधन पर भारत से बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रदान करने के विरुद्ध, जो भारत में है या लाया गया है, आवश्यक उपाय कर सकेगा, जिसमें भारत से बाहर संग्रह में जमा जैव संसाधन या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान अभिगम भी सम्मिलित है ।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में,— धारा 19 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट चाहे भारत में या भारत से

बाहर पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकार के किसी अन्य रूप के लिए आवेदन करने का आशय रखता है, तो वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस की संदाय पर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2क) धारा 6 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने के समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में रजिस्टर करेगा, और धारा 6 की उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति वाणिज्यीकरण के समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।" ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस धारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय, ऐसी रीति में फायदे के हिस्से बांटना अवधारित करेगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के उद्देश्यों या ऐसे क्रियाकलाप से होने वाले लाभों के ऋजु या साम्यापूर्ण हिस्से बांटने के लिए अहितकर या विरुद्ध है, तो वह लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, ऐसे क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अस्वीकृति के लिए कोई ऐसा आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन प्रत्येक दिए गए अनुमोदन या अस्वीकृति के ब्यौरे पब्लिक डोमेन में रखेगा ।"।

धारा 20 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "जैव संसाधन या ज्ञान" शब्दों के स्थान पर "अनुसंधान के परिणामों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) कोई व्यक्ति या अस्तित्व जो जैव संसाधनों पर किसी अनुसंधान के परिणाम को, धनीय प्रतिफल या अन्यथा के लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को अंतरण करने का आशय रखता है, जो भारत में पाए जाते हैं या भारत से लाए गए हैं, जिसके अन्तर्गत भारत के बाहर संग्रह में जमा जैव संसाधन या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी है, वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, आवेदन करेगा ।";

(iii) उपधारा (2) में "किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को" शब्दों के स्थान पर "अनुसंधान के परिणामों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ऐसी जांचें करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे आदेश द्वारा, अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार या लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से फायदे में हिस्सा बंटाना या अन्यथा भी है आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु अस्वीकृत करने का ऐसा कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुदत्त या अस्वीकृत प्रत्येक अनुमोदन के ब्यौरे पब्लिक डोमेन में रखेगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में "साम्यापूर्ण", शब्दों के स्थान पर, "ऋज् और साम्यापूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किए गए अनुमोदन के लिए फायदे से हिस्सा बंटाना अवधारित करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबंधन और शर्त जिनके अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, उपलब्ध जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों और उनसे संबंधित उपयोजनों तथा ज्ञान का ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व की गई जैव विविधता प्रबंधन समिति के बीच पारस्परिक रूप से करार किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार फायदे में ऋज् और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाना सुनिश्चित करती है ।";

(ग) उपधारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां जैव संसाधन या सहबद्ध ज्ञान किसी व्यष्टिक या व्यष्टिकों के समूह या संगठन से अभिगम के परिणामस्वरूप हुआ था, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबंधनों के अनुसार और ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे फायदे का दावा करने वाले व्यक्ति या संगठन को सीधे संदाय किया जाएगा ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) उपधारा (2) में, परंतुक में "व्यक्तियों के समूह" शब्दों के पश्चात्, "या निकाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में, खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) अध्यक्ष, जैव विविधता संरक्षण, उसके सतत् उपयोग तथा फायदों और साम्यापूर्ण ऋज् में हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) सात से अनधिक पदेन सदस्य जो राज्य सरकार के संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पंचायती राज और अनुसूचित जनजाति मामले से संबंधित विभाग भी हैं ;

(ग) पांच से अनधिक अशासकीय सदस्य जो जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में ऋज् और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों के विशेष ज्ञान, विशेषज्ञता और कार्य अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों में से, जिनके अन्तर्गत विधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक भी हैं, नियुक्त किए जाएंगे ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

21 मूल अधिनियम की धारा 23 में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों या मार्गदर्शी सिद्धान्तों, यदि कोई हो, के अनुरूप जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों या उससे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उद्भूत ऋजु और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) अनुमोदन को मंजूर या निरस्त करके धारा 7 में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को विनियमित करना ;

(खक) अनुमोदन अनुदत्त करते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन यथाउपबंधित फायदों के ऋजु और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाना अवधारित करना ;"।

धारा 24 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो धारा 7 के अन्तर्गत आने वाले किसी क्रियाकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को उसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।";

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी अर्थात् :—

"(2) यदि राज्य जैव विविधता बोर्ड की यह राय है कि ऐसा क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत

ऋजु और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने के उद्देश्यों के लिए हानिकारक या प्रतिकूल है, तो वह ऐसे क्रियाकलाप को आदेश द्वारा निर्बंधित या अस्वीकृत कर सकेगा :

परंतु अस्वीकृत करने का ऐसा कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के बिना नहीं दिया जाएगा ।

(3) राज्य जैव विविधता बोर्ड इस धारा के अधीन अनुदत्त किए गए या अस्वीकृत किए गए प्रत्येक अनुमोदन के ब्यौरों को लोकाधिकारी क्षेत्र में रखेगा ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) उपधारा (1) में खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सभी राशियां जिनमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रभार और फायदा बांटने वाली रकम भी है ;";

(ii) उपधारा (2) में, —

(अ) आरंभिक भाग में, "उपयोजन" शब्द के स्थान पर, "उपयोग" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) जैव संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग ;

(ग) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास जहां ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान का, जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श से अभिगम किया गया है :

परंतु जब ऐसे क्षेत्र की पहचान करना वहां संभव नहीं होता है जहां जैव संसाधन या उससे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान का अभिगम किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा जहां ऐसे जैव संसाधन होते हैं ;

(घ) अधिनियम के प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले क्रियाकलाप ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(i) उपधारा (1) में खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सभी राशियां जिनमें राज्य जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रभार और फायदा बांटने वाली रकम भी है और ऐसे अन्य स्रोतों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं ;";

(ii) उपधारा (2) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, "उपयोग" शब्द के स्थान पर "प्रयोग" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,—

"(कक) फायदे का दावा करने वालों को फायदों का दिया जाना ;";

(इ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग;";

(ई) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास जहां ऐसे जैव संसाधन या उनसे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान जैव विविधता प्रबंधन समिति या सम्बद्ध स्थानीय निकाय के साथ परामर्श से अभिगम किया गया है :

परंतु जब ऐसे क्षेत्र की पहचान करना वहां संभव नहीं होता है जहां जैव संसाधन या उससे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान अभिगम किया गया है, ऐसे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा जहां ऐसे जैव संसाधन उत्पन्न होते है ;";

(उ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए अनुदान या ऋण देना ;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए क्रियाकलाप ।"।

धारा 36 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों और योजनाओं का विकसित किया जाना";

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) "केन्द्रीय सरकार," शब्दों के पश्चात्, "राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से", शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "और सतत् उपयोग के लिए," शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय कूटनीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम विकसित करेगी, जिसके अन्तर्गत जैव संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान तथा मानीटरी के लिए उपाय, कृषिजोपजाति, लोक किस्म और भूमि प्रजातियों सहित जैव संसाधनों के आंतरिक और बाह्य संरक्षण का संवर्धन, जैव विविधता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और लोक शिक्षण हेतु प्रोत्साहन भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा 3 में, "क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्रीय नीतियों या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता या उससे सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और सतत् उपयोग हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्डों को अन्तर्वलित करेगी ।"।

नई धारा 36क और 36ख का अंत:स्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय ।

"36क. केन्द्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं, जिनका भारत हस्ताक्षरकर्ता है, को पूरा करने के लिए विदेश से प्राप्त जैव संसाधनों के अभिगम और उपयोग को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर मानीटर और विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन को प्राधिकृत कर सकेगी ।

जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा कूटनीतियों और योजनाओं का विकसित किया जाना ।

36ख. (1) राज्य सरकार, राष्ट्रीय कूटनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप, जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और सतत् उपयोग के लिए कूटनीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम विकसित करेगी, जिसके अंतर्गत जैव संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान तथा मानीटरी के लिए उपाय, कृषिजोपजाति, लोक किस्म और भूमि प्रजातियों सहित जैव संसाधनों के आंतरिक और बाह्य संरक्षण का संवर्धन, जैव विविधता के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण और लोक शिक्षण हेतु प्रोत्साहन भी है ।

(2) राज्य सरकार, जहां तक व्यवहार्य हो, जहां-कहीं वह आवश्यक समझे, सुसंगत क्षेत्रीय नीतियों या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग को एकीकृत करेगी ।"।

धारा 37 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य जैव विविधता बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित करेगी:

परंतु राज्य जैव विविधता बोर्ड ऐसी सिफारिशों को करने से पूर्व स्थानीय निकाय और संबद्ध जैव विविधता प्रबंध समिति से परामर्श करेगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, "विरासतीय स्थलों" शब्दों के स्थान पर, "जैव विविधता विरासतीय स्थलों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 38 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जाती

है, तो वह ऐसी किसी सूचना को जारी करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से परामर्श करेगी ।"।

धारा 40 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना ।

"40. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से घोषणा करेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध जैव संसाधनों के लिए लागू नहीं होंगे जब वस्तुओं या उनसे उत्पन्न किसी मद के रूप में सामान्यत: व्यापार किया जाता है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के अन्तर्गत बनाए गए या यथा विहित विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इकाइयों के लिए अधिसूचित और खेती योग्य चिकित्सीय पौधे और उनके उत्पाद के रूप में कृषि अवशिष्ट भी हैं :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी ।"।

धारा 41 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक स्थानीय निकाय तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम स्तर पर नगर पंचायत या नगरपालिका समिति जैव विविधता के संरक्षण का संवर्धन, जैव विविधता के सतत् उपयोग और प्रलेखीकरण, जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक वास का संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों, किसानों की क़िस्मों और कृषिजोपजातियों, घरेलूकृत स्टाक और पशुओं की संतति, जल निकायों में रहने वाली जीवित किस्मों तथा सूक्ष्म जीवों, संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति (किसी भी नाम से ज्ञात) का गठन करेगा :

परंतु राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती या जिला पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन कर सकेगी ।

(1क) इस प्रकार गठित की गई जैव विविधता प्रबंध समिति के कृत्यों में जैव विविधता के संरक्षण, सतत् उपयोग और प्रलेखीकरण सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत आवासों, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों और कृषिजोपजातियों, पशुओं की संतति तथा सूक्ष्म जीवों के घरेलूकृत स्टाक और जैव विविधता से संबंधित सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान को श्रंखलाबद्ध करना सम्मिलित है ।

(1ख) जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन ऐसे किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परंतु उक्त समिति के सदस्यों की संख्या सात से अन्यून और ग्यारह से अधिक नहीं होगी ।'';

(ख) उपधारा (2) में, ''और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान'' शब्दों के स्थान पर ''अथवा उससे सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषिजोपजाति" से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो खेती-बाड़ी से उत्पन्न होती है और बढ़ती रहती है या खेतीबाड़ी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उगाई गई थी ;

(ख) "लोक किस्म" से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो कृषकों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) "भूमि प्रजाति" से पुरातन कृषिजोपजाति अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी ;

(घ) ''किसानों की किस्म'' से वह किस्म अभिप्रेत है जो—

(i) अपने क्षेत्र में किसानों द्वारा पारम्परिक रूप से उपजाई जाती हो और विकसित की गई हो ; अथवा

(ii) किस्म की वन्य संबंधी या भूमि प्रजाति है, जिसके बारे में किसान सामान्य ज्ञान रखते हों ।'।

धारा 43 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ङ) ऐसे अन्य संसाधनों से जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त साझा की गई फायदे की रकम और अन्य सभी राशियां ।''।

धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन ।

"44. (1) स्थानीय जैव विविधता निधि इस निमित्त बनाए गए विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग की जाएगी, जिसमें—

(क) जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन, जिसके अंतर्गत संबद्ध स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों का पुन:संग्रहण है ;

(ख) संरक्षण के सरोकारों से समझौता किए बिना समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास ; और

(ग) जैव विविधता प्रबंध समिति के प्रशासनिक व्यय ।

(2) निधि का उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।''।

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक विवरणी ।

''45. स्थानीय जैव विविधता निधि का अभिरक्षक, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपना वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ संबद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा ।''।

धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

जैव विविधता प्रबंध समितियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

''46. (1) जैव विविधता प्रबंध समिति लेखा का रख-रखाव करेगी जिसकी ऐसी रीति में लेखापरीक्षा की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) जैव विविधता प्रबंध समिति संबद्ध स्थानीय निकाय तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड को उस तारीख से पूर्व जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उस पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक संपरीक्षित प्रति देगा ।''।

धारा 50 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 50 के पार्श्व शीर्ष में ''राज्य विविधता बोर्डों के बीच'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 52 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में, ''फायदे में हिस्सा बंटाने के किसी अवधारण या आदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने या आदेश या निदेश'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(i) ''फायदे में हिस्सा बंटाने का प्रत्येक अवधारण या आदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) ''उच्च न्यायालय'' शब्दों के पश्चात्, ''अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) ''उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार'' शब्दों के पश्चात्, ''अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के रजिस्ट्रार'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण में, ''व्यक्तियों के समूह'' शब्दों के पश्चात्, जहां-कहीं वे आते हैं ''या निकाय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 55 के स्थान पर नई धारा 55, धारा 55क और धारा 55ख का प्रतिस्थापन । शास्तियां ।

38. मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

''55. यदि धारा 3 की उपधारा (2) अथवा धारा 7 के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति या अस्तित्व धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगी, किन्तु जहां शास्ति की रकम कारित क्षति से अधिक है, तो ऐसी शास्ति कारित की गई क्षति के

प्रतिकर के लिए दायी होगी और लगातार विफलता या अतिलंघन के मामले में अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी शास्ति धारा 55क के अधीन नियुक्त किए गए न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

55क. (1) धारा 55 के अधीन शास्तियों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार विहित रीति में जांच करने और इस प्रकार अवधारित की गई शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से कम का नहीं होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार उतनी संख्या में न्यायनिर्णयन अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो ।

(2) किसी जांच को करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी को साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और उपस्थिति को प्रवर्तित करने की शक्ति होगी जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में किसी जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो, और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान होता है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में असफल हो गया है, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह धारा 55 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे :

परंतु मामले में संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

2010 का 19

(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी, जिस तारीख को न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है ।

(5) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उसके विरुद्ध की गई अपील के आदेश को संपुष्ट करने, उपांतरित करने या अपास्त करने के लिए उचित समझे ।

प्रवेश, निरीक्षण, सर्वेक्षण, आदि करने की शक्ति ।

55ख. केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी या अधिकारी निरीक्षण, सर्वेक्षण या किसी अन्य क्रियाकलाप को करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी भूमि, वाहन या किसी परिसर में प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण, अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा जानकारी एकत्रित करने तथा उसका नक्शा बनाने और सामग्रियों तथा अभिलेखों को अभिग्रहण करने की शक्ति ;

(ख) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने को विवश करने के लिए सिविल

न्यायालय की शक्तियां, जिसके अंतर्गत साक्षियों तथा दस्तावेजों और तात्विक सामग्रियों का प्रस्तुत किया जाना भी है ;

(ग) तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति ;

(घ) ऐसी जांच करने की शक्ति प्राप्ति और ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य प्राप्त करना और अभिलिखित करना ;

(ङ) ऐसी अन्य शक्ति, जो विहित की जाए ।''।

धारा 58 का लोप ।

39. मूल अधिनियम की धारा 58 का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 59क का अंत:स्थापन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय व्यक्तियों पर अधिनियम का लागू नहीं होना ।

''59क. इस अधिनियम के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे संसद् द्वारा अधिनियमित पादप किस्मों के संरक्षण से संबंधित किसी विधि के अधीन उस सीमा तक कोई अनुमोदन दिया गया है या कोई अधिकार अनुदत्त किया गया है, जिस तक उस अधिनियम के अधीन दिए गए ऐसे अनुमोदनों या अधिकारों के लिए इस अधिनियम के अधीन समान अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।''।

धारा 61 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) आरंभिक पैरा में, ''परिवाद'' शब्द के स्थान पर, ''लिखित परिवाद'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, ''ऐसे किसी फायदे के दावेदार'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई व्यक्ति या फायदे के दावेदार'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 62 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उत्पत्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति" ;

(कक) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन बहियां जिनके आधार पर उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, ऐसी बहियों को रखने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति ;

(कख) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(खक) सदस्य-सचिव द्वारा किए गए अन्य कृत्य ;'';

(iii) खंड (ङ) में, ''आवेदन करने का प्ररूप'' शब्दों के पश्चात्, ''फीस का संदाय करने की'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस का संदाय ;";

(v) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञक) धारा 55क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति ;

(ञख) धारा 55ख के खंड (ङ) के अधीन अन्य शक्ति ;"।

धारा 63 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ङक) धारा 41 की उपधारा (1ख) के अधीन जैव विविधता प्रबंध समिति की संरचना ;";

(ii) खंड (च) में, ''उपयोग", शब्द के स्थान पर, "उपयोजन" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (छ) में, ''वार्षिक रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर, "वार्षिक विवरण" शब्द रखे जाएंगे ।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 34)

[15 दिसम्बर, 2023]

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 में,— जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2004 का 14

(i) खंड (ण) में,—

(अ) उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) सरकार द्वारा समय-समय पर उस रूप में घोषित अन्य पिछड़े वर्ग :";

(आ) पहले परंतुक में, "उक्त प्रवर्ग" शब्दों के स्थान पर, "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का प्रवर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (थ) का लोप किया जाएगा ।

डाकघर अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 43)

[24 दिसम्बर, 2023]

भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डाकघर अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डाक सेवा महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ख) "मद" से ऐसी अविभाजनीय वस्तु अभिप्रेत है जिसे डाकघर कोई सेवा प्रदान करने के लिए स्वीकार करता है ;

(ग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(घ) "डाकघर" से डाक विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत डाकघर द्वारा कोई सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक गृह, भवन, कक्ष, स्थान या कोई अन्य आस्ति भी सम्मिलित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और "विहित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(च) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।

3. (1) डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) महानिदेशक निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के संबंध में ; और

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रभार नियत करना और उनके निबंधन तथा शर्तें ।

(3) डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन होगी ।

डाक महसूल स्टांप के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार ।

4. (1) डाकघर के पास डाक महसूल स्टांप जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा ।

(2) महानिदेशक, डाक महसूल स्टांप और डाक सामग्री के प्रदाय और विक्रय से संबंधित विनियम बना सकेगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "डाक महसूल स्टांप" से डाकघर द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा, जो विहित की जाए, के बारे में देय राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक या डिजिटल, किसी भी रूप में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया कोई स्टांप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी वस्तु पर चस्पा, मुद्रित, समुद्भृत, सन्निहित, छापित या अन्यथा उपदर्शित स्टांप भी हैं ;

(ख) "डाक सामग्री" से डाकघर द्वारा जारी ऐसी सामग्री जैसे लिफाफे, पत्र कार्ड, पोस्टकार्ड पर उपदर्शित करने वाले मुद्रित स्टांप या उत्कीर्ण, जिन पर डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के संबंध में देय राशि, पूर्व संदत्त की गई है, अभिप्रेत है ।

पते और पोस्ट कोड ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग हेतु मानक विहित कर सकेगी ।

(2) इस धारा में "पोस्ट कोड" से किसी भौगोलिक क्षेत्र या अवस्थिति की पहचान करने और वस्तुओं की छंटनी और परिदान की प्रक्रिया को आसान बनाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड की श्रृंखला या अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड का संयोजन अभिप्रेत है ।

अन्य देशों के साथ समझौता प्रभावी करने की शक्ति ।

6. केंद्रीय सरकार, डाकघर द्वारा किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत और उक्त विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र के मध्य किए गए समझौतों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में देय राशियों की वसूली ।

7. (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा अभिप्राप्त की है, ऐसी सेवा के संबंध में प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है तो ऐसी रकम उसी प्रकार वसूलनीय होगी मानो उसके द्वारा भू-राजस्व देय बकाया था ।

शासकीय चिह्न का कतिपय व्यक्त तथ्यों का साक्ष्य होना ।

8. केंद्रीय सरकार, व्यक्त तथ्यों को पृथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए वस्तुओं पर शासकीय चिह्न व्यक्त करने हेतु शर्तें विहित कर सकेगी ।

सीमाशुल्क प्राधिकारी को कोई वस्तु रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने या वस्तु परिदत करने की शक्ति ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, आपात या लोक सुरक्षा के हित में या इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की दशा में डाकघर द्वारा पारेषण के क्रम में किसी वस्तु को रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने हेतु किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु का ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, निपटान करवा सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत की सीमाओं के भीतर या उससे बाहर प्राप्त और शुल्क के लिए दायी किसी वस्तु को रखने के लिए हिसाब में ली गई किसी मद या जिसमें कोई प्रतिषिद्ध वस्तु होने का संदेह हो, ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, परिदत्त करने के लिए डाकघर के किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी और ऐसा सीमाशुल्क प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसी मद का निपटान करेगा ।

देयता से छूट ।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डाकघर को, डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के संबंध में ऐसी देयता, जो विहित की जाए, के सिवाय कोई देयता उपगत नहीं होगी ।

(2) डाकघर का कोई अधिकारी डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में हुई हानि के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक वह कपट या जानबूझकर या चूक के कारण न हुई हो ।

महानिदेशक को नियम बनाने की शक्तियों से भिन्न, शक्ति का प्रत्यायोजन ।

11. केंद्रीय सरकार, नियम बनाने की शक्ति से भिन्न, अधिसूचना द्वारा महानिदेशक को, या तो आत्यांतिक रूप से या शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

12. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने हेतु नियम बना सकेगी ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

13. महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

14. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, जो व आवश्यक या समीचीन समझे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

16. (1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1898 का 6

(2) उपधारा (1) के द्वारा इस अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, जहां तक उनका संबंध उन विषयों से है जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए हैं और उससे असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या अधिसूचना या आदेश द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते । 1898 का 6

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 3)

[12 फरवरी, 2024]

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 की अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

सं0आ0 142

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

भाग 1—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दा ब्राह्मण
8. गद्दी
9. गर्रा
10. गूजर
11. कोली
12. मोन
13. पाडरी जनजाति
14. पहाड़ी जातीय समूह
15. पुरिगपा
16. सिप्पी ।

भाग 2—लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दी
8. गर्रा
9. गूजर
10. मोन
11. पुरिगपा
12. सिप्पी ।"।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 6)

[15 फरवरी, 2024]

ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ; सं.आ.19

(ख) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है । सं.आ.22

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश का ऐसी रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश का ऐसी रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

सं.आ. 19 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12 - उड़ीसा में,— सं.आ. 22

(क) "भाग 12 - उड़ीसा", के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 12 - ओडिशा";

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. भुइया, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां";

(ग) प्रविष्टि 8 में, "तमारिया भूमिज" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया";

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9. भुन्जिआ, चुकटिआ भुन्जिआ";

(ङ) प्रविष्टि 13 में, "बांडा परजा" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

", बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा";

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरूआ, धुरवा" ;

(छ) प्रविष्टि 28 में, "कनवार" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", कउर, कुँवर, कुँवर, कुँवर, कंवर, कुँवर, कअंर, कअंर, कुँवर";

(ज) प्रविष्टि 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, कुई (कंध), बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड";

(झ) प्रविष्टि 47 में, "मानकिडी" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", मांकिडिआ";

(ञ) प्रविष्टि 53 में, "उरांव" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी";

(ट) प्रविष्टि 55 में, "सोलिया परोजा" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा";

(ठ) प्रविष्टि 57 में "राजुआर" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", राजुआल, राजुआड";

(ड) प्रविष्टि 59 में, "बेसु साओरा" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

", सअर";

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"63. मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले आते हैं) ।

64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि ।"।

वित्त अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 8)

[15 फरवरी, 2024]

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए जारी रखने हेतु और करदाताओं को कतिपय राहत प्रदान करने के लिए तथा कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2024 है ।

(2) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 10, 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 11 से धारा 13, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :— 2023 का 8

(क) धारा 2 के,—

(i) उपधारा (1) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2024" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, या उन दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,— 1961 का 43

(क) शुद्ध कृषि-आय को कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो); और

(ख) प्रभार्य आय-कर, निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों पर, ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार, अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार, अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत का निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत का निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।';

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रूप में और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2

के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बना है, के मामले में के सिवाय, व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या ऐसे व्यक्तियों के संगम, ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, के मामले में के सिवाय या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के

अधीन आय है और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, लाभांश के रूप में कोई आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट निधि है, की कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर कोई अधिभार नहीं बढ़ाया जाएगा ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी के जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के

रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम से आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ङ) में वर्णित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, आय-कर

अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में,—

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक, किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय अपवर्जित है) दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु उपरोक्त खंड (iii) के अन्तर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होते हैं तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर परिकलित आय-कर को किसी अधिभार द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा :

परन्तु यह भी कि व्यक्तियों के संगम की दशा में,जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है और जिसकी आय

धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।";

(iv) उपधारा (9) में,—

(अ) दूसरे परंतुक में, "निवासी सहकारी सोसाइटी" शब्दों के स्थान पर, "भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) चौथे परंतुक में, खंड (क) से खंड (घ) को उसके खंड (i) से खंड (iv) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ;

(इ) पांचवें परंतुक में,—

(I) प्रारंभिक भाग में, "वर्णित व्यक्तियों" शब्दों के पश्चात्, "के संगम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (क) और खंड (ख) को उसके खंड (i) और खंड (ii) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ;

(ई) छठे परंतुक में,—

(I) प्रारंभिक भाग में, "वर्णित व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर, "वर्णित कोई सहकारी सोसाइटी" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) खंड (क) और खंड (ख) को उसके खंड (i) और खंड (ii) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ;

(उ) सोलहवें परंतुक में,—

(I) प्रारंभिक भाग में, "धारा 115खकग" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "की उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (क) से खंड (ग) को उसके खंड (i) से खंड (iii) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ;

(ऊ) सत्रहवें परंतुक में, "निवासी सहकारी सोसाइटी" शब्दों के स्थान पर, "भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (10) में,—

(अ) प्रारंभिक भाग में, "या आय-कर अधिनियम की धारा 2" शब्दों और अंक से आरंभ होने वाले और "की दशा में, जिसकी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "उस दशा में, जहां" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) तीसरे परंतुक में, "आय-कर अधिनियम की धारा 2" शब्दों और अंक से आरंभ होने वाले और "जो निवासी है, जिसकी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "उस दशा में, जहां" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (13) के खंड (क) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2024" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 और भाग 2 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक

करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2021-2022 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ; 1956 का 42

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) किसी विनिधान से किसी आय पर 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर 10 प्रतिशत ;

(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर 20 प्रतिशत ;

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 20 प्रतिशत ;

(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर — 30 प्रतिशत ;

(अः) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(र) उपमद (ख)(i)(अः) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	20 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;

(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] — 20 प्रतिशत ;

(अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(v) किसी अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को — 20 प्रतिशत ;

आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 15 प्रतिशत ;

(ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर — 10 प्रतिशत ;

(xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट, लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(xiv) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्ति-संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) किसी व्यक्तियों के संगम, जो अनिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के

अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए,बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।';

(ii) भाग 3 के पैरा ङ में, "आय-कर की दरें" शीर्षक के अधीन खंड (I) के उपखंड (i) में, "2021-2022" अंकों के स्थान पर, "2022-2023" अंक रखे जाएंगे ;

(iii) भाग 4 में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**नियम 8**–(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2016 या 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में

से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।"।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 10 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (कक) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (I) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (4च) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (23चङ) के उपखंड (i) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80ठक का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (9) के परंतुक में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 144ग का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (14ग) के परंतुक में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 206ग का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1छ) में,—

(क) दीर्घ पंक्ति में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "पांच" शब्द रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2023 से रखा गया समझा जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक में, "तथा वह शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2023 से लोप किया समझा जाएगा ;

(ग) दूसरे परंतुक में, 1 अक्तूबर, 2023 से,—

(i) "पांच" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(ii) "तथा वह शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए है" शब्दों के स्थान पर, "तथा वह शिक्षा या चिकित्सा उपचार से भिन्न प्रयोजन के लिए है" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(घ) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2023 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि किसी विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का विक्रेता, किसी वित्तीय वर्ष में क्रेता से प्राप्त रकम या सात लाख रुपए से अधिक की कुल रकमों की बीस प्रतिशत राशि का संग्रहण करेगा :" ;

(ङ) पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2023 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् और 1 अक्तूबर, 2023 से पूर्व संगृहीत की जाने वाली राशि, इस उपधारा के उपबंधों के अनुसार वैसे ही संगृहीत की जाएगी, जैसे वे 1 अप्रैल, 2023 को विद्यमान थे ।"।

धारा 253 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (9) के परंतुक में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 255 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (8) के परंतुक में, "2024" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

2017 का 12

11. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर,

निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है ;'।

धारा 20 का प्रतिस्थापन ।

12. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति ।

"20. (1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक भी सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसी राज्य` में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर के उदग्रहण के अधीन रहते हुए सेवाओं के संबंध में केंद्रीय या एकीकृत कर के प्रत्यय सम्मिलित है का वैसे ही वितरण करेगा जैसे उक्त इनपुट सेवा वितरक ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करता है ।

(3) केंद्रीय कर के प्रत्यय का केंद्रीय कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केंद्रीय कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा ।"।

नई धारा 122क का अंत:स्थापन ।

13. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति ।

"122क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा हुआ है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, वहां वह उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत की गई है प्रत्येक अभिग्रहण और जब्ती के लिए दायी नहीं होगी :

परन्तु ऐसी मशीन को वहां जब्त नहीं किया जाएगा, जहां,—

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है ; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।"।

———————

डॉ राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—715GI(S4)—24-05-2025.

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.05.26 14:12:20 +05'30'